राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 } पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 8वां दिवस { संख्या 6

शुक्रवार

दिनांक 23 फरवरी, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, राजस्व, खनिज, विद्युत, यातायात, सिंचाई, सहकारिता, वन, पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण-विभाग)

प्रश्न संख्या 91

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 92

श्री भीमसेन !

पलाना लिगनाइट से बिजली का उत्पादन

92. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) [श्री भीमसेन (लूणकरणसर) की अनुपस्थिति में] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विदेशी वैज्ञानिकों के सहयोग से पलाना लिगनाइट के आधार पर बिजली पैदा करने सम्बन्धी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई थी ? अगर हां, तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रियान्वित करने हेतु क्या प्रयास हो रहे हैं ?

(2) क्या सरकार यह उचित समझती है कि राज्य व देश में बिजली की मांग होते हुए भी तथा उक्त लिगनाइट से सस्ती बिजली मिलने की सम्भावना होते हुये भी इस राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रयोग नहीं हो ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं।

Page No. 2

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) जी हां। यदि आर्थिक दृष्टि से पलाना लिगनाइट से बिजली उत्पादन साध्य हो सका तो अवश्य ही ऐसी योजना पर विचार किया जायगा।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : क्या जर्मन एक्सपर्ट के द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : ओपन कास्ट माइनिंग के लिये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब इसकी स्थिति क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : यथावत् है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और यथावत् ही रहेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : लक्षण ऐसे ही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि ओपन कास्ट माइनिंग पर डा. सेठी की रिपोर्ट है, उसको और नवेली के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको लागू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया ओपन कास्ट माइनिंग सर्टेन पीरियड के लिये इकोनोमिकल है। उसके बाद अन-इकोनोमिकल हो जाती है। हन्ड्रेड मेगावाट इस थरमल पावर स्टेशन की केपेसिटी है और यह केवल 15 वर्ष की है। इसलिये इस थर्मल प्लान्ट को अन-इकोनोमिक कर दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हन्ड्रेड मेगावाट केपेसिटी उपलब्ध हो जाय तब भी आप लगाने का इरादा नहीं रखते हैं ? आपने और कोई आस्पेक्ट्स देखे हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा है पावर के हिसाब से आस्पेक्ट्स देख लिये हैं। यह पावर स्टेशन अन-इकोनोमिक होगा।

प्रश्न संख्या 93

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री यशवन्त सिंह नाहर।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

चित्तौड़गढ़ जिले की आबंटित भूमि का निरस्तीकरण

91. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. चित्तौड़गढ़ जिले में पूर्व आवन्टित भूमि का निरस्तीकरण किन आधारों पर किया जा रहा है ?

2. जिन लोगों की भूमि निरस्त की गई क्या उनमें से कोई भी भूमिहीन किसान की श्रेणी में नहीं आता ?

3. क्या कारण है कि अभी तक उन व्यक्तियों की भूमि के निरस्तीकरण की ओर कोई कदम नहीं उठाये गये जिनके पास पहले से ही 50 बीघा से अधिक भूमि है

Page No. 3

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनायें सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1968 के विरुद्ध किये गये आवंटनों को निरस्त किया जा रहा है।

(2) या तो भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आते या सम्बन्धित नियमों के अनुसार भू-आवंटन के अधिकारी नहीं हैं।

(3) यह सही नहीं है कि ऐसे किसी मामले को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् मामला छोड़ा गया हो।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं, भूमिहीनों की क्या परिभाषा है ?

एक माननीय सदस्य : हम सब भूमहीन हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे जिले में यह परिभाषा है कि जिसके पास दो ट्रेक्टर और एक जीप हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : भूमिहीनों की परिभाषा यह है कि—

"Landless person" means a resident of Rajasthan, who is either a bonafide agriculturist or an agricultural labourer, cultivating or likely to cultivate the land personally and whose main source of income is agriculture or any subsidiary occupation like cattle breeding; provided such person does not hold any tenure land anywhere in Rajasthan or such land that he holds is less than a fragment."

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसी कोई सही सूची तैयार करवाई क्या राज्य सरकार ने ? और क्या ऐसी सूची बनाना उपयुक्त समझेगी जिससे जमीन का वितरण ठीक हो सके ?

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पक्षपात है। ये उस केटेगरी में आ गये हैं जिनके पास भूमि नहीं थी और कृषि करते हैं। उदाहरण के लिये मैं बताती हूं जब गोल्ड कन्ट्रोल हुआ था तो स्वर्णकारों को भूमि वितरण की गई थी और वे पैतृक व्यवसाय छोड़कर कृषि करने लगे थे। अब उनको दूर किया जा रहा है। जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं—सरपंच हैं, प्रधान हैं ऐसे व्यक्तियों का अलाटमेंट केन्सिल नहीं किया जा रहा है। ऐसा पक्षपात क्यों है ? माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस तरह की बातें जब गवर्नमेंट के ध्यान में लाई गई तो 80 केस सामने आये थे। 80 में से 64 तो खारिज किये गये और 16 को बहाल रखा गया। कलेक्टर के पास भी कई मामले फैसले के हैं उन पर कार्यवाही चल रही है। नियमों के मुताबिक सब कुछ हो रहा है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अलॉटमेंट केन्सिल किये जा रहे हैं इसके लिए कोई कमेटी है या एक ही व्यक्ति के हाथ से किये जा रहे हैं ? मैं सोचती हूं यह एक व्यक्ति के हाथ में हैं इसलिये इसमें पक्षपात हो रहा है। जो भी

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

अलाटमेंट केन्सिल किये गये हैं वे उन व्यक्तियों के किये गये है जो गरीब हैं और वास्तव में कृषक है। उस बारे मे कोई कदम नहीं बढ़ाया है जिसके पास पावर है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलाटमेंट कमेटी में नियम बने हुये हैं। जो नाजायज अलाटमेंट हो जाय उसके लिये कोई कमेटी नहीं है। कलेक्टर को जुडिशियल पावर्स हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सरकार भूमिहीन का कार्य बनाने का क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती निर्मला कुमारी : गोल्ड कन्ट्रोल के वक्त स्वर्णकारों के लिये भूमि अलाटमेंट करने का प्रावधान किया गया था....

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें जो नियम बने हुये हैं उनमें प्रावधान नहीं है, जो कृषि से गुजर करता हो, उसी को जमीन मिले, जिसका गुजारा और धन्धे से नहीं होता हो उसको जमीन नहीं मिले।

श्रीमती निर्मला कुमारी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं गोल्ड कन्ट्रोल के वक्त स्वर्णकारों को भूमि आवंटित की गई थी और वे पैतृक व्यवसाय को छोड चुके हैं और काफी पूंजी भी उन्होंने लगा दी है और अब उनको अलग किया जा रहा है। अब सोने का मूल्य भी ज्यादा है और गोल्ड कन्ट्रोल होने से उनका सारा रोजगार खत्म हो गया है। जो व्यक्ति भूमि पर निर्भर हैं उनकी रोजी रोटी का साधन है वह उनसे क्यों छीना जा रहा है। यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नियम के विरुद्ध जमीन देना हमारे अख्तियार में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती निर्मला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बहुत पूछ चुकी हैं।

एक माननीय सदस्य : वे इस परिभाषा में नहीं आते हैं। कोई उनके छाप लगी हुई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : नियम जिनके लिये बनाये जाते हैं उन आदमियों को भूखों मरने के लिये मजबूर किया जाय, ऐसे निकम्मे नियमों में कोई सुधार किया जा सकता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या सरकार अलाटमेंट कमेटी की राय से यह केन्सिलेशन करना पसन्द करेगी ? अलाटमेंट कमेटी को कान्फिडेन्स में लिया जायगा ?

प्रश्न संख्या 95

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सुरेशचन्द्र।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जयपुर जिले को धनराशि

96. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जयपुर जिले के लिये कब कब कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(2) इस धनराशि का तहसीलों के आधार पर किस प्रकार वितरण किया गया और प्रत्येक तहसील को कितनी कितनी राशि वितरित की गई ?

(3) उपरोक्त धनराशि का उपयोग कब कब किस किस प्रकार से किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्रैश योजना के अन्तर्गत कम धनराशि का व्यय हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया राज्य के सब जिलों को आवंटित धनराशि व उसके खर्च की तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(1) विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1971-72 में 12.50 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी एवं कुल खर्च 4.64 लाख का हुआ है । वर्ष 1972-73 के लिये कुल धनराशि 27.50 लाख आवंटित की जा चुकी है एवं खर्च 26,79,025 रु० का हो चुका है ।

(2) स्वीकृत राशि का विवरण तहसीलों के आधार पर नहीं किया जाकर कार्यों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये पंचायत समिति के आधार पर किया गया है । आवंटित की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों हेतु किया गया है । वर्ष 1971-72 में इन कार्यों पर 4.64 लाख का उपयोग किया गया एवं वर्ष 72-73 में अब तक 26,79, 025 रु० का उपयोग हो चुका है ।

(4) जी नहीं, यह सही नहीं है । सब जिलों को आज तक आवंटित धनराशि एवं उसके खर्च की 31 जनवरी, 73 तक की तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि प्रथम वर्ष में जो 12 लाख की राशि का आवंटन जयपुर जिले को हुआ और उसमें से $4\frac{1}{2}$ लाख रुपया ही खर्च हुआ बाकी राशि लैप्स हुई-इसका क्या कारण था ? जहां तक मेरी जानकारी है इसमें पी० डब्लू० डी० और कलेक्टरेट के बीच में समन्वय का नहीं होना है । इसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? इसकी जानकारी दी जाये ।

श्री हरिदेव जोशी : पहले वर्ष में केवल जयपुर जिले में ही क्रैश प्रोग्राम में राशि कम खर्च हुई हो ऐसा नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में ही कम हुई क्योंकि प्रासीजर इतना लम्बा था कि स्कीम गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को भेजनी थी और वहां से सेंक्शन आती थी । कोई अमेन्डमेन्ट भी

(श्री हरिदेव जोशी)

होना था तो वहां भेजनी होती थी । इसलिए हमने फिर गवर्नमेन्ट ग्राफ इन्डिया से कहा और उन्होंने प्रासीजर चेन्ज किया । सेंक्शनिंग अथारिटी गवर्नमेन्ट ग्राफ राजस्थान ही है इसलिए अब इन वर्षों में अच्छा काम हो रहा है।

श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या पूरे राजस्थान में ही समन्वय नहीं था इसलिए खर्चा हुआ नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने कब कहा कि समन्वय नहीं था । मैंने कहा है कि सारे राजस्थान में कम खर्च हुआ है ।

श्री सहदेव शर्मा (जमवा रामगढ़) : इस क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को कितनी कितनी राशि दी गयी ?

श्री हरिदेव जोशी : भारत सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक जिले को 12½ लाख रुपया दिया जाता है ।

श्री सहदेव शर्मा : जयपुर जिले के लिए क्या आप यह राशि काफी मानते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : वह स्कीम हमारी नहीं है बल्कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की है ।

श्री सहदेव शर्मा : क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है इसके बारे में ?

श्री हरिदेव जोशी : आवश्यकता नहीं है ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या यह सही है कि जो धनराशि 1972-73 में खर्च की गयी वह सारी इन दो महीनों में ही खर्च की गयी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, पूरे वर्ष में की गयी है ।

श्री फूलचन्द जैन : जनवरी और फरवरी में कितनी खर्च हुई आप इसकी जांच करा लें ।

श्री हरिदेव जोशी : करा लूंगा ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : एक तो ग्रामीण बेरोजगार योजना के अन्दर इस योजना को चला रहे हैं और दूसरी तरफ नतीजा यह है कि इसको अधिक जनसंख्या का आधार नहीं माना गया है तो ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर हम ग्रामीणों की बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह एक गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की स्कीम है जिसमें वह प्रत्येक जिले में एक हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की स्कीम बतलाते हैं उन्होंने एक स्कीम ली है उसमें चेन्जेज करना हमारे वश की बात नहीं है ।

श्री केदारनाथ : क्या प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या कमियां रहीं, क्या डेफीशियेन्सी रहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री लूणाराम ।

गांधी आश्रम-सुजानगढ़ द्वारा ऊन कताई केन्द्रों की स्थापना

97. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :** क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधी आश्रम, सुजानगढ़ राज्य में काफी जगह ऊन कताई

(श्री लूणाराम)

केन्द्र स्थापित करना चाहता है ? यदि हां, तो तहसीलदार किन किन ग्रामों में ऐसे केन्द्र स्थापित करना चाहता है ?

(2) क्या यह सही है कि जहां पर यह केन्द्र स्थापित किए जायेंगे वहां पर भवन निर्माण की व्यवस्था इसी वर्ष कर ली जायेगी ?

(3) मई, 1972 में ऊन कताई पर कितनी महिला मजदूरों को तथा दिसम्बर 1972 में कितनी महिला मजदूरों को जिले में रोजी उपलब्ध कराई गई ?

(4) सबसे अधिक ऊन कताई का कार्य तहसील की जन संख्या के अनुपात से किस तहसील में होता है ?

राज्य मन्त्री, खादी ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। गांधी आश्रम, सुजानगढ़, चूरू जिले के निम्नांकित तहसीलों के ग्रामों में कताई केन्द्र स्थापित करना चाहता है :—

नाम तहसील	ग्राम
1. सुजानगढ़	1. लिखमासर
2. सालासर	2. सालासर
	3. मथड़ा
2. श्री डूंगरपुर	1. सैरना
	2. कल्याणसर
	3. कितासर
3. चूरू	1. रतन नगर
	2. धांधु
	3. दुधवाखारा
4. सरदार शहर	1. आसलसर
	2. हरियासर
	3. बरड़ासर
	4. मेहरासर
5. तारानगर	1. खांड्वा
	3. लुणियावास

(2) जी नहीं।

(3) मास मई व दिसम्बर, 1972 में महिला मजदूरों की संख्या क्रमशः 805 व 575 थी।

(4) सबसे अधिक ऊन कताई कार्य तहसील की जन संख्या के अनुपात से सुजानगढ़ में होता है।

श्री लूणाराम : क्या यह सही है कि ऊन कताई केन्द्र बेकार पड़े हैं और कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया जा रहा है ?

श्री मूलचन्द : जहां तक कताई केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न है इसके एक विधिवत प्रमाणपत्र समिति द्वारा जहां जहां और जो जो क्षेत्र उसमें घोषित होते हैं, वहीं केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। यदि नए स्थान पर करना है तो उसकी विधिवत् उसी प्रकार से कार्यवाही करनी होगी और वही केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

श्री लूणाराम : सवाल यह नहीं है कि इसी गांधी आश्रम द्वारा सरकारी खर्च पर सरकारी रकम से ग्रामों के अन्दर ऊन कताई केन्द्र पहले ही स्थापित किये गये हैं जिनके ऊपर काफी लागत आई है। 4-5 साल से वहां भवन गिर रहा है और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और न केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

Page No. 8

श्री मूलचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि उस स्थान का नाम बतायें तो उसके बारे में जानकारी करके बता दूंगा।

श्री लूणाराम : आसलसर।

श्री फूलचन्द जैन : वर्तमान में गांधी आश्रम सुजानगढ़ का काम कौन कर रहा है ?

श्री मूलचन्द : पहले संस्था के मंत्री थे, उनका देहावसान हो गया है और जो दूसरे मंत्री हैं वह अपना काम चला रहे हैं।

श्री फूलचन्द जैन : संचालक मण्डल की क्या स्थिति है ? मंत्री का देहावसान हो गया और दूसरे मंत्री काम कर रहे हैं तो यह बतायें कि फिर संचालक मण्डल की क्या स्थिति है ?

श्री दलपतसिंह (खारली) : दूसरे मंत्री का क्या नाम है ?

श्री मूलचन्द : यह प्रश्न अलग है। इस मामले में जो सूचना चाही है वह अलग से जब आप मुझसे पूछेंगे, मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री फूलचन्द जैन : मैंने पूछा है। आप जानकारी करके जब भी ठीक समझें बता दें।

श्री लूणाराम : आपने ऊन कताई का अनुपात बताया है क्या यह मान लिया जाय कि जितनी ऊन की लोगों को आवश्यकता होती है उतनी ऊन गांधी आश्रम दे रहा है या गांधी आश्रम व्यवस्था नहीं कर पा रहा है।

श्री मूलचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कताई का जहां तक सवाल है मंत्री का देहावसान होने की वजह से कमी आई थी लेकिन अब जनवरी महीने में जो उनकी संख्या बढ़ी है वह लगभग 1019 हो गयी है और उसमें उनको रोजगार दिया है वह 14451 रुपया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री विद्यासागर।

उदयपुर-रतनपुर, उदयपुर-डूंगरपुर बस रूटों का नेशनेलाइजेशन करना

98. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उदयपुर-रतनपुर, उदयपुर-डूंगरपुर, डूंगरपुर-रतनपुर बस रूट को नेशनेलाइजेशन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि भविष्य में राज्य सरकार नये परमिट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ही देगी ?

(3) राज्य सरकार को उक्त रूटों को नेशनेलाइज करने में क्या दिक्कत आ रही है?

(1) **यातायात मंत्री** (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां, निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना दिनांक 1-8-72 को प्रकाशित कर दी गई है। योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पत्रों की सुनवाई पश्चात् योजना के अनुमोदित होने पर इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जावेगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 5-2-73 को एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी मार्ग पर यदि निगम अनुज्ञा-पत्र (परमिट) लेना चाहे तो निजी बस मालिकों के मुकाबले में उसे प्राथमिकता दी जावे।

(3) उक्त मार्गों के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना प्रकाशित कर दी गई है। योजना के अनुमोदित होने पर इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री अमृतलाल गहलोत।

खानें कैंसिल कराने के आदेश की अवहेलना

99. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिव उद्योग एवं खनिज (ख) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा संचालक, खान एवं भूगर्भ विभाग, राजस्थान, उदयपुर को लिखे गये पत्र संख्या एफ 14/68/उद्योग/ख/65 दिनांक 25 जनवरी, 1668 जिसका विषय 'काली बेरी ग्राम रोड़ तिवरी बैजनाथजी के पास तथा आबादी के ऊपर खानें कैंसिल कराने हेतु' है पर अभी तक चार वर्ष पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार के उपरोक्त आदेश का पालन न करने के लिये कौन कर्मचारी उत्तरदायी है और अब उक्त आदेश को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1968 में दो आदेश थे। एक तो कुछ खानों को आबादी क्षेत्र घोषित करने के व किसी को न देने के थे तथा दूसरे इन्हें किसी को भी न देने के आदेश थे। कुछ खानें तो आबादी क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये थीं जो विषय जिलाधीश महोदय को सौंपा हुआ था तथा यह इस विभाग का विषय ही नहीं है।

उपरोक्त पत्र में वर्णित कुछ खानें जो आदेश से पहले दी हुई थीं उनका नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया गया तथा इस वक्त भी उक्त खानों का नवीनीकरण किसी के द्वारा मन्जूर किये हुए नहीं हैं।

कब तक उक्त खानों का क्षेत्र आबादी क्षेत्र घोषित हो जाता है यह रेवेन्यू विभाग से संबंध है।

(2) खनिज विभाग का कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह आदेश जो जारी किया गया है अपने संचालक के नाम पर इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किस की है खनिज विभाग की या कलेक्टर की ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग जो आबादी में क्षेत्र घोषित किया जाने वाला था उसमें 21 माइनिंग

(श्री जुझारसिंह)

लीजेज थीं उसमें से 7 पर किन्हीं आदमियों को लीज दी हुई थी। उनको आदेश दिये गये थे कि इन लीजेज को रिन्यू नहीं किया जाय। जहां तक परिवर्तन करने का प्रश्न है यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सम्बधित है। उन्हीं को लिखा गया था कि इसका परिवर्तन कर दो।

श्री अमृतलाल गहलोत : किसने लिखा ?

श्री जुझारसिंह : माइनिंग विभाग ने।

श्री अमृतलाल गहलोत : रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जुझारसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो कार्यवाही होनी है वह अभी तक नहीं हो पाई है। जहां तक खनिज विभाग का सम्बन्ध है, हमने कार्यवाही करके रिन्युअल नहीं किया।

श्री अमृतलाल गहलोत : वह कार्यवाही कौन करवायेगा ? आपने तो लिख दिया है।

श्री जुझारसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक बार नहीं, छः बार लिखा है, इसकी डेट्स भी मेरे पास हैं, रिमाइण्डर किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली कार्यवाही तो कलेक्टर करने वाला है। फिर लिख दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर।

श्री हरिदेव जोशी : यह गारन्टी नहीं है। माइन्स डिपार्टमेंट ने अपना कार्य कर दिया है। माइन्स डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका एक्वीजिशन नहीं करना चाहता है तो माइन्स डिपार्टमेंट मजबूर नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर।

खानपुर के भीमसागर तथा हरिश्चन्द्र बांधों को पूरा करने सम्बन्धी प्रावधान

100. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ में भीमसागर बांध के निर्माण कार्य पर 40 लाख रुपये तथा हरिश्चन्द्र बांध पर भी काफी व्यय किये जाने के बावजूद भी ये अधूरे पड़े हैं जब कि इनको पूरा करने के लिए सरकार पूर्ण कटिबद्ध है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजना में इनको पूरा करने का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

1. यह सही है कि भीमसागर बांध के निर्माण कार्य पर करीब 40 लाख एवं हरिश्चन्द्र बांध पर 63 लाख व्यय हुआ है। ये दोनों बांध अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं।

2. पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। जिसमें इन योजनाओं को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जायगा।

श्री गौरीशंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 लाख और 60 लाख रुपया खर्च होना बताया गया है दोनों बांधों पर काम होने का लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि मेरी समझ में नहीं आता कि जो बहुत जरूरी बांध हैं जिनसे गरीबों को राहत मिलेगी उस काम को आप टालते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विचाराधीन हैं। आप यह कह दीजिए कि पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जाएगा या नहीं ताकि

(श्री गौरीशंकर)

लोगों को कह सकें। इसमें हमारी पोजीशन बहुत खराब होती है।

दूसरा निवेदन यह है कि इस बांध पर जो सीमेंट की बोरियां आई थीं वे बोरियां ट्रक में भर्ती हुई पकड़वाई गईं और दुकान में इरिगेशन की जो सीमेंट की बोरियां रखी हुई थीं उनको पकड़वा दी गई लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं किया गया। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार रोक रहे हैं। भ्रष्टाचार को पकड़वाते हैं तो कार्यवाही कुछ नहीं होती, उसका नतीजा कुछ नहीं होता।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): जो सीमेंट की बोरियां चोरी की पकड़वाई गईं उसकी सूचना तो अभी तक हमारे पास नहीं है। यह अलग से सवाल है। आपकी सूचना आने पर इसकी जांच करा लेंगे।

मैं भी मानता हूं कि बांध अधूरे हैं और ये बहुत जरूरी हैं। इनका काम सन् 54 में शुरू किया गया था और 54 में शुरू करने के बाद इसमें एकसी फोन ऐसा आया जिसमें यह पाया गया कि इसकी नींव में ऐसी चट्टानें हैं जो कुछ तो बहुत सख्त हैं और कुछ चट्टानें कमजोर हैं जिस पर नींव लग नहीं सकती थी। इसलिए इसका परीक्षण कराया गया और इसके नमूने सी०पी० डब्ल्यू०डी० में भेजे गये हैं। उसके बाद अभी 1970 में फिर काम शुरू कराया गया तो फिर तीन सीर ऐसी आईं जिनको परीक्षण कराने के लिए भेजा गया है।

इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसको लेकर इसका काम पूरा करा देंगे, यह मैं कह सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: कितने वर्षों तक•••

श्रीमती निर्मला कुमारी: ऐसे बांध राजस्थान में कितने अधूरे पड़े हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: कितने वर्षों तक कार्य बन्द रहा 1954 के बाद?

श्री गौरीशंकर: मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मंत्री महोदय फरमाते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि सीमेंट की बोरियां पकड़ी गईं। मेरे पास रिकार्ड मौजूद है। कलेक्टर ने मुझको लिखकर दिया हुआ है कि उन्होंने मंत्री महोदय और चीफ सेक्रेट्री को लिख दिया है और आप कहते हैं कि मालूम ही नहीं है। मुझे अफसोस है कि सीमेंट की बोरियां पकड़ी गईं, खुद मैंने रूबरू मन्त्री महोदय से कहा और आप कहते हैं कि लिखकर भिजवा दें। अफसोस इस बात का है। सरासर इसमें भ्रष्टाचार है और आप कहते हैं कि उनको पकड़ कर बताओ तो पकड़ कर क्या करें? हम तो बदनाम हों और गवर्नमेंट करे कुछ नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह हो क्या रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: सीमेंट पकड़ी गई है तो सख्त कार्यवाही करेंगे और दोषी को सजा देंगे।

श्री गौरीशंकर: कब करेंगे? आठ महीने तो हो गए।

श्री केशरीमल (ब्यावर): आप कह रहे हैं कि आपको सूचना ही नहीं है तो फिर कार्यवाही आप क्या करेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसका जिक्र तक नहीं है इसमें। यह अलग से सवाल है। आप पूछेंगे तो जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): पांच लाख के घोटाले की बात पहले भी

Page No. 12

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

यहां असेम्बली में रखी गई। पांच लाख बड़ी भारी रकम है लेकिन इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? आप फर्मा रहे हैं कि जिक्र तक नहीं है। इस तरह से पैसा बर्बाद किया जा रहा है, 16 साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है। एक करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है दो बांधों पर लेकिन आज तक अधूरे पड़े हुए हैं। तो एक करोड़ रुपये खर्च करने का क्या मकसद है ? ऐसी गलत प्लानिंग हुई तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है ?

श्री लूणाराम : मंत्री महोदय यह बतावें कि इसकी जांच कितने अर्से में करा देंगे ? निश्चितरूप से बतावें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सूचना प्राप्त होने पर तीन महीने में करवा देंगे।

(माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। श्री शंकर लाल, पाली।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय अध्यक्ष ...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

प्र० सं० 101

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्रीमती मदनकौर।

प्रश्न सं० 103।

श्रीमती मदनकौर :

श्री अध्यक्ष : पहले मालाराम हैं।

श्री मालाराम।

नीम का थाना तहसील में बांध व तालाबों का निर्माण

102. **श्री मालाराम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् 1967 से लेकर अब तक नीम का थाना तहसील में कौन कौन से नये बांध व तालाब बनाये गये और किन किन की मरम्मत कराई गई ?

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों को बांध बनवाने तथा मरम्मत करवाने के प्रदत्त धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो कृपया यह बताया जाय कि सन् 67 से लेकर अब तक पंचायत समिति को सिंचाई विभाग से कब कब किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी धनराशि दी गयी और उसका कब कब कितना कितना उपयोग हुआ ?

(ग) क्या बांधों, तालाबों आदि के सम्बन्ध में इस तहसील का कोई सर्वे हुआ है ? यदि हां, कृपया सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द): (क) 1967 के बाद नीम का थाना तहसील में रायपुर बांध बनवाया गया है। रायपुर, भूडोली अपर रेला और लोअर रेला बांधों की प्रति वर्ष मरम्मत कराई गई।

(ख) पंचायत समितियों के तालाबों और बांधों के लिए सिंचाई विभाग को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। सिंचाई विभाग ने पंचायत समिति को कोई धनराशि नहीं दी।

(ग) इस तहसील में जिन बांधों का सर्वे हुआ है उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मालाराम : सिंचाई मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रेला बांध

(श्री मालाराम)

और रायपुर बांध में कितना बांध बांध दिया गया हैं ?

श्री मूलचन्द : रायपुर बांध में जो काम किया है उसके लिए आवंटित राशि 9 लाख 73 हजार थी और इस तहसील में पुराने बांध जिसमें रेला अपर रेला और लोअर रेला बांध हैं इनकी प्रति वर्ष मरम्मत कराई गई है। बाकी कितना रुपया खर्च हो चुका है यह सूचना इसमें अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री मालाराम : मन्त्री महोदय, रेला की कोई मरम्मत नहीं कराई गई है। रेला बांध के लिए जो धन राशि दी गई हैं उसकी जांच कराइए, रेला बांध में आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई है।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : या वह राशि रेले में चली गई।

श्री मूलचन्द : जिस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक उन की मरम्मत का सवाल हैं इसको क्रेश प्रोग्राम में लिया गया है, अकाल राहत कार्यक्रमों में लिया गया और रेगुलर वर्क्स में भी लिया गया है। जैसा कि रायपुर जागीर और दूसरी सागर की मोहरी की बात है इसको अकाल राहत में भी लिया गया है और बराबर मरम्मत की तरफ ध्यान रखा जा रहा है।

श्री मालाराम : मन्त्री महोदय, आज तक काम शुरू नहीं हुआ है और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके काम को जल्दी शुरू किया जावे।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इस तरह का काम जिसे कि क्रेस प्रोग्राम में लिया जाय, अकाल राहत के काम में भी करवाया जाय और तीसरी तरफ रेगुलर वर्क्स में भी रखा जाय तो तीन तीन तरफ से धनराशि खर्च करने पर भी काम पूरा नहीं हो तो आखिर यह क्या घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

श्री मूलचन्द : यह काम खुने हैं जिन में इसको लिया गया है और इसके ऊपर नए सिरे से भी पैसा लगाया गया हैं। इसके साथ एडीशन्स भी किए गए हैं, कहीं नहरें बनानी है तो कहीं दूसरे काम हैं। इसलिए इसमें लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

बाड़मेर जिले की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

103. **श्रीमती मदनकौर (पंचपदरा) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू शिक्षा सत्र में बाड़मेर जिले की प्राथमिक शालाओं में कितने अध्यापकों के पद रिक्त रहे ?

(2) इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये ?

(3) इन प्रयासों के फल स्वरूप अब तक कितने पदों पर भर्ती की जा सकी ? क्या राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारी के बावजूद भी इन पदों के रिक्त रहने के कारणों का अध्ययन किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तात्कालिक और लम्बे समय के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

Page No. 14

पंचायत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : 1. पंचायत समितिमों के अधीनस्थ तथा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ चलने वाली पाठशालाओं में क्रमश: 121 एवं 42 अध्यापकों के पद रिक्त रहे।

2. पंचायत समिति के अधीनस्थ पाठशालाओं में रिक्त स्थानों का जहां तक सम्बन्ध हैं सेवा चयन आयोग द्वारा इन पदों के लिए 32 अध्यापकों का चयन कर लिया गया है तथा 62 अध्यापक जो अजमेर व सीकर जिलों से चयनित हुए उनका चयन परिवर्तन कर जिला बाड़मेर के लिए आवंटन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नियोजन कार्यालय के बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों की सूची जिला परिषद् द्वारा मंगवा कर पंचायत समितियों को भेजी गई हैं। शिक्षा विभाग के अधीनस्थ पाठशालाओं के रिक्त पदों के लिए जिला नियोजन कार्यालय से प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की गई, परन्तु प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण उपलब्ध नहीं हो सके।

3. पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए 31 अध्यापकों को नियुक्ति आदेश दिए जा चुके हैं एवं बाड़मेर जिला परिषद् द्वारा 62 अध्यापकों का पंचायत समिति वाइज आवंटन शीघ्र ही किया जा रहा है। प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण ये पद रिक्त रहते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए नए प्रत्याशियों को 8 माह का अल्प प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इससे शिक्षिक बेरोजगार प्रशिक्षित हो सकेंगे और पद रिक्त नहीं रहेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मार्च में कब तक पहुंच जायेंगे ?

श्रीमती मदनकौर : 65 अध्यापकों को बाड़मेर जिले के लिये आवंटित किया जा रहा है। यह कब तक हो जायेगा क्योंकि यह सत्र तो समाप्त होने जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : आवंटित कर दिया गया है। अब जिला परिषदों द्वारा पंचायत समिति को किया जायेगा।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर शिक्षित बेरोजगार काफी संख्या में है और एक तरफ अध्यापकों के पद रिक्त है। क्या राज्य सरकार इस प्रश्न पर ध्यान देगी।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। दरअसल स्थिति ऐसी ही है। एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल बीच में ज्यादा लोग ट्रेन्ड होने की वजह से बन्द हो गये थे। अब इनको वापिस स्टार्ट कर दिया गया हैं। अभी ट्रेन्ड लोगों की कमी है जबकि भरतपुर, अलवर, जयपुर और सीकर में ये लोग ज्यादा हैं और बाड़मेर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं।

श्रीमती मदनकौर : राज्य सरकार को इस प्रश्न पर क्या आपत्ति है ? इन अध्यापकों के पद को अनट्रेन्ड ग्रेजुएट्स से भर लिया जावे अस्थायी तौर पर और उनके साथ यह शर्त लगा दी जाये कि दो साल के अन्दर वे ट्रेनिंग पूरी कर लें।

श्री हरिदेव जोशी : इसका उत्तर शिक्षा मंत्री ही दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

सवाई माधोपुर जिले की सहकारी समितियों पर बकाया कर्ज

104. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले की विभिन्न सहकारी समितियों पर अलग अलग कितना कर्जा बाकी है ? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि कई सहकारी समितियों में गबन, अनियमितता, चोरी आदि के कारण समिति का पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ? यदि हां तो उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि सहकारी विभाग ने इस जिले की कुछ रकम बट्टे खाते डाल दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार सारे मामले की जांच कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देकर कर्जा वसूल करने के प्रयास करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। अतएव इसको पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

श्री बनवारी लाल।

टोंक शहर के धन्ना तलाई की सड़क पर व्यय

105. श्री बनवारी लाल (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक शहर में से जो जयपुर-कोटा रूट निकलती है उस पर बड़े कुए से धन्ना तलाई के बीच की सड़क पर सन् 1970 से 1972 तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(2) इस धनराशि के अपव्यय के लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या इसकी जांच की गई ?

(3) क्या सड़क के इस टुकड़े को बनाने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक तैयार हो जावेगी ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री हरिदेव जोशी):

1. वर्ष 1970 से 1972 तक 99983 रुपये व्यय हुए हैं।

2. कोई अपव्यय नहीं हुआ है।

3. सड़क का टुकड़ा पहले से बना हुआ है।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछूंगा कि क्या उनको यह मालूम है कि यह कितना लम्बा टुकड़ा है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपको क्या जानकारी है ?

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय यह करीब 200 गज लम्बा टुकड़ा है जिस पर कि 99 हजार रुपया खर्च हो गया है। जिस पर पुलिया बनी, सड़क बनी और उसके बाद भी वहां पर गड्डे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपके प्रश्न के बाद ऐसा मुझे मालूम पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। अगर आप विशेष जानकारी देकर मदद कर सकें तो आभारी होऊंगा।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय आप कोटा पधारते होंगे तो आपने इसको देखा होगा।

श्री हरिदेव जोशी : आम तौर पर मैं शहर में होकर नहीं जाता हूं। बायपास से निकल जाता हूं। जो सड़क आप बनवाना चाहते हैं मेहरबानी कर के आप सलाह दें। एक तरफ तो क्रेश प्रोग्राम का पैसा लेप्स होता है और दूसरी तरफ सड़कों की मेन्टीनेन्स नहीं हो पाती है। आप जिन सड़कों को प्रायोरिटी दिलाना चाहते हैं वह बता दीजिये।

श्री गौरी शंकर मुनीम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि पैसा लेप्स होता है यह किसके जरिये से होता है। इसके लिये क्या कलेक्टर, इन्जीनियर जिम्मेवार नहीं हैं या विधान सभा के सदस्य जिम्मेवार हैं? आप किस पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं हमेशा कहते हैं कि पैसा लेप्स हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आप से थोड़े ही कह रहे हैं। आप क्यों अपने उपर ले रहे हैं।

श्री गौरी शंकर मुनीम : यह भारत सरकार का पैसा है••••••

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक सचेष्ट विधायक के नाते इनको कष्ट हो रहा है।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय यह दो सौ गज का टुकड़ा है जो कि स्टेट हाई वे पर स्थित है। इस पर 70 में एक पुलिया बनाई गई थी और सड़क को ऊंचा किया गया। पास ही जो बस्ती है उन लोगों ने कहा कि आप इसको ऊंचा क्यों कर रहे हैं। इतना ऊंचा क्यों बनाते हो इससे हमारा मोहल्ला डूब में आ जायेगा। तब इन्जीनियरों ने कहा कि यह एक टेक्नीकल मामला है। आप लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। फिर वर्षा हो गई और उसके साथ जो मोहल्ला लगता था उसमें पानी घुस गया, मकान गिर गये और सामान बह गया। उसके बाद उस सड़क को तोड़ा गया, पुलिया को भी तोड़ा गया। इस दो सौ गज के टुकड़े पर इतना रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है। इसके बाद 72 में सीमेंट कांक्रिट की सड़क तैयार की गई परन्तु वह सड़क भी आज समाप्त हो गई है और दो दो हाथ गड्डे पड़ गये हैं। ऐसी खराब हालत में यह सड़क है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत लाल।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसीलिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उससे ऐसा मालूम होता है इन्जीनियरस ने विचारपूर्वक काम नहीं किया है। मैं इसकी जांच करूंगा और आवश्यक कदम उठाऊंगा।

प्रश्न संख्या 106

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरूंलाल।

अकलेरा तहसील में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा तहसील में गत पांच वर्षों में किस किस सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(श्री भैरूंलाल)

(2) अकलेरा सब डिवीजन में अकलेरा क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिये बजट में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और इस धन का अकलेरा क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग हुआ ?

(3) अकलेरा मनोहरथाना अकलेरा सालपुरा अकलेरा खिलचीपुर व अकलेरा खानपुर रोड की मरम्मत कब हुई थी ? इस समय इन सड़कों की दशा क्या मरम्मत तलब है ? तथा गत पांच वर्षों में इन सड़कों की मरम्मत में कितना धन व्यय हुआ ?

(4) इस क्षेत्र अकलेरा में सड़कों की नालियों व खालों की पुलियाओं का निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि महाराजपुरा सड़क की नालियों की पुलियाओं का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि को भी उक्त कार्य में खर्च नहीं कर लेप्स कर दी गई है ?

(6) झालावाड़ जिले के भवानीमन्डी और पिडावा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितनी धनराशि निर्माण कार्यों में लगाई गई !

(7) क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों में भवानीमन्डी और पिडावा क्षेत्र को सदैव ही प्राथमिकता इस कारण से दी जाती रही है कि इन क्षेत्रों से जिला प्रमुख तथा मन्त्रीगण पदासीन होते आये हैं।

(8) क्या यह भी सही है कि अकलेरा क्षेत्र में यातायात और इसके साधन उक्त (पिडावा और भवानी मन्डी) दोनों क्षेत्रों में अधिक है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की सड़कों एवं पुलियाओं आदि की मरम्मत व निर्माण कार्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? और इस क्षेत्र की उपेक्षा की जाने का क्या कारण है ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची (अ) में प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 72-73 में स्वीकृत धनराशि सम्बन्धी सूचना सूची (अ) में अंकित है।

(3) सूची (ब) प्रस्तुत है। सड़कों की हालत अधिक अच्छी नहीं है।

(4) अर्थभाव के कारण।

(5) वर्ष 72-73 में 5000/- रुपये का प्रावधान है। अभी वर्ष समाप्त नहीं हुआ है।

(6) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां। उपलब्ध धनराशि के अनुसार मरम्मत व निर्माण कराया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरूंलाल : मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न सीधा सा है। अकलेरा डिवीजन, पिडावा डिवीजन—इन दोनों की जो स्वीकृत शुदा धनराशि है उनमें इन पांच सालों में अन्तर रहता आया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने सूची आपको दे दी है। अन्तर आया है तो देख लीजिये।

Page No. 18

श्री गौरीशंकर मुनीम : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकलेरा खानपुर जो सड़क है उसकी हालत ऐसी है कि आपने उस पर 92 हजार रुपया तो खर्च कर दिया है। अफसोस है इस बात का कि एक दो मील पर आपने 92 हजार व्यय किया है परन्तु हालत ऐसी है कि लोग ठोकर खाकर मर जाते हैं। जानवर वहां चल नहीं सकते। यह कहा जाता है कि पैसा नहीं है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे जिले हैं वहां पर सड़कें अच्छी हैं, बढ़िया सड़कें है, उनके लिए पैसा कहां से आता है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के माननीय सदस्य मिले थे। उनका यह कहना था कि वहां पर रोड्स की हालत बहुत खराब हैं इसलिए इसको ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मैंने जो भी सीमित साधन थे, बजट पेश होने के बाद, वहां पर जो प्राविजन था उससे यह सवाया कर दिया है और अब झालावाड़ जिले में एक हाइएस्ट अलोकेशन कर दिया है। वह 15 लाख 35 हजार का है। इतना दूसरे जिलों को नहीं किया गया है। यह झालावाड़ ही एक जिला है। इसके बावजूद आज भी मैंने इन्जीनियर्स को कहा है कि अगले वर्ष का क्रेश प्रोग्राम बनते ही झालावाड़ की सारी रोड्स की मेजर रिपेयर्स का काम हाथ में लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिये सर्वे

108. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिए विस्तृत सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब और किस एजेन्सी द्वारा ?

(2) यदि बाड़मेर जिले में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा खनिज सम्पदा की खोज के लिए सर्वे किया हो तो सर्वे रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार को बाड़मेर जिले की खनिज सम्पदा से कितनी आय विभिन्न खनिजों से होती है ? प्रत्येक खनिज का विवरण देते हुए गत पांच वर्षों के आय के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री खनिज विभाग (श्री जुझार सिंह): (1) राज्य सरकार बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिए सर्वे कराने का विचार रखती है। बाड़मेर जिले का अधिकतम भाग रेतीला होने से सर्वे के विशेष तरीके अपनाये जाना जरूरी है। पिछले दो वर्षों में राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने सिलिसिएस अर्थ के कुछ एरिया का प्रारम्भिक सर्वे किया। इसके पहले थोब में सेलेनाइट के भण्डार बाबत कार्य किया गया है। अब इस कार्य को अधिक सुचारु रूप से चलाने हेतु बाड़मेर जिले में वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक एवं कनिष्ठ भू-वैज्ञानिक को लगाया जा रहा है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की खोजने के लिए

(श्री जुझारसिंह)

सर्वे किया गया है लेकिन यह सर्वे विशेष-तौर पर (बेन्टोनाइट) और (फुलर्स अर्थ) के लिए किया गया है। केन्द्रीय सरकार के ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया विभाग ने इस बाबत रिपोर्ट छापी है। जो सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कराया गया सर्वे अभी अपूर्ण है अतः सर्वे रिपोर्ट का कार्य पूरा होने पर ही तैयार की जावेगी।

(3) पिछले 5 वर्षों में बाड़मेर जिले की खनिज सम्पदा से जो आय हुई उसका विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय सरकार ने सर्वे किया है उस रिपोर्ट की प्रति जो है मुझे तो प्राप्त नहीं हुई। अगर प्राप्ति हो तो उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार बाड़मेर जिले में खनिज की खोज के लिए सर्वे कराने जा रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में कब तक कदम उठायेंगे ?

श्री जुझारसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि एक सीनियर ज्योलोजिस्ट और एक जुनियर ज्योलोजिस्ट आपके यहां सर्वे के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं शार्टली।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : शार्टली मीन्स ?

श्री जुझार सिंह : इसी साल में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसी वक्त ज्योलाजिस्ट मुकर्रर करके सर्वे का कार्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री जुझारसिंह : ज्योलाजिस्ट मुकर्रर ही इसलिए किया जाता है कि सर्वे कार्य करें।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि किसी जिले में कोई खनिज होने की सम्भावना के क्या आधार हैं और उसके लिए किसको लिख कर दिया जाता है या विभाग अपने ढंग से करता है ?

श्री जुझार सिंह : प्रास्पेक्टिंग करते हैं और वहां पर किसी तरह की सम्भावना हो तो डिटेल में सर्वे किया जाता है।

श्री लूणाराम : क्या इस प्रकार की राजस्थान के सारे जिलों की सर्वे करा ली गई है ?

श्री जुझार सिंह : सीमित साधनों से जितना हो सकता है उतना किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

अलवर जिले में सड़कों का निर्माण

109 श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में सन् 1962 से अब तक किस किस नई सड़क के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(2) इन स्वीकृत सड़कों में किस-किस का निर्माण हो चुका है और कौन-कौन सी सड़क का निर्माण नहीं हुआ और क्यों ?

(3) इस साल बाढ़ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अलवर जिले में कितना कितना धन किस किस सड़क के लिए मंजूर किया गया है ? कृपया सूचि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या बानसूर तहसील की सड़कों की मरम्मत व नई सड़कें बनाने के लिए सरकार से प्रार्थना की गई थी और सरकार ने उनका तखमीना भी बनवाया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या सरकार इस जिले के उपेक्षित क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण व मरम्मत में आयन्दा खयाल रखेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित कर दी गई है। निर्माण कार्य अर्थाभाव के कारण पूरा नहीं हुआ।

(3) सूची (ब) प्रस्तुत है।

(4) जी हां, विचाराधीन है।

(5) उपलब्ध धनराशि के अनुसार सड़क निर्माण व मरम्मत की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 66 से अब तक सिर्फ मेरे यहां 2 मील की सड़क मन्जूर हुई है और उसका भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : पूरा करवा देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक मंजूरी नहीं हुई है 66।

श्री हरिदेव जोशी : 66 से अबतक की बात मैं देखूंगा और इसको पूरा करा दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मरम्मत के लिए अर्ज करूंगा कि सब सड़कें खराब हो रही हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मरम्मत करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की वसूलियां

110. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों की अकालग्रसित क्षेत्रों में भी वसूलियां की जा रही हैं ? अगर हां, तो क्या वसूलियां करने से काश्तकारों को कठिनाइयां उठानी नहीं पड़ती ? अगर हां, तो इस बारे में भविष्य में क्या नीति अपनाना चाहेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह सत्य है कि अगर लगातार अकालग्रसित क्षेत्रों की बैंकों ऋणों की वसूलियां स्थगित करवाना चाहे तो सरकार को रिजर्व बैंकों को गारन्टी देनी पड़ेगी ? अगर हां, तो सरकार ऐसी गारन्टी देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसी गारन्टी कब तक दी जाकर वसूलियां स्थगित करवा दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा अकालग्रसित क्षेत्रों में वसूलियां करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाना चाहती है ?

(4) सहकारी केन्द्रीय बैंकों की नींव मजबूत करने के लिए सरकार निकट भविष्य में क्या क्या कदम उठाना चाहेगी ?

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री जुझार-सिंह) : (1) जी हां, किन्तु राज्य सरकार द्वारा अकाल घोषित कर दिये जाने पर काश्तकारों को कठिनाई से बचाने के लिए नियमानुसार अल्पकालीन ऋण की वसूली न की जाकर मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है और मध्य-कालीन ऋण को रिफेज कर दिया जाता है।

(2) जी नहीं, लगातार अकालग्रसित क्षेत्रों की बैंक ऋणों की वसूलियां यदि बैंक स्थगित करवाना चाहे तो राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की गारन्टी देने पर भी रिजर्व बैंक द्वारा स्थगित नहीं की जाती है। अतः इस हेतु गारन्टी दी जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा अकालग्रसित क्षेत्रों में वसूलियां करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गारन्टी दी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) सहकारी केन्द्रीय बैंकों की नींव मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना को राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नियमानुसार हिस्सा पूंजी अंशदान भी दिया जाकर उन्हे सुदृढ बनाया जा रहा है। कृषि स्थिरता कोष में भी भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वी-कृत की जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो एक बड़ी गम्भीर समस्या है। जहां पर 7-8 साल से लगातार अकाल है वहां पर शार्ट-टर्म लोन का मिड टर्म लोन में कन्वर्ट करें तो उसकी भी मयाद खत्म हो गई तो उसके बारे में सहकारी बैंकों को किस तरह से चलाया जाय। ऋण तो मिल नहीं सकता और अकाल है इसलिए वसूलियां बन्द हो जाती हैं। तो इस बारे में राज्य सरकार ने क्या विचार किया है या राज्य सरकार इस बारे में क्या सोच रही हैं ? कोई स्कीम बनाई है ? इस बारे में कुछ सोचा है क्या ?

श्री जुझारसिंह : जो कुछ भी प्राव-धान है वह यह है कि चूंकि ऋण रिजर्व बैंक से मिलता है तो उनके नियम हैं कि शार्ट टर्म लोन को कन्वर्ट करके मिड टर्म लोन कर दिया जाय और मिड टर्म लोन को

(श्री जुझार सिंह)

रिफेज कर दिया जाय ताकि जिस साल अकाल हो उस साल वसूली न होकर दूसरे साल में करें और फिर अकाल हो तो तीन साल का मिड टर्म लोन है उसको 5 साल के लिए रिफेज किया जाता है। राज्य सरकार गारन्टी देने को तैयार है लेकिन रिजर्व बैंक मानने वाली नहीं है इसलिए राज्य सरकार की मजबूरी है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि इस बारे में कि साल दर साल अकाल पड़ता है और 5 साल तक लगातार अकाल पड़ जाने के बाद में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि ऋण चुकाया नहीं जा सकता है तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक कमेटी फार्म की है वह इस बात की स्टडी कर रही है कि इस तरह के जो क्रानिकल फेमीन अफेक्टेड एरिया हैं और जहां पर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। इस कमेटी में हमारा प्रतिनिधि भी मेम्बर है। वह रिपोर्ट विचाराधीन है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एकमात्र यही संस्था है जिसके मारफत वहां लोगों को ऋण मिलता है और कोई ऐसा बैंक नहीं है जो पूरे एरिया के अन्दर लोन दे सकता हो। इसलिए मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर के यह जो जिले हैं वहां पर बैंकों द्वारा लोनिंग वगैरह की क्या परिस्थिति है वह आप खुद महसूस कर सकते हैं। वसूलियां नहीं होती है और आगे ऋण मिलता नहीं है। काश्तकारों को इस बारे में क्या राहत देना सम्भव है?

श्री जुझारसिंह : अकाल का प्रश्न है तो उन बैंकों पर ओवरड्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाती है इसलिए रिजर्व बैंक उनको पैसा नहीं देता है। उसमें जब तक रिकवरी न हो तब तक बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह की फेमीन कन्डीशन्स के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है एक एक कमेटी बनाई हुई है वह इस बारे में स्टडी करेगी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं निवेदन करने की स्थिति में हो सकूंगा।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): शार्ट-टर्म लोन जो दिया जाता है वह उसी परपज में लगाया जाता है तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है। जैसे खाद और बीज के लिए ही शार्ट टर्म लोन दिया जाता है तो खाद और बीज तो खरीदा नहीं और अगर खरीदते हैं और खेत में डालते है तो उससे तो प्रोडक्शन बढ़ता है, मगर वह डालते नहीं और पैसा दूसरे काम में लगा देते है तो राज्य सरकार इस बारे में क्या अनुभव कर रही है?

श्री जुझार सिंह : यह अलग से प्रश्न है। जिस परपज के लिए लिया जाता है उसी में लगाया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने यह जो जवाब दिया है और 5 साल की यह जो कार्यवाही शुरू करने की बात कही है यह कब तक हो जायगी।

श्री जुझार सिंह : इसके बारे में मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं। रिजर्व बैंक की टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। टाइम लिमिट नहीं दी जा सकती है।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसानों को सहायता देने वाली सिर्फ यही एक मात्र संस्थाए हैं और उनके द्वारा ही उनको ऋण मिलता है। वही एकमात्र संस्था हैं जो उनको ऋण देती है और सरकार ने वसूली बन्द कर दी है इससे बैंकों से सोसाइटीज को ऋण नहीं मिलता है। इस स्थिति में मैं यह मांग करता हूं कि मंत्री महोदय सरकार के सामने यह विचार रखें और केन्द्रीय बैंक से वसूली स्थगित करने की बात करें।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न सरकार के सामने जरूर है। रिजर्व बैंक का यह नियम है कि शार्ट टर्म लोन को मिड टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाय और इसके बाद भी वसूली नहीं हो सकती है तो रिजर्व बैंक कुछ रिलेक्सेशन दे सकता है या नहीं इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण उनके सामने रखा जा सकता है। पोजिटिवली कोई आश्वासन देने की परिस्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरन्जननाथ आचार्य।

श्री गिरराज प्रसाद (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव बैंकों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है और उसका जिक्र आडिट रिपोर्ट में भी आता है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आपने पहले क्यों नहीं पूछा। श्री निरन्जननाथ आचार्य।

श्री गिरराज प्रसाद : उससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है यह बड़ा गहन प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार क्या कर रही है ? क्या आप मेरे इस प्रश्न को न्याय संगत नहीं समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरन्जन नाथ आचार्य।

श्री गिरराज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का जिक्र आता है ....

श्री अध्यक्ष : श्री निरन्जन नाथ आचार्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : प्रश्न संख्या 111।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास में लिखित में नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अभी लिख देता हूं।

प्रश्न संख्या 111

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं। श्री निरन्जन नाथ आचार्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 112

श्री भंवरलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्त सिंह नाहर : प्रश्न संख्या 112 भंवरलाल एब्सेन्ट हैं। मैं पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष : लिखित में है क्या आपके पास ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं मुलाहिजा करा दूंगा।

(श्री यशवन्तसिंह)

"If on a question being called, it is not asked, or the member in whose name it stands is absent, the Speaker may, at the request of any member, direct that answer to it be given."

श्री अध्यक्ष : आगे नहीं वही है ।

प्रश्न संख्या 113

एस० डी० एम० जैतारण द्वारा गलत निर्णय

113. श्री सुखलाल सैंगचा (जैतारण) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश पाली द्वारा एस. डी. एम. जैतारण श्री महावीर जैन को वार्ड पंचों द्वारा प्रस्तुत सुमेल पंचायत के उप सरपंच श्री उम्मेदसिंह के विरुद्ध रखे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिये अधिकारी नियुक्त किया था ?

(2) क्या यह सही है कि एस. डी. एम. जैतारण ने दिनांक 2-1-73 को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वार्ड पंचों की बैठक ग्राम पंचायत सुमेल के मुख्यालय सुमेल, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली में आमन्त्रित की थी ?

(3) क्या यह सही है कि दौरान बैठक वार्ड पंचों ने एस. डी. एम. श्री जैन को दो वार्ड पंचों श्री गुलाबसिंह एवं श्री नेना के इस्तीफा स्वीकृत होने की डिप्टी डी. डी. ओ. पाली के पत्र द्वारा सूचना दी थी ?

(4) क्या यह सही है कि सुमेल पंचायत के वार्ड पंच श्री चतुरराम जिनका निधन 3 वर्ष पूर्व हो चुका है वह जिलाधीश द्वारा उक्त स्थान को रिक्त घोषित कर दिया है ?

(5) क्या यह सही है कि पंचायत के वार्ड पंचों की सदस्य संख्या पंचायत के कुल पंचों की निर्धारित संख्या जो निश्चित है न होकर जितने पंचायत के वास्तविक पंच हैं, मेम्बर ऑफ पंचायत होल्डिंग दी ऑफिस और अविश्वास के प्रस्ताव के दौरान उन्हीं की संख्या के आधार पर लिया ?

(6) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. जैतारण श्री महावीर जैन ने जो बैठक आमन्त्रित की थी उसमें उपस्थित होकर 6 वार्ड पंचों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया जब कि पंचायत सुमेल के आफिस होल्डिंग वार्ड पंचों की संख्या मय सरपंच के 10 है और 10 में से 6 वार्ड पंचों द्वारा प्रस्ताव के हक में मतदान से प्रस्ताव पारित होना विधिनुसार था पर श्री जैन ने प्रस्ताव को गिरा हुआ माना व उप सरपंच श्री उम्मेदसिंह जिसके विरुद्ध नियमानुसार प्रस्ताव पारित हो गया था नहीं मानकर श्री उम्मेदसिंह को उप सरपंच बरकरार मानते हुए कार्य करते रहने के आदेश दिये ? अगर हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि श्री गुमानमल, सरपंच सुमेल स्वयं जैन है जो उपसरपंच का पूर्ण रूपेण समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं के प्रभाव एवं अनुचित प्रलोभन में आकर एस.डी.एम. जैतारण श्री जैन ने ऐसा गलत निर्णय लिया जो सर्वथा अवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक प्रणाली के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी):

1. जी हां, बैठक अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा आमंत्रित की गई थी और एस. डी. एम. उस बैठक के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये थे।

2. जी हां। बैठक अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी पाली द्वारा आमन्त्रित की गई थी।

3. जी हां।

4. जी हां।

5. जी नहीं। कुल सदस्यों की संख्या को आधार माना गया।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री हरिदेव जोशी : अभी बहुत लम्बा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न नहीं है, यह तो द्रोपदी का चीर है।

श्री हरिदेव जोशी : 6. जी हां। 6 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। पंचायत में वर्तमान में कार्य कर रहे पंचों की संख्या मय सरपंच 10 होने से 6 वार्ड पंचों द्वारा प्रस्ताव के हक में मतदान करने से प्रस्ताव पारित होना था जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका नं० 357 सन् 1965 में जिसका निर्णय दिनांक 12-8-66 को हुआ, यह माना कि कुल पंचों की संख्या से तात्पर्य कार्य कर रहे पंचों से है न कि पंचायत की कुल निर्धारित संख्या से—परन्तु एस.डी.एम. ने पंचायत के पंचों की मय सरपंच के निर्धारित संख्या 13 होने से व 6 पंचों द्वारा ही प्रस्ताव के हक में मतदान करने से, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सन् 1960 में श्री गोकुलचन्द बनाम मुख्य पंचायत अधिकारी के मामले में यह निर्णय देने से कि पंचों की कुल संख्या से तात्पर्य पंचायत के पंचों की कुल निर्धारित संख्या से है, प्रस्ताव को पारित नहीं माना।

7. श्री गुमानमल सरपंच जैन है। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि वे उप-सरपंच का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं या नहीं। जहां तक एस. डी. एम. के विरुद्ध किसी के प्रभाव एवं अनुसूचित प्रलोभन में आकर गलत निर्णय लेने का प्रश्न है, यह आरोप सही नहीं है क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिया वह सन् 1960 में उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर था और यह सम्भव हो सकता है कि उन्हें उच्च न्यायालय के सन् 1966 के निर्णय की जानकारी न हो।

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं एस.डी.एम. साहब को हाईकोर्ट का फैसला बताया। उसमें पंचों की संख्या स्ट्रेंथ से नहीं है। मेम्बर आफ पंचायत होल्डिंग दी आफिस से है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं डिपार्टमेंट से इग्जामिन करा रहा हूं।

श्री केसरीमल : कई पंचों को कई दिनों तक गायब रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न संख्या 114

भाखम बांध के नीचे की जमीन का अलाटमेन्ट

114. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की मांजी साहिबा को 1967-68, 1968-69 में कलेक्टर उदयपुर ने भाखम बांध के नीचे जमीन अलॉट की थी ?

(2) यदि हां, तो कितनी जमीन किन नियमों के तहत आवंटित की गई ? यह जमीन कुल कितने मूल्य की थी ?

(3) क्या यह सही है उस समय के कलेक्टर ने उपरोक्त जमीन अपनी स्त्री के नाम से खरीद ली ? यदि हां, तो यह जमीन कितनी राशि में खरीदी गई ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन में हजारों रुपये के सागवान के पेड़ खड़े थे ? तथा ये पेड़ हजारों रुपये में बेच दिये गये ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): 1. जी नहीं । अलबत्ता मांजी साहबा चौहान श्रीमती चांदकुंवर भीण्डर तहसील वदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को उनकी जागीर के बिल एवज भूमि अवश्य आवंटन की थी जो भाखम बांध के कमाण्ड क्षेत्र में नहीं थी ।

2. जैसा प्रश्न के खण्ड (1) में बताया गया है यह जागीरदार के निर्वाह भत्ते के लिये राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 14 से 16 व 18 के तहत समय समय पर खुदकाश्त हेतु तहसील धारियावद के ग्राम बिलकावास व दास के गुड़े में निम्न प्रकार भूमि आवंटित की—

(1) 75 एकड़ भूमि

(2) 61 एकड़ भूमि

(3) 20 एकड़ भूमि

उस समय इस भूमि का मूल्य अनुमानतः 30,000 रु० था ।

3. जी हां, उपरोक्त भूमि में से केवल 45 बीघा भूमि 5,000 रु० में खरीदी थी ।

4. जी हां, प्रश्न के खण्ड (2) में उल्लिखित भूमि में अनुमानतः 12,000 रु. की कीमत के वृक्ष थे जिन्हें श्रीमती चांद कुंवर द्वारा बेचा जाना पाया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहला प्रश्न तो यह है कि यह जो भूमि भाखम बांध प्रोजेक्ट एरिया में गई थी तो यह तो पता होगा कि यह प्रोजेक्ट एरिया में आयेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो आज तक नहीं आई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरी जानकारी में नहीं आई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि कलेक्टर ने अपनी स्त्री के नाम से जमीन खुद खरीद ली ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : खुद ने नहीं खरीदी । 45 बीघा भूमि कलेक्टर की वाइफ के द्वारा खरीदी गई है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या राजस्थान सरकार की ओर से यह सिफारिश भेजी गई थी कि यह जमीन कलेक्टर की वाइफ को दे दी जाये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह खुद काश्त करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इसकी सूचना व्हाया कलेक्टर राज्य सरकार को नहीं होती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : होती है। जो जांच हुई है, उसमें उनको निर्दोष पाया गया है। फिर विजीलेन्स कमीशन के द्वारा जांच करा ली है। अब एण्टीकरप्शन विभाग के द्वारा हो रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : विजीलेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है ? क्या वही है जो पहले कलेक्टर थे ?

श्री रोशनलाल शर्मा : जैन किस पद पर हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जांच करने वाला वही कलेक्टर, फिर वही सेक्रेटरी विजीलेंस कमीशन होकर चला जाय तो फिर जांच कैसे होगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : विजीलेंस कमीशन से निर्दोष पाया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रिटायरमेंट के पहले ही सेक्रेटरी अपाइण्ट हो गये। अगर यह रिटायर हुये होंगे उससे पहले ही यह केस तय हो चुका है। जो कलेक्टर थे वही विजीलेंस कमीशन के सेक्रेटरी, जिन्होंने जमीन एलाट करवा ली, वही सेक्रेटरी, उसने उसे अपनी जांच से बाहर निकाल दिया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया, रेवेन्यू बोर्ड से जांच हुई उसमें निर्दोष पाया गया, विजीलेंस कमीशन की जांच में निर्दोष पाया गया। अब एण्टीकरप्शन में जांच है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रश्न यह है, वही सेक्रेटरी बना हुआ है। वह निर्दोष नहीं होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, मेरी जांच मैं स्वयं करूं और यह घोषणा करूं कि निर्दोष पाया गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच काफी हुई है। आप चाहें तो चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड से जांच करवा लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं इसके पहले ......

श्री हरिदेव जोशी : एण्टीकरप्शन में हो रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो बताइये, 45 बीघा जो जमीन खरीदी है उसकी कीमत इस समय कितनी है ?

श्री हरिदेव जोशी : एक प्रश्न साफ हो जाना चाहिए। अगर आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड जो इसकी हायेस्ट ओथेरिटी हैं, उनको जांच के लिये अपाइन्ट किया जा सकता है।

श्री फूलचन्द जैन : सवाल यह है कि मंत्री महोदय ने बताया है कि कितनी बार जांच कराई है, वह निर्दोष पाया गया है।

Page No. 28

(श्री फूलचन्द जैन)

67 से 69 में यह जमीन एलाट की गई है। यह भाखम बांध में नहीं आई है। अब भी मैं कहना चाहता हूं, कलेक्टर ने यह जानकार होकर ही कि यह जमीन आने वाली है उस भूमि को खरीदा है। इतने वर्षों में मंत्री महोदय यह बताने में समर्थ नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि कमान्ड एरिया में नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या राज्य सरकार ने इसके लिये स्वीकृति दी है। कलेक्टर ने जमीन ली तो क्या उसने राज्य सरकार से स्वीकृति ली है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। इसका सारा रिकार्ड एण्टीकरप्शन में है।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप यह तो जानते हैं कि जमीन खरीदने के लिए उसे राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, यह तो जरूरी है।

श्री रोशनलाल शर्मा : फिर आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह रिटायर हो चुके हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : रिटायरमेंट के बाद पेंशन के ऊपर असर पड़ सकता है।

श्री केदारनाथ : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, आपने रेवेन्यू बोर्ड से जांच करा ली, विजिलेन्स कमीशन से जांच करा ली तो फिर एन्टीरकप्शन से जांच कराने की क्या जरूरत पड़ गई ? जब दो डिपार्टमेंट ने जांच कर ली, मैं नीति का सवाल पूछ रहा हूं, जब रेवेन्यू बोर्ड ने जांच कर ली, विजिलेंस कमीशन ने जांच कर ली तो फिर एन्टीकरप्शन से जांच कराने की क्या जरूरत पड़ गई ? यह क्या ओवर हैड एजेंसी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह केस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में था, इसलिए एन्टीकरप्शन को दिया, जैसा हाण्डा साहब कह रहे हैं, औरों की जांच को वह नहीं मानते, एन्टीकरप्शन की जांच को मानते हैं इसलिए एन्टीकरप्शन को सौंपा गया, जिससे इसमें और सच्चाई हो तो वह निकाल ली जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न का पहले आने ...

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है। एक मामले की एक दफा जांच हुई, दो दफा जांच हुई, तीन दफा जांच हुई, आखिर जांच का एण्ड तो होना चाहिए। यह सरकार के सोचने की बात है, देअर मस्ट बी एन एण्ड टू योअर इन्क्वायरी। इन्क्वायरी होकर एक स्टेज आनी चाहिए, यह कहना चाहिए, यह मामला समाप्त है, रेस्ट जुडीकाटा, किसकी इन्क्वायरी हो। सरकार कहती जाय, तांता इन्क्वायरी का लगा हुआ रहे तो देअर इज नो एण्ड टू इट, इट मे लास्ट इन टेन ईअर्स, इन ट्वन्टी ईअर्स। यह तो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। यह मंत्री महोदय, आपकी सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है। मुझे तो संतोष नहीं है इस व्यवस्था से, आखिर एक दफा जांच करें, दो दफा जांच करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि एन्टीकरप्शन से इसकी जांच कराई जाय ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हाण्डा जी तो समाप्त नहीं हो गए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर जिले के सार्वजनिक चरागाहों पर अनाधिकृत कब्जा

91. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में सन् 1967 से कितने सार्वजनिक चरागाहों को अनधिकृत रूप से कब्जे में लिए जाने की घटनायें हुई हैं ?

(2) इस प्रकार के अनधिकृत कब्जों से सम्बन्धित कितने मामलों में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए ?

(3) अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय द्वारा कितने मामलों में चरागाहों को समाप्त करने के निर्णय दिए गये ?

(4) इस प्रकार के अतिक्रमण के कितने मामलों में बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं वास्तव में कितनी बेदखलियां की गई ?

(5) राज्य सरकार इन चरागाहों पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को अविलम्ब बेदखल करने एवं बोई गई फसलों को कुर्क करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान की फसलें

93. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शत प्रतिशत दो फसल कितनी भूमि में है ?

(2) क्या उसका जिलेवार विवरण राज्य सरकार के पास उपलब्ध है ?

(3) क्या यह शत प्रतिशत इन्टेन्सिटी या इससे कम इन्टेन्सिटी प्रत्येक खेत या उसके खण्ड पर भी लागू होगी ?

(4) क्या इस तरह के कुल विवरण काश्तकार के हिसाब से राज्य सरकार के पास उपलब्ध है ? यदि नहीं है, तो इसको तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

(स्थगित किया गया)

बूचारा बांध

95. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील में बूचारा बांध को ऊंचा करने के बारे में सर्वे किया गया था तथा क्या विभाग ने इसको

(श्री सुरेशचन्द्र)

ऊंचा करने का निर्णय लेकर इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध में मिट्टी भर गई है और इसकी सफाई होना सम्भव नहीं है तथा पानी बहुत कम रुकता है जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन जो इससे पूर्व में सिंचित थी वहां पानी नहीं पहुंचता है ?

उत्तर

(1) जून, 1972 में बूचारा बांध को ऊंचा करने के लिए केपेसिटी सर्वे की गई है। बांध को ऊंचा करने और मिट्टी की सफाई करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। प्रस्ताव की अन्तिम स्वीकृत होने के बाद ही कार्य शुरू करने के बारे में कुछ कहना सम्भव होगा।

(2) जी हां। मिट्टी की सफाई और बांध को ऊंचा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पानी भरने की क्षमता में कमी हुई है, परन्तु पिछले 10 वर्ष में सिंचाई में कमी नहीं हुई है।

पाली जिले के गांवों का विद्युतिकरण

101. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में इस वर्ष किन-किन गांवों में विद्युतिकरण किये जाने हेतु कार्य प्रारम्भ किन-किन तारीखों में किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन गांवों में कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया गया व जिन गांवों में इस वर्ष कार्य सम्पूर्ण हुआ उनकी स्वीकृतियां किन-किन तारीखों में की गई ?

(3) क्या यह सही है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी स्वीकृतियां कार्य चालू किये जाने वाले गांवों से भी पूर्व की है वहां अभी तक कार्य चालू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से और किन कारणों से कार्य चालू नहीं किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न की जा रही है।

(2) सूची 'अ' संलग्न की जा रही है।

(3) जी हां। कुछ गांव ऐसे रह गये हैं जिनमें कुछ तकनीकी कारणों से कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है जिनकी स्वीकृति इस वर्ष कार्य चालू किये जाने वाले गांवों से भी पूर्व की है। सूची, 'ब' संलग्न की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

उपजिलाधीश हिन्डौन के विरूद्ध शिकायतें

106. श्री भरतलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उप जिलाधीश हिण्डौन, हिण्डौन में कब से इस पद पर हैं तथा इससे पूर्व में कहां-कहां रहे और इनके विरूद्ध वहां की कौन-कौन सी शिकायतें सरकार के विचाराधीन चल रही हैं ?

(श्री भरतलाल)

(2) कार्यालय उपजिलाधीश, हिंडौन में कितने केसेज पैन्डिंग में चल रहे हैं और उन केसेज में से उपजिलाधीश ने कितने केसेज अपने कार्यालय में निपटाये हैं।

(3) क्या यह सच है कि उपजिलाधीश, हिण्डौन, केसेज का निपटारा कोर्ट में न कर अपने घर बोली लगाकर करते हैं।

(4) क्या यह सच है कि उक्त उपजिलाधीश के घर से एक चोरी की कार पुलिस द्वारा बरामद की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या यह सच है कि उपजिलाधीश, हिन्डौन ने भूमि आवन्टन में एक ट्रस्ट के कार्य में भारी घोटाला किया है ?

उत्तर

(1) वर्तमान उपजिलाधीश, हिंडौन श्री जयकुमार जैन दिनांक 28-11-72 से इस पद पर हैं। इससे पूर्व वे जिन जिन संस्थाओं में रहे उसकी सूची संलग्न है। वर्तमान उपजिलाधीश, हिण्डौन के विरूद्ध अपने पिता श्री लक्ष्मणलाल को तहसील सिकराय व जयपुर में भूमि आवन्टित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर विभागीय जांच सरकार के विचाराधीन है।

(2) श्री जयकुमार जैन, उपजिलाधीश, हिण्डौन के कार्यालय में कुल 1355 केसेज विचाराधीन हैं व 1279 केसेज निपटाये गये हैं।

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) श्री जयकुमार जैन उपजिलाधीश हिण्डौन के यहां से पुलिस ने चोरी की कोई कार बरामद नहीं की है।

(5) श्री जैन के सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अस्थाई डाइवर्शन रोड बनाने पर व्यय

111. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1970-71 व 1971-72 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत किस किस ठेकेदार को किस-किस सड़क के सम्बन्ध में अस्थायी डाइवर्शन रोड बनाने हेतु कितने-कितने रुपये का कब कब भुगतान किया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन डाइवर्शन रोड्स में से कितने आइटम्स का एक्सट्रा आइटम्स के रूप में भुगतान किया गया ?

(3) उक्त रोड निर्माण के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित करते समय डाइवर्शन रोड्स के लिये प्रावधान क्यों नहीं रखा गया ?

(स्थगित किया गया)

हाथी भाटा (भीलवाड़ा) बांध का निर्माण

112. श्री भंवर लाल भदादा (भीलवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाथी-भाटा, तहसील भीलवाड़ा बांध का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ है और कब समाप्त हुआ है ?

Page No. 32

(श्री भंवरलाल भदादा)

(2) क्या इस बांध से सिचाई प्रारम्भ हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो नहरों के निर्माण कार्य में क्यों देरी हो रही है ?

(3) इस बांध के डूब में आये हुये लोगों को उनकी जमीन, कुओं और मकानों का क्या मुआवजा मिल चुका है ? यदि नहीं मिला तो क्यों देरी हो रही है ? यदि मुआवजा मिल गया है तो किन-किन गांवों में किन-किन लोगों को किस-किस का ?

उत्तर

(1) हाथी भाटा बांध का निर्माण कार्य जून, 1968 को प्रारम्भ हुआ और सितम्बर, 1971 को पूर्ण हुआ।

(2) जी हां। सिचाई प्रारम्भ हो गई है और नहरों का निर्माण कार्य भी हो चुका है।

(3) डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है जिसकी सूची संलग्न है। कोई मकान इस बांध की डूब में नहीं आता और डूब में आने वाले कुओं को खातेदार रखना चाहते हैं अतः कुओं और मकानों के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टौंक जिले में गृह-निर्माण सोसाइटियों का गठन

44. श्री बनवारी लाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टौंक जिले में कितनी गृह निर्माण सोसाइटियों का गठन हुआ तथा उनमें से कितनों को अब तक ऋण दिया जा चुका है ?

उत्तर

टौंक जिले में 18 गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन हुआ तथा उनमें से 6 समितियों को अब तक ऋण दिया जा चुका है।

देवस्थान विभाग के मकानों में किरायेदार

45. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवस्थान विभाग द्वारा दिये गये मकानों में कितने सरकारी कर्मचारी कितने-कितने किराये पर और कब से रह रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(2) देवस्थान विभाग, राजस्थान के मकानों में कितने गैर सरकारी व्यक्ति कितने-कितने किराये पर और कब-कब से रह रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवा सहकारी समिति समर्थली तहसील छोटी सादड़ी द्वारा ऋण वितरण

46. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम सेवा सहकारी समिति समर्थली, तहसील छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

द्वारा कितना ऋण किन-किन व्यक्तियों को 69 से 72 तक दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

ग्राम सेवा सहकारी समिति समर्थली, तहसील छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जिन व्यक्तियों को वर्ष 69 से 72 तक ऋण दिया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मिनरल कन्सेशन्स रूल्स 1959 के तहत लाइम स्टोन व मारबल के खनन पट्टे

47. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मिनरल कन्सेशन्स रूल्स, 1959 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने लाइम स्टोन व मारबल के खनन पट्टे जो चार स्क्वायर माइल या उससे अधिक हैं, कितने व किन-किन व्यक्तियों को किन-किन शर्तों पर कितने-कितने डेड रेन्ट से व कितने-कितने समय तक के लिये दिये गये हैं ?

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये खनन पट्टों की सूची मय आदेशों की प्रतियों के साथ सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) सूची साथ में संलग्न है जिसमें वांछित सूचना अंकित की गई है ।

(2) सूची मय आदेश प्रतियों के साथ संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरगढ़ जिला चूरू में वन विभाग द्वारा एक कुए का निर्माण

48. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ (चूरू) में विभाग द्वारा एक कुए का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर वर्ष वार कितना-कितना खर्च हुआ और कुल कितना कार्य हुआ ? एस्टीमेट कितने का व किस अधिकारी द्वारा पास करवाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस कुए में पानी आ गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । चूरू जिले में डूंगरगढ़ में 1971-72 में एक कुआ स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण कराया गया । इस पर 1971-72 वर्ष में 61065 रु० 55 पैसे खर्च हुए । कुआं 140 फिट गहरा निर्माण हुआ है । कुंआ-निर्माण तथा पंपिंग सेट लगाने का 65000 रु० व्यय का प्रस्ताव मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर

Page No. 34

(वन मंत्री)

द्वारा पास करवाया गया था। बाकी राशि से कुए पर पम्पिंग सेट लगाने की कार्यवाही इस वर्ष कराई जा रही है।

(2) जी हां। कुए में पानी आ गया है। पानी अभी लगभग 15 फिट कुए में है।

पंचायत समिति खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा तालाबों का निर्माण कार्य

49. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) । क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खेरवाड़ा, जिला उदयपुर ने कई तालाबों का निर्माण अपने बजट से व अकाल सहायता के बजट से कराया है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से तालाब हैं जिनका निर्माण पंचायत समिति द्वारा कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन में से कई तालाबों से सिंचाई भी होती है ? यदि हां, तो वे कौन 2 से तालाब हैं। जिनसे पिलाई वसूल की गई ? सन् 68 से सन् 71 तक की सूची तालाब का नाम, व्यक्ति का नाम, कितने बीघा भूमि तथा कितनी पिलाई की, रकम वसूल की गई, दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पिलाई के मांग पत्र तहसील में भेजे जा चुके हैं। वसूली की कार्यवाही जारी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

निवाई तहसील जिला टोंक की वन विभाग की भूमि पर सघन वन सम्पदा

50. श्री बनवारीलाल (निवाई): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निवाई तहसील में वन विभाग की कितने एकड़ भूमि है।

(2) निवाई तहसील में कितने एकड़ भूमि पर सघन वन सम्पदा है।

(3) निवाई तहसील में वन विभाग की कितनी भूमि पर काश्तकारों का अतिक्रमण है।

(4) क्या राज्य सरकार जिस वन भूमि पर सघन पेड़ नहीं है जंगलात से निकालने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) 9644 एकड़।

(2) 1886 एकड़।

(3) 537 एकड़ वन भूमि पर कृषक का अतिक्रमण है।

(4) वन भूमि को काश्त हेतु वन मुक्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एक

(वन मंत्री)

जिला स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है जिसमें स्थानीय जिलाधीश, जिला प्रमुख तथा मण्डल वन अधिकारी भूमि के कृषि हेतु वन मुक्त करने पर पूर्ण विचार कर निर्णय लेते हैं। निवाई तहसील में स्थित वन भूमि के वन से निकालने के सम्बन्ध में भी उक्त समिति प्रत्येक मुआमले में स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने हेतु सक्षम है।

दौसा लालसोट के मध्य विद्युत् विभाग द्वारा गाड़े गये बिजली के खम्भे

51. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि दौसा लालसोट के मध्य कई साल पहले गाड़े गये बिजली के खंभे आज भी ज्यों के त्यों गड़ रहे हैं जबकि विद्युत् प्रसार हेतु दूसरे नये खम्भे गाड़े जा रहे हैं।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार बचत को ध्यान में रखकर उक्त खम्भों को नीलाम करने या उखड़वाने की व्यवस्था करेगी। यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यदि नहीं। इन खम्भों को काम में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सन् 1973-74 में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का आधार

52. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1973-74 वर्ष में कुल कितने औषधालय खोले जावेंगे और इनके खोलने का क्या आधार होगा ?

(2) क्या औषधालय खोलने में रेगिस्तानी पिछड़े क्षेत्र—बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, नागौर जिलों का विशेष ध्यान रखा जायगा ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1973-74 में नवीन औषधालय खोलने के लिए बजट में प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सीमा-सड़क परियोजना के तहत 1 जनवरी 1971 से 31 मार्च 71 तक ठेकेदारों को भुगतान

53. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा-सड़क परियोजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1971 से लेकर 31 मार्च, 1971 तक किस-किस ठेकेदार को किस-किस कार्य के लिए कितनी रकम का भुगतान किया गया है ?

(2) इस रकम से ठेके की रकम के अतिरिक्त कितना-कितना एक्सट्रा आइटम्स का भुगतान किया गया ?

(3) एक्सट्रा आइटम्स का भुगतान उपयुक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से

श्री निरंजन नाथ आचार्य)

किया गया या नहीं ? यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति किस किस भुगतान के सम्बन्ध में कब कब प्राप्त हुई थी ?

(स्थगित किया गया)

उदयपुर जिले की भीम तहसील के फौजी पेन्शनर्स

54. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम तहसील के फौजी पेन्शनर्स के लिए हर तीसरे महिने की ग्यारह तारीख फिक्स है ?

(2) क्या यह सही है कि यदि इस प्रकार फिक्स तारीख को राजकीय अवकाश रहा, अधिकारी व्यक्तिगत अवकाश पर रहा या भ्रमण पर चला गया तो इस प्रकार एक विधवा पेन्शनर या वृद्ध पेन्शनर इस महंगाई के युग में दो या तीन दिन तक ठहर सकेगा ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस निश्चित तिथि को हटाने की व्यवस्था करेगी ?

(3) भीम तहसील में विभिन्न प्रांतों से आये पुलिस पेन्शनर्स की एरियर, ग्रेच्युटी क्रेडिट इन्क्रीज इत्यादि मिलने वाली रकमों का समय पर भुगतान नहीं होता, क्या सरकार समय पर वितरण व्यवस्था कराने की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष आठ "ए" श्रेणी के वेलफेयर आर्गेनाइजरों की नियुक्ति की है जब कि उदयपुर जिला सोल्जर्स बोर्ड सैक्रेट्री के अन्तर्गत 4 जिले हैं और इसमें केवल भीम तहसील में ग्यारह हजार सेवारत व अवकाश प्राप्त सैनिक हैं फिर भीम में 'ए' श्रेणी के वेलफेयर आर्गेनाइजर की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

उत्तर

1. जी नहीं। हर तिमाही भुगतान के लिये दिनांक 11 से 24 तारीख याने 14 दिन फिक्स हैं। यह तिथि पेन्शनर्स की सुविधानुसार निश्चित की हुई है और उसकी सूचना उन्हें दे रखी है।

2. उपरोक्त निर्धारित 14 दिनों में यदि राजकीय अवकाश होता है तो, उसके दूसरे दिन भुगतान किया जाता है। यदि एक अधिकारी इन दिनों में ड्यूटी पर नहीं रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में अन्य अधिकारी को पेन्शन के भुगतान के पावर्स दे दिये जाते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

3. इस प्रकार के प्राप्त भुगतान आदेशों की पालना समय पर की जाती है। इस समय किसी का भी भुगतान करना शेष नहीं है।

4. जी हां, सन 1964 से आठ 'ए' श्रेणी के सचिव जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक मंडलों के लिए आठ ही वेलफेयर वर्कर। ओर्गेनाइजर्स के पद स्वीकृत हैं। सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यदि संभव हुआ तो भीम में भी नियुक्ति के बारे में नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

Page No. 37

देवगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ताल का मोखम सागर तालाब

55. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की देवगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तालका मोखम सागर तालाब क्या भूतपूर्व जागीरदार का है या ग्राम पंचायत का या राज्य सरकार का ?

(2) क्या यह सही है कि मोखम सागर तालाब से सिंचित भूमि का आबियाना भू-राजस्व के साथ फिक्स किया हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि ताल के भूतपूर्व जागीरदार हर वर्ष तालाब भरने पर इस तालाब के पानी को अपना पेटा काश्त करने के उद्देश्य से खाली कर देते हैं जबकि काश्तकारों को फिक्स आबियाना बिना सिंचाई के भू-राजस्व के साथ देना पड़ता है ?

(4) इस संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत ताल द्वारा जो कार्यवाही की गई उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया ?

(5) क्या राज्य सरकार काश्तकारों से वसूल की गई आबियाने की रकम उन्हें वापस दिलायेगी जो काश्तकारों से अब तक वसूल की गई है क्योंकि जागीरदार द्वारा पानी निकाल देने से सिंचाई आज तक हुई ही नहीं ? क्या भविष्य में आबियाना वसूल न करने के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की पंचायत समिति देवगढ़ की ग्राम पंचायत ताल का मोखम सागर तालाब खसरा नं० 141/1 होकर वितानाम रेकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार यह तालाब राज्य सरकार का है किन्तु चूंकि जागीरदार इसे अपनी निजी सम्पत्ति में मानता है और इस कारण यह मामला Subjudice है और जागीरदार ने राजस्व मंडल में अपील की हुई है जो विचाराधीन है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) इस बारे में राजस्व मंडल से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(5) जांच कराने पर यथोचित कार्यवाही कराया जाना संभव होगा।

तहसीलदारों का स्थानान्तरण

56. श्री मीठा लाल (लालसोट): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि राज्य में कई एक तहसीलदार ऐसे हैं जिनका प्रायः साल में दो बार या प्रति साल स्थानान्तर कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सच है कि कई स्थानान्तर हुए तहसीलदारों को आठ आठ महीने से टी. ए. व डी. ए. उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक मिल जावेंगे ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(क) साधारणतया एक तहसीलदार का स्थानान्तरण दो वर्ष के बाद किया जाता है। किन्तु कई बार उसकी अपनी स्वयं की परिस्थितियोंवश अथवा प्रशासनिक कारणों से दो वर्ष से कम समय में भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में बजट प्रावधान के अभाव के कारण टी. ए. डी. ए. मिलने में देरी हुई है।

(ग) आशा है टी. ए. बिलों का भुगतान कुछ महिनों में हो जावेगा।

मौजूदा भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत पाली जिले में प्राप्त की गई भूमि

57. श्री मोहनराज (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में लागू मौजूदा भू-सीलिंग कानून के अधीन कितनी भूमि राज्य को प्राप्त होगी?

(2) कृपया पाली जिले की सात तहसीलों में इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि का विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा और मालाराम, सदस्य विधान सभा ने जोधपुर में अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों का राशन जब्त करने और उनके साथ मार-पीट करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने पी. डब्ल्यू. डी. के कायलाना स्थित रेस्ट हाउस गेंगहट के चौकीदार तथा बागवान और पम्प ड्राईवर की मारपीट के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) सर्व श्री मूलचन्द सामरिया तथा लक्ष्मीनारायण, सदस्य विधान सभा ने कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारी समिति बामडोली हरनेर, तहसील थानागाजी के नाम से तथा ग्राम पंचायत मालूताणा के सरपंच द्वारा चीनी व गेहूं ब्लेक में बेच देने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) सर्व श्री प्रतापसिंह व मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने किशनगढ़ तथा दौसा में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य इन्हें आगामी बजट की बहस पर उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री जीयिंग भाई तथा श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा ने कुशलगढ़

(श्री अध्यक्ष)

जिला बांसवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय पर अकाल की स्थिति पर हो रहे धरने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने किशनगढ़, जिला अजमेर, में मिल मजदूरों पर पुलिस द्वारा दिनांक 22-2-73 को लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन दोनों प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय दिया जायगा।

(7) सर्वश्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल व सुरेशचन्द्र, सदस्य विधान सभा ने जमवारामगढ़ व बस्सी क्षेत्र के काश्तकारों को जमवारामगढ़ व बांध से होने वाली सिंचाई सुविधा के सम्बन्ध में दिनांक 20-2-73 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जब एक पूरा का पूरा अनुसूचित जाति का तबका राशन से वंचित कर दिया जाय, अकाल के समय में उनको राशन न दिया जाय और उनका सिर फोड़ दिया जाय, यह जो दलित जाति है इसके बारे में हमारे संविधान में प्रावधान है, हम विशेष प्रावधान करते हैं कि अधिक से अधिक उनको राहत मिले, भुखमरी और अकाल के समय में ऐसी घटना हो, और मैं समझता हूं, सरकार और प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाय तो इससे अधिक लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता है। कम से कम मंत्री महोदय इसके बारे में जांच करें। वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में इस समय भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या उन्होंने यह अपराध किया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति में जन्म लिया ? क्या ईश्वर के यहां अनुसूचित जाति में जन्म होना उनका अपराध है ? उनको राशन नहीं दिया, उनका राशन जब्त कर लिया जाय, उनका सिर फोड़ दिया जाय इस प्रश्न की, इस बात की जांच करके मंत्री महोदय हाउस को स्थिति बतायें। मेरा निवेदन है कि दलित जाति के लोगों को राशन पूरा मिले, तीन किलो, डेढ़ किलो, एक किलो जो भी मिलता है वह नहीं मिलेगा तो विकराल स्थिति उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्री महोदय को आदेश फर्मायें कि वह इसकी जांच करायें। यह केवल जोधपुर का प्रश्न नहीं है, बारां में टूंटी के ऊपर उनके साथ मारपीट की जाती है, कहीं अन्य स्थान पर महिला को नंगी करके घुमाया जाता है, वह महिला दलित जाति की थी। यह गम्भीर प्रश्न है, इसलिए मैं समझता हूं, मंत्री महोदय इसकी जांच करें और जांच कराने का आप उन्हें आदेश दें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, स्टेट के टाइम से जमवारामगढ़ बांध से जमवा रामगढ़ और बस्सी क्षेत्र को पानी मिलता था...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री मूलचन्द सामरिया : चार लाइन में निवेदन करूंगा।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

इसके बावजूद वहां से उस बांध का पानी जयपुर शहर में दिया लेकिन वहां के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई। इसके कारण हजारों बीघा भूमि सूख रही है, किसानों की बुरी हालत हो रही है। कांडराना बांध की दौसा में स्वीकृति हुई थी, मैं नहीं समझता कि बारम्बार घोषणा करने के बावजूद, इस बांध की स्वीकृति हो जाने के बाद में भी इसका काम प्रगति पर नहीं है और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कब काम पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार राजनैतिक दृष्टि से सोचना बन्द करे और आदेश करे कि इस बांध को जल्दी पूरा किया जाय। जमवारामगढ़ से जमवा रामगढ़ बस्सी और दौसा तहसील के लिए पानी बन्द किया गया है, तो ढूंढ नदी के पानी को ऐसी जगह रोका जाय जिससे तीनों तहसीलों को, जिनकी जमवारामगढ़ से सिंचाई होती थी, उस सिंचाई की पूर्ति की जा सके। मैं निवेदन करूंगा, दौसा में जलदाय योजना 1972 में डाइरेक्टर पम्पिंग की बात मन्त्री महोदय ने लिखित में कही थी, उसका आदर नहीं कर रहे हैं, उसको ओनर नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस जलप्रदाय योजना को पूरा किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, कायलाना के रेस्ट हाउस के गेंगहट के चौकीदार और उसके अन्य साथियों के साथ मारपीट की गई वहां के लोगों के द्वारा, उसके सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भेजा है। कई घटनायें ऐसी घटती जा रही हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ...

श्री अध्यक्ष : बजट डिस्कशन के समय उठा लीजिए इस प्रश्न को। अभी कहने की बात नहीं है।

श्री केसरीमल : बजट डिस्कशन के समय क्या उठाऊं। इसकी मन्त्री महोदय जांच करें। कर्मचारियों को कोई मारे, और वह भी पुलिस अधिकारी का लड़का हो, मन्त्री का लड़का हो ...

श्री अध्यक्ष : बजट डिस्कशन के वक्त उठाने का प्रश्न है।

श्री केसरीमल : ऐसा मामला बजट डिस्कशन के वक्त उठाने का नहीं हो सकता। मन्त्री महोदय का जांच करने के बाद इसी सम्बन्ध में बयान आना चाहिए। यह मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक माननीय सदस्य !

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : कुशलगढ़ के अन्दर अकाल की अव्यवस्था के कारण अकाल से पीड़ित लोगों का धरना चल रहा है, उसके बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है ...

श्री अध्यक्ष : आपका नामन्जूर नहीं किया है।

श्री जीथिंग : मैं निवेदन करना चाहता हूं, पन्द्रह तारीख से यह धरना चल रहा है, लेकिन अब तक धरने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं दी है। क्या इस तरह की रिपोर्ट आपके पास अब तक पहुंच जाना जरूरी था या नहीं ? दूसरी बात यह है कि 19 तारीख को भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और उसके ऊपर आपने जिले की स्थिति की

(श्री जीथिंग)

जानकारी देने के लिए एक व्यवस्था दी थी, लेकिन अब तक उस बारे में कोई जानकारी आपके माध्यम से हमारे पास नहीं आयी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार स्वयं अगर इस तरह की लापरवाही करे और लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग जहां मर सकते हैं····

श्री अध्यक्ष : आ गई बात।

श्री जीथिंग : हजारों की तादाद में जाकर धरने पर लोग बैठे रहते हैं, सारे दिन भूखे पेट बैठे रहते हैं और शाम को निराश होकर उन्हें घर लौटना पड़ता है। यह स्थिति चलती रही तो हजारों की तादाद में लोग भूख से मरेंगे और उसके कारण अराजकता और लूट खसोट चलेगी जो आपके और हमारे लिए उचित नहीं हो सकती है। इसलिए इस स्थिति को आप रोकें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री जीथिंग : इसको रोकने के लिये सरकार का फर्ज है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है····

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया था कि आपका नामंजूर नहीं हुआ है।

श्री जीथिंग : नामंजूर नहीं हुआ है····

श्री अध्यक्ष : भाषण की इस पर जरूरत नहीं है।

श्री जीथिंग : मैं निवेदन करूं··

श्री अध्यक्ष : लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री जीथिंग : इसकी जांच करायें और सदन में इसकी कब तक जानकारी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही।

श्री जीथिंग : जल्दी से जल्दी समय निश्चित बता दें, इसकी तत्काल जांच करा लीजिये।

श्री मालाराम (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, अकाल के कारण हमारे जिले की जनता बहुत परेशान भूख से है और सबसे भयंकर पानी की स्थिति खराब हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस प्राणी को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है तो वह कैसे बच सकता है और अपने मवेशियों को कैसे बचा सकता है। प्राणी को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो तो वह प्राणी कैसे बच सकता है····

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय·······

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : जगह जगह पर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, बामरौली और धानी में चीनी का खुलकर ब्लेक किया जाता है, सहकारी समिति के नाम से चीनी अलाट करा कर ब्लेक किया जाता है। सरकार प्रस्ताव को भले ही नामन्जूर कर दे, लेकिन अगर इसकी इन्क्वायरी नहीं हुई तो यह घी में आग

(श्री मूलचन्द सामरिया)

डालने का काम करेगी । दोषी लोगों को सख्त से सख्त दंड दिया जाये ताकि दूसरे आदमी ऐसा करने का साहस नहीं करें ।

श्री प्रताप सिंह (किशनगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ के संबंध में निवेदन करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री प्रतापसिंह : संक्षेप में ही कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात अर्ज करना चाहता था, कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद हर आदमी ही उस पर बोले यह तो कन्वेन्शन नहीं है । आम तौर से किसी न किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन हरेक ही बोले यह तो ठीक नहीं । मैं नजर अन्दाज करता हूं कुछ हद तक, लेकिन पूरा ही नजर अन्दाज नहीं कर सकता ।

श्री प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में पेय जल की समस्या के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था । सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के समय भी मुझे कुछ समय नहीं मिला । मैं यह निवेदन करना चाहता था कि किशनगढ की चालीस हजार की आबादी है, वहां की जल प्रदाय योजना अस्त व्यस्त हो रही है और वहां की जनता के स्वास्थ्य को भी खतरा हो गया है । वहां पर एक झील है जहां से अनफिल्टर्ड पानी दिया जाता है जिससे वहां की जन जीवन के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है । इस संबंध में कलेक्टर साहब के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है स्थिति भयंकर बनती जा रही है । अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो वहां के जन साधारण के लिये जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा । इसलिये राज्य सरकार को इस संबंध में ध्यान देकर व्यवस्था करनी चाहिये ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

खनिज श्रमिकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति संबंधी

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में सोशलिस्टिक पैटर्न की दावा करनेवाली सरकार श्रमिकों का किस प्रकार से शोषण करती है उसका अन्दाजा सड़कों पर काम करने वाले श्रमिकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार से मालूम पड़ता है । आप प्रास्पेक्टिंग पर काम करने वाले लोगों को केन्द्रीय सरकार 300 रुपये देती है और हमारी राज्य सरकार केवल 25 रुपये देती है । आज भी वहां पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वह शहर से दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं । उनके लिये आप प्रोजेक्ट अलाउन्स घोषित करदें और फिर न दें, तो यह उनके साथ घोर अन्याय होगा ।

आप कह सकते हैं कि इससे राज्य सरकार पर भार पड़ेगा, लेकिन उन श्रमिकों से आपको फायदा भी हुआ है । जिनके खून पसीने से आपने यह काम चलाया है, उनको आप कोई फेसिलिटी न दें, उनके लिये सर्विस रूल्स न बनायें, यह कहां का न्याय है ? उसके साथ आप बीकानेर जिप्सम की खान

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

चला रहे हैं हमारी सरकार ने घोषणा की थी 90 रुपये देने की, हमारे राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है कि हम श्रमिकों को मिनीमम 100 रुपये देंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि एक ही प्रकार का वर्ताव करें।

प्रोजेक्ट अलाउन्स जो डिक्लेयर कर दिया है, वह 1965 से नहीं दिया जा रहा है। आज राज्य भर में 23 दिन से हड़ताल हो रही है। उदयपुर में उनका मंत्री आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। इसलिये राज्य सरकार उन लोगों की न्यायोचित मांगों पर ध्यान दे और उसको पूरा करे।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ, उदयपुर और खान मजदूरों द्वारा चलाये गये आन्दोलन के बारे में जिक्र किया। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं और राज्य सरकार से भी यही नीति है कि खान पर या और स्थान पर मजदूरी करने वाले व्यक्ति को पूरे लेबर का खर्चा दिया जाये। इस सम्बन्ध में भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ के कुछ नेता मुझ से 31-1-73 को मिले थे। उसके पहले वह तीस जनवरी से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे और माइनिंग डिपार्टमेंट अधिकारियों से तीन घंटे तक बात चीत की और जो भी आउटस्टेंडिंग पाइन्ट्स थे उनको डिसकस किया गया, और जहां तक मेरा अनुभव है करीब करीब सभी बातों पर सहमति हो गई। वहां पर यह भी निर्णय किया गया कि अब कोई डिफरेन्स नहीं रहा और उम्मीद की जाती है कि जो नोटिस दिया है हड़ताल करने का, वह नहीं करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि उनसे इस बातचीत के बाद भी खान मजदूरों ने यह हड़ताल शुरू कर दी और आज 22 दिन तक वह चला रहे हैं। उनकी मोटी मोटी मांगें, जिनका जिक्र यदि माननीय सदस्य आवश्यक समझें तो मैं डीटेलवाइज कर सकता हूं, लेकिन उनकी मोटी मोटी मांगें थीं एक तो मिनीमम वेजेज के बारे में, उसके लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कम से कम तीन रुपये प्रति व्यक्ति मर्द या औरत, डिगिंग करने वाले या और कोई भी काम करने वाले को दिया जायेगा। पहले इससे कम मजदूरी पाने वाले लोगों को मजदूरी बढ़ाकर 90 रुपये कर दी गई थी। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने 9 फरवरी को ही कर दी थी। उसके बाद में जो प्रास्पेक्टिंग और ड्रिलिंग का काम करने वाले लेबरर्स है जो राजस्थान सर्विस रूल्स से गाइडेड हैं और परमानेन्ट कर्मचारी हैं, उनके बारे में भी फील्ड अलाउन्स के रूप में उको तनख्वाह से अलग 25 रुपये माहवार देने का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, उसकी जानकारी भी उनको दे दी गई।

एक मोटा प्रश्न जो कर्मचारी संघ और राज्य सरकार के बीच चल रहा था वह झामर कोटरा में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में था। वहां पर कुछ मजदूर थे जिनको 100 रुपये से कम मिलता था, लेकिन बाकी किसी को 106 से कम नहीं मिल रहा था। तो उसके लिये यह तय किया गया कि जिन मजदूरों को

(श्री जुझारसिंह)

3 रुपये डेली नहीं मिल रहा है उनको कम से कम 15 रुपये मासिक का फायदा दिया जाये ताकि उनको भी कुछ राहत मिल सके।

चार्जेज बढ़ा दिये गये है। इन चार्जेज के बढ़ जाने से राज्य सरकार और मजदूरों के बीच जो डिफरेन्सेज थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। अभी दो दिन पहले मुझे उन श्रमिकों के यूनियन के अध्यक्ष और उनके माननीय सदस्य मिले थे मेरी उनसे बातचीत हुई थी। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो घोषणायें की है उससे वे सभी सन्तुष्ट हैं। उन्होंने यह आश्वासन भी मुझे दिया था कि वे अपना आन्दोलन समाप्त कर देंगे। मैं समझता हूं कि जिन घोषणाओं का जिक्र मैंने किया है उसके बाद वे आन्दोलन चलाने के पक्ष में नहीं हैं और वे अब उसे वापिस लेंगे। राज्य सरकार ने जो एनाउसमेंट किया है उसके तहत मिनिमम वेजेज हर श्रमिक को 90 रुपये मिलेगा। फील्ड एस्टेबिलशमेंट एलाउन्स के उन्हें 25 रुपये प्रतिमाह घोषित आदेशानुसार दिये जायेंगे अब हर मजदूर को 90 रुपये प्रति व्यक्ति कम से कम अधिक पा रहे मजदूर को 15 रुपया तक एलाउन्स दिया जायेगा मासिक। मैं समझता हूं कि अब वे सभी सेटिसफाईड हो गये हैं। जहां तक रूल्स बनाने का संबंध है यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है और इन्हें बनाने के लिये जल्दी ही कदम उठा लिये जायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये कोई निश्चित तिथि या निश्चित अवधि तय करदें तो ठीक रहेगा।

श्री जुझारसिंह : जल्दी तैयार कर देंगे। यही 5-6 महीने में रूल्स बन जायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जब आपको रूल्स तो बनाने ही हैं तो फिर ज्यादा समय लगाना उचित नहीं प्रतीत होता जिससे कि उन लोगों को सन्तोष हो।

श्री जुझार सिंह : मैंने कहा कि जल्दी ही। यही 5-6 महीने में बन जायेंगे। क्योंकि इसमें और भी बातें देखनी पड़ेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कब से लागू करेंगे जो आपने घोषणायें की हैं वे ?

श्री जुझार सिंह : फरवरी से।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो निर्णय बताया है उससे वे लोग संतुष्ट हो गये और उन्होंने अपना आन्दोलन वापिस लेने का फैसला कर लिया लेकिन मैं एक बात मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जहां ये मजदूर काम करते हैं वही पास में ही केन्द्रीय सरकार के मजदूर काम करते हैं और उन्हें मिनिमम वेजेज के अनुसार 4.50 पैसे मिलते हैं प्रतिदिन तो एक ही स्थान पर श्रमिक वर्ग काम करते उन्हें असन्तोष नहीं होगा ? इसके साथ ही वहां पर बीकानेर जिप्सम के श्रमिक काम करते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ जोइन्ट सैक्टर है उनके मजदूरों को 4 रुपये से अधिक मिलते है और हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कम से कम मजदूरी श्रमिकों के लिये 100 रुपये से लेकर 125 बतायी है यह राजस्थान के राज्यपाल महोदय के

(श्री गुमानमल लोढा)

अभिभाषण के पैराग्राफ 44 में दिया है । तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल की घोषणा के बाद भी यह स्थिति क्यों बनी हुई है । उन्हें मिनिमम वैजेज के अनुसार क्यों नहीं पेमेन्ट किया जा रहा है। अत्यन्त खेद की बात है कि वहीं पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रमिकों को जो मिनिमम वेज दिया जा रहा है तथा उसके पास ही प्राइवेट और पब्लिक जोइन्ट सेक्टर के श्रमिक काम करते हैं उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाता है और उन्हें पैसा कम दिया जाता है तो क्या उन श्रमिकों को दुःख नहीं होगा, उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचेगी । जब राज्य सरकार ने बताया है कि उससे उन्हें पांच करोड़ रुपये का फायदा हुआ है । तो क्या जिन श्रमिकों की वजह से लाभ हुआ है उन्हें इसका भागीदार क्यों नहीं बनाती । राज्य सरकार उन्हें मिनिमम वेजेज के अनुसार भुगतान क्यों नहीं करती । क्या राज्य सरकार उनके नियम बनाते समय इन बातों पर भी विचार करेगी और जब नियम बन जायेंगे तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के श्रमिकों को जो मिनिमम वेजेज मिलता है उनके अनुसार भुगतान करेगी ?

श्री झुंझारसिंह : अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार के और बी० जी० एल० के जोइन्ट सेक्टर में जो मजदूरी दी जाती है वही उनके पास वाले श्रमिकों को भी दी जाय । इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अनेकों प्रोजेक्ट कई जगह हैं और इसमें करीब 1 हजार और 10 श्रमिक अलग अलग काम कर रहे हैं श्रमिकों का ब्रेक अप इस प्रकार है डेगाना में 446 श्रमिक है, 317 झामर कोटड़ा में है, 66 श्रमिक डेरी में और विलार और पार आदि जगहों में करीब 180 मजदूर काम करते हैं इस प्रकार कुल मिलाकर करीब 1010 मजदूर हैं । तो झामर कोटड़ा में तो सिर्फ 317 कर्मचारी है और बाकी जो बच जाते हैं करीब 700 कर्मचारी और हैं चूंकि झामर कोटड़ा के अलावा जितने दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वे प्रोसपेक्टिंग के अलावा माईनिंग भी करते हैं और वहां लेबर भी प्रोडक्टिव नहीं है वे भी डिमान्ड करेंगे जो देना पोसीबल नहीं होगा जो माइन्स के अलावा सर्वे का काम करते हैं वे पता लगाते हैं कि कहां कहां खाने निकल सकती हैं तो वहां लाभ होने की गुन्जाइश रहती है या नहीं लेकिन सभी जगह पर अगर पैसे बढ़ायेंगे तो खर्चा ज्यादा आयेगा और वे प्रोजेक्ट लोस में चलेंगे । मैं समझता हूं कि करीब एक लाख रुपया का नुकसान तो डेगाना में अब हो जायेगा । इसलिये यह सभी बातें ध्यान में रखकर करना पड़ता है । राज्य सरकार को घाटा होता है । फिर भी चूंकि आपकी मांग है तो राज्य सरकार अपनी शक्ति के अनुसार जो भी उचित मुआवजा दिया जा सकता है वह देने की कोशिश करेगी । मैं समझता हूं कि अभी इस सदन में मैंने जो बातें बतलाई हैं उससे मैं समझता हूं कि आप भी सभी सदस्य सन्तुष्ट हो गये होंगे और उनके नेतागण भी ।

श्री गुमानमल लोढा : हां हो गये ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । वापस लिया जाने वाला विधेयक ।

Page No. 46

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कोई सेक्टर प्रोफिटेबल है या नहीं भारत सरकार की पोलिसी है कि उन्हें मिनिमम वेजेज दिया जाय चाहे फायदा हो या नुक्सान।

श्री अध्यक्ष : विश्वास दे दिया गया है।

विधायी कार्य वापिस लिया गया विधेयक

राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय मैं प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

विधेयक के वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ : क्या कारण हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1972 तक उसमें कुछ एमेन्डमेन्ट करने थे और चूंकि अभी मुख्य मन्त्री चीफ मिनिस्टर कान्फरेन्स में दिल्ली जा रहे हैं वहां पर इस मुद्दे को भी लिया जा सकता है। इसलिये मैं अलग से बिल पेश करना चाहता हूं। ताकि उसके कान्स्टीट्यूशन में कोई दिक्कत पेश नहीं हो कोर्ट्स वगरह में।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973

श्री अध्यक्ष : पुरः स्थापित किये जाने वाला विधेयक, राजस्व मन्त्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की आज्ञा है ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

विचारार्थ विधेयक

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973

अध्यक्ष : विचारार्थ के लिये जाने वाले विधेयक ! राजस्थान पंचायत विधियों (संशोधन) विधेयक, 1973।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

परिनियत संकल्प

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1973 को अस्वीकार करने सम्बन्धी

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं यह सदन श्रीमान्, राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17 जनवरी 1973 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(संशोधन) अध्यादेश 1973 (अध्यादेश सं० 2 सन् 1973) को अस्वीकार करता है ।"

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पंचायतों के चुनावबार 2 आर्डिनेन्सेज निकाल स्थगित किये जा रहे हैं जो लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है राजस्थान में कि यह सरकार केवल आर्डिनेन्सेज, अध्यादेशों के माध्यम से ही राज्य चलाना चाहती है जो एक अलोकतन्त्रीय प्रणाली है । सही माने में यह जो जन प्रतिनिधि चुन कर आये हैं उन्हें विधान सभा में कानून बनाने का अधिकार है और ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति हो तो राज्यपाल अध्यादेश निकाल सकते हैं ।

(12.30 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है । विधान सभा का अधिवेशन पहले ही बुलाया जाना चाहिये था लेकिन नहीं बुलाया जाता और यदि पंचायतों के चुनाव टालने ही थे और उसके बारे में कोई कानून बनाना था तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इससे पूर्व जो अधिवेशन हुआ था 15 अगस्त को झण्डा रोहण और दोपहर को 1 बजे अधिवेशन समाप्त हो गया था जैसे कोई काम न हो और दूसरे दिन अधिवेशन रात्रि के 1 बजे तक चला । यदि पंचायतों के चुनाव टालने थे तो अध्यादेश न निकाल कर उस गत अधिवेशन में भी यह कानून ला सकते थे और उसके आधार पर जन प्रतिनिधियों की राय लेकर चुनाव टाल सकती थी लेकिन सरकार को चुनाव टालने थे अध्यादेश की मार्फत क्योंकि अधिकांश जन प्रतिनिधि इस पक्ष के थे कि पंचायतों के चुनाव समय पर हो जाने चाहिये । उस समय दो दिन और इस कार्य के लिये लगा देते तो उपयुक्त होता और अध्यादेश की आवश्यकता ही नहीं होती ।

उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार बराबर विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने में कतराती रही है और बुलाना नहीं चाहती । चाहे आपका बहुमत हो लेकिन बहुमत होते हुए भी बुलाना नहीं चाहते । शीतकालीन अधिवेशन होना चाहिये था और वह नहीं हुआ । इस बरकतुल्ला सरकार को भी वही विरासत में मिली है परिपाटी क्योंकि भूतपूर्व सुखाड़ियां सरकार भी विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाना चाहती थी । जहां तक हो सकता था उसको टालती थी और वही बरकतुल्ला सरकार को विरासत में मिली है । मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने एक ही अध्यादेश नहीं निकाला है, उन्होंने 8 अध्यादेश निकाले हैं । उनके बारे में पहले ही सदन में कानून बन सकते थे और इस प्रकार इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी । राजस्थान में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो रहा था अथवा राजस्थान में कोई इस प्रकार की असाधारण परिस्थिति नहीं थी जिसके आधार पर राज्यपाल महोदय को अध्यादेश निकालने पड़ते ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं ? यह बहाना लिया जा रहा है कि राजस्थान में अकाल है । किन्तु हिन्दुस्तान के बहुत सारे इलाकों में अकाल है तो क्या इस कारण लोक सभा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

अथवा विधान सभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को विधान सभा का सदस्य लाने के लिए जगह खाली करायी गयी तो क्या वहां पर चुनाव नहीं होंगे ? क्या भरतपुर में भी अकाल के नाम पर चुनाव नहीं होंगे ? विधान सभा के चुनाव होंगे। लोक सभा के चुनाव हो सकते हैं तो प्रजातन्त्र की हत्या करने के लिए अकाल के नाम पर पंचायतों के चुनावों को टालना हितकर नहीं है।

राजस्थान में आज अकाल की स्थिति है। क्या आठ साल से बराबर यह स्थिति नहीं रही है ? अकाल कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पड़ते हैं और पड़ते रहेंगे। कांग्रेस और अकाल दोनों का दामन और चोली का जोड़ा है। जैसे राम और सीता का जोड़ा है। उसी तरह अकाल और कांग्रेस दोनों जुड़े हुए हैं। अकाल के नाम पर यह कांग्रेस सरकार पंचायतों के चुनावों को टालना चाहती है और ऐसा लगता है दोनों का जोड़ा है। राजस्थान सरकार से पंचायतों के चुनाव होंगे नहीं, करायेगी नहीं।

इस पंचायतों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को थोप रखा है। पंच सरपंच जानते हैं कि मेरे चुनाव होंगे नहीं। इसलिए वे गबन कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। विधान सभा के लोग यह जानते हैं कि पांच साल की उनकी अवधि है। राज्य में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति पैदा हो जाय, राज्य सरकार सत्ता सम्हाल न सके, कोई विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाय, पांच साल की अवधि मान कर चले हैं उसमें शंका पैदा हो जाती है कि न जाने कब विधान सभा भंग हो जाती है विधान सभा का मेम्बर रहें या न रहें यह भी आशंका हो जाती है। नगरपालिका के चुनाव तो राज्य सरकार की कृपा के ऊपर हैं। कभी भी नगरपालिका को चार्ज शीट देकर भंग किया जा सकता है। इस प्रकार नगरपालिका, विधान सभा और लोक सभा के मेम्बर भी अधर झूल में हैं विदेशी ताकत आक्रमण कर दे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दे देश में। लोक सभा को भंग कर दें किन्तु पंचायतों के चुनाव नहीं करवा कर इस कांग्रेस की सरकार ने उनको, अपने लोगों को बरकरार रखने का तरीका अपना लिया है। पंच सरपंच बनते हैं इनमें तो इस कांग्रेस सरकार की कृपा के ऊपर। इस प्रकार अकाल और कांग्रेस का जोड़ा बन गया है। अकाल आज से तो नहीं गत आठ साल से राजस्थान में अकाल है, फिर पंचायतों में उन लोगों को पंच और सरपंच कहलाने का मौका मिलेगा। कोई उनके चुनाव की आवश्यकता नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि आज वहां पर इस प्रकार की हालत है।

इस अध्यादेश का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि यदि राज्य सरकार की नीयत साफ होती तो पंचायतों के चुनावों को अकाल के नाम पर बार बार नहीं टालती। किन्तु वह तो इसको टालती आयी है। इस गठ-बंधन को मैं छुड़ाना चाहता हूं। आज सरकार अकाल को डाइवोर्स भी करना चाहती है मैं मांग करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी पंचायतों के चुनाव की तिथि की घोषणा करे।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

आप कानून में संशोधन चाहते हैं। तीन से पांच साल का समय हो जाय पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसको और बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं सरकार ने एक वर्ष का समय नगरपालिका एक्ट में लिया है। एक वर्ष में चुनाव करा देंगे इस प्रकार का संशोधन करना चाहती है। माननीय मंत्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं जितनी पंचायतें हैं उनमें कितने पंच सरपंच सस्पेन्डेड हैं, कहां कहां स्थान खाली हैं और किन किन पंच सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है? कई जगह स्थान खाली हैं। कई जगह चोर बैठे हुए हैं। लापरवाही करके बैठे हुए हैं। चार वर्ष तक चुनाव टाल सकते हैं इस प्रकार का हथियार देकर लोकतंत्र की हत्या न करें।

स्व. पं० जवाहरलालजी नेहरू ने, मैं उस स्थान का नाम यदि नहीं भूलता हूं तो वह स्थान था नागौर, नागौर में प्रजातन्त्र का दीपक जलाया था। पंचायतें, पंचायत समितियां, न्याय पंचायतें जिला परिषदें होंगी और ग्रामों में लोकतन्त्र फलेगा फूलेगा। राजस्थान भारत में अग्रणी प्रांत था इस ओर। राजस्थान उसका नेतृत्व करता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सबसे पीछे है। जो स्वर्गीय पं० जवाहरलालजी नेहरू ने लोकतन्त्र का दीपक जलाया था राजस्थान में आज वह धुंधला पड़ गया है। उसको जलाये रखने के लिये हमको पंचायतों के

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

चुनावों की तिथि की घोषणा कर देनी चाहिये। श्री गिरधारी लालजी व्यास इस संबंध में जो एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे उन्होंने भी सुझाव दिया कि चुनाव की परिपाटी दूसरी कर दें। वह तो बहुत महंगी है। उन्होंने कहा है कि पंचायतों में सरपंच और पंच और पंचायत समितियों का जो एरिया है उसमें ब्लाक एरिया लेकर पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य एक बार एक आदमी उसमें वोट डालने जावेगा ....

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है क्या जिसका हवाला आप दे रहे है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इन्टेरिम रिपोर्ट दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में तो नहीं आई?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे जानकारी मिल गई है। मैं उसका उस पर से हवाला दे सकता हूं। तो एक व्यक्ति एक साथ चारों के लिए वोट देगा यह उनकी सिफारिश है। इससे यह चुनाव भी महंगा हो जावेगा। साधारण गांव का आदमी यह चुनाव नहीं लड़ सकता। इन चुनावों को अब वही लड़ सकेगा जिसके पास धन होगा।

व्यासजी ने अपनी रिपोर्ट में आगे और कहा है कि ये चुनाव जाति के आधार पर होते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। इस समय मैं इस पर अधिक नहीं कहूंगा। बाद में कहूंगा। इस पर बाद में बोलने का मुझे मौका मिलेगा, इसमें मेरा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

राइट है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आगे और स्पष्ट लिखा है कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र नहीं कराना और उनको स्थगित करते जाना जघन्य अपराध है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को यहां स्पष्ट यह घोषित कर देना चाहिये कि इनके चुनाव एक साल के अन्दर-अन्दर हो जावेंगे और फलां तिथि को हो जावेंगे। एक वर्ष से अधिक टालेंगे नहीं इनको। फिर एक वर्ष के अन्दर पंचायत समिति और जिला परिषद् के भी चुनाव करा देंगे। इस प्रकार का आश्वासन अगर सरकार सदन में देती है तो मैं अपना अमेण्डमेन्ट वापिस ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, जो अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने 17 जनवरी, 1973 को राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन अध्यादेश, 73 को इस्यू किया, मेरा प्रस्ताव उसको अस्वीकार करने का है।

संविधान के आर्टिकल 213 के अधीन राज्यपाल महोदय को यह अधिकार दिया गया है। अगर असेम्बली का सैशन नहीं हो और राज के अन्दर कुछ एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो जावे जिसके तहत अध्यादेश जारी करना जरूरी समझा जावे तो अध्यादेश इस्यू होता है।

मेरा निवेदन है कि अगर राज्य सरकार इसके चुनाव चाहती तो अक्टूबर नवम्बर में करा सकती थी। अकाल के कारण लोगों का निष्क्रमण तो बाद से शुरू हुआ है। अकाल का अधिक प्रभाव भी जनवरी से महसूस हुआ है और 15 दिसम्बर के बाद लोगों का बाहर जाना शुरू हुआ। इससे पहले लोग अपने अपने गांवों में ही थे। तो इससे स्पष्ट है कि मंशा सरकार की चुनाव कराने की कतई नहीं थी।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जितनी स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं पंचायतें हुई, नगरपालिकाएं हुई इनको सरकार को मजबूत करना चाहिये अगर वह सत्ता के विकेन्द्रीकरण की पालिसी में विश्वास रखती है तो। उनके अधिकार बढ़ाये जाने चाहियें, उनके इलेक्शन के तौर तरीके भी बदले जाने चाहियें ताकि आम लोग इसमें हिस्सा ले सकें इनमें रुचि ले सकें। वह यह समझ सकें कि सत्ता के संचालन में उनका भी अच्छा पार्टीसिपेशन है और पालिसी मेकिंग बॉडी में मेरा हाथ है।

आज फाइव ईयर प्लान के दस्तावेज में आप ने उल्लेख किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने प्रोजेक्ट बनें उनके संचालन की सारी एजेन्सी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। रूरल डवेलपमेन्ट की सारी एजेन्सियां पॉलिसी मेकिंग के फैसले डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आप देना चाहते हैं नौकरों के मार्फत नहीं, चुने गए लोगों के मार्फत, पंचों, सरपंचों, प्रधानों और के प्रमुखों मार्फत तो उन स्वायत्त शासन की इकाइयों को आप अधिक से अधिक पावर दें। ये पावर आज राज्य सरकार के हाथ में हैं, इनका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। आप इसकी घोषणा यहां सदन में आज ही कर दें कि

(श्री केदार नाथ)

इसके लिए हम एक कमीशन अपोइन्ट करते हैं कि स्वायत्त शासन की इन इकाइयों को क्या अधिकार होंगे, वित्तीय साधन इनके क्या होंगे। क्लीयरकट डाइरेक्शन्स इस बारे में आप दे दें।

आज तक सारा का सारा कन्ट्रोल, टेक्निकल कन्ट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल, फाइनेन्सियल कन्ट्रोल सारा का सारा नौकरों के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में हैं। इससे उन स्वायत्त संस्थाओं के सारे इनीशिएटिव समाप्त हो गये हैं। वे न सोशल चेन्ज का काम करती हैं न डेवलपमेन्ट में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। दोनों फक्शन्स उन के बन्द कर दिये गये हैं। इन संस्थाओं के हाथ पैर बान्ध कर डाल दिया गया है आज तो। आज ये पंगू हैं, डिफेक्ट हैं। न इनका कोई सोशल परपज है, न इनीशियेटिव पैदा करने वाली कोई चीज इनके पास है। जो इनकी स्थापना का उद्देश्य रिवोल्यूशनरी चेन्ज लाने का था वह तो वैसे ही समाप्त हो गया।

इसीलिये सादिकअली रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने महसूस किया कि इनके चुनावों के तौर तरीके बदले जावें, इनके अधिकार बढ़ाये जावें साधन बढाये जावें। स्ट्रक्चरल कम्पोजीशन बनाया जावे। इस बारे में हाइ पावर कमेटी भी बनाई गई। एक मेम्बर के नाते मैं अपनी राय यहां इस बारे में अभी नहीं दे सकता। राज्य सरकार उनको माने या न माने यह अलग बात है। कमेटी का दिमाग इस बात पर है कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर यहां भी कुछ किया जावे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पालिसी मेकिंग बॉडी के रूप में जिला परिषद् हो।

मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में अपना दिमाग पक्का कर ले। एक माह में रिपोर्ट फाइनल होकर आ जावेगी। अभी तो इलेक्शन पोस्टपोन कर ही दिये हैं। चार पांच महीनों बाद दुबारा जब रेन आवेगी तो चुनाव होंगे। अभी तो इसका भी सुझाव नहीं है।

तो इसको नामन्जूर करने का प्रस्ताव मैंने इसलिये पेश किया है कि इतनी जल्दबाजी में इतना गलत काम राज्यपाल की मार्फत नहीं करवाना चाहिये था। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे अस्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय···

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए। आज एक विधेयक यहां प्रस्तुत है जो कि पंचायतों के चुनाव को मुल्तवी करने के सम्बन्ध में है। इससे पहले कि यह चुनाव विधेयक के जरिए सदन मुल्तवी करता, राज्यपाल ने अपने अध्यादेश के जरिए इस चुनाव को मुल्तवी कर दिया। बारम्बार इस सदन में चर्चायें हुई हैं कि यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है कि जब एक इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक बॉडी है तब उसका प्रयोग न करके राज्यपाल की स्पेशल शक्तियों, विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का उनके कान्स्टीट्यूशनल हेड होने के नाते प्रयत्न

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किया जाय। लेकिन जिस प्रकार का रूप आज पंचायतें धारण कर चुकी हैं उसको देखते हुए अध्यादेश ही ठीक है। आज चुनाव न होने के कारण पंच, सरपंच अपने आपको अमर समझने लगे हैं। आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं और नवे वर्ष का दिन चल रहा है और आज भी हम इन चुनावों को मुल्तवी करने की बात सोच रहे हैं। यह चुनाव सन् 1964 में कराये गये। अकाल की विभीषिका सन् 1967 में शुरू हुई। सबसे भयंकर अकाल हमारे राजस्थान में सन् 1968 में पड़ा। 1968 में चुनाव ड्यू थे। उस समय चुनाव आसानी से कराये जा सकते थे। कोई अकाल का बहाना उस समय नहीं था, कुछ नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नहीं कराये गये। 1968–69 भयंकर अकाल के समय में गुजरा। उसके बाद 1970 का वर्ष आया। 1970 के वर्ष में आप देखें तो राजस्थान के 3500 गांव अकाल की चपेट में थे जब कि 1968 में 2400, 2500 गांव अकाल की चपेट में आ चुके थे। जब 2500 गांव अकाल की चपेट में रह गये, उस समय भी सरकार ने मुनासिब नहीं समझा कि चुनाव करा दिये जायं। आज 1800 गांव अकाल की चपेट में है, अकाल की लपटों में जल रहे हैं और इसको आधार मान कर सरकार चुनाव मुल्तवी करती है, लेकिन मुझे राजस्थान सरकार की चुनाव कराने के सम्बन्ध में तैयारी नजर नहीं आती है। पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में और पंचायतों के सम्बन्ध में एक हाई पावर कमेटी का निर्माण हो चुका है। इस संबंध में अनेक कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है—सादिकअली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, हैदराबाद के कन्वेन्शन के अन्दर एक रिपोर्ट आयी, जो बहुत अहमियत रखती है। अध्ययन दलों, विभिन्न पंचायत सर्वेक्षण दलों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इन सारी रिपोर्ट में चुनाव के सम्बन्ध में, पंचायतों के सम्बन्ध में कुछ बड़े आवश्यक तथ्य, आवश्यक बातें प्रस्तुत कर के रिपोर्ट सामने रख दी है लेकिन उनमें एक चीज स्पष्ट-रूप से आयी है, अध्ययन दल की रिपोर्ट में भी और हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में भी कि चुनाव का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और चुनाव का आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि वह वाइबल यूनिट बन सके, उसमें कोई मूमेन्टम हो सके और उसकी कई चीजें इसके अन्दर दृष्टिगत रखी हैं। लेकिन अगर राजस्थान सरकार की चुनाव कराने की कोई नीति होती या कोई इरादा होता तो पंचायतों का डीलिमिटेशन होता। अब जबकि सत्र आरम्भ हुआ और इसके पहले जबकि हम मिले थे मार्च के महीने में, अगस्त में मिले या नहीं मिले—एक बराबर है, वह तो राम राम करने आये थे और राम राम करके चले गये, ढाई दिन की मुलाकात थी, तो उस समय निश्चितरूप से मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि हम चुनाव करायेंगे। उस समय अकाल की इतनी बड़ी विभीषिका हमारे सामने प्रस्तुत नहीं थी और वाकई में राजस्थान सरकार का चुनाव कराने का इरादा होता तो पंचायतों का डीलिमिटेशन शुरू हो जाता। हाई पावर कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट इसके पहले प्रस्तुत हो चुकी थी और उसके अन्दर डीलिमिटेशन का प्रश्न सामने आ चुका था, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टरूप से कह सकता हूं कि पता नहीं किन राजनैतिक दबावों के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कारण राजस्थान सरकार ने चुनाव नहीं कराये। आज अध्ययन दल की अन्तरिम रिपोर्ट में पंचायत समितियों के बारे में, जिला परिषदों के बारे में, पंचायतों के बारे में काफी अच्छे सुझाव और काफी मजबूत सुझाव दिये गये हैं, लाभकारी सुझाव दिये गये हैं। दल ने भारत सरकार के विभिन्न प्रांतों का दौरा करके और यह महसूस किया है कि बीच के अन्दर जो यह पंचायत समिति है, यह कोई बहुत आवश्यक चीज नहीं है। महाराष्ट्र के अन्दर एक पैटर्न है पंचायतों का, जिसके अन्दर जिला परिषद् है, उसके पास काफी धन है, काफी शक्ति है। कई जिला परिषद हैं, जिनका बजट पांच करोड़, छः करोड़ से भी अधिक है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी रिपोर्ट का तात्पर्य और लक्ष्य क्या होता है अगर हम नतीजे के तौर पर उनकी सिफारिशों को फैसले में नहीं लाते हैं। इन दस सालों के अन्दर यह पंचायत और पंचायत समितियां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गई हैं। राजस्थान सरकार चुनाव आगे न भी कराये तो बड़ा आवश्यक है कि पंचायत समितियां, जिला परिषद् और पंचायतों को भंग कर दिया जाय। मैं आपके सामने खुद अपने जिले की कुछ पंचायतों में हुए गबन, जो कि इन दस वर्षों में हुए हैं, आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के अन्दर पंचायत में बारह गबन के केसेज 7,497 रुपये के हैं, गंगानगर पंचायत के बारह गबन के केसेज 2,896 रुपये के हैं, सादुलशहर के 8,712 रुपये के गबन के केसेज हैं, करणपुर के 14,077 के गबन के केसेज है, नोहर के 21,169 के गबन के केसेज हैं, यह करीब 23 केसेज हैं, 23 नहीं 30। रायसिंहनगर के 23 गबन के केसेज 5,845 रुपये के हैं और पदमपुर के 7,783 रुपये के करीब 23 केसेज हैं, भादरा के आठ गबन के केसेज 3,840 रुपये के हैं और सूरतगढ़ के 11,478 रुपये 13 गबन के केसेज हैं। कुल मिलाकर यह राशि, उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख से भी, डेढ़ लाख से भी अधिक हो जाती है, जो गबन के केसेज की है। यह केवल गबन के केसेज की राशि है, लेकिन जो रिकवरीज पंचायतों से करनी है, उसकी राशि 50 लाख से ऊपर चली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पंचायत समितियों के गबन के केसेज गंगानगर के पाये जायं तो मैं स्पष्टरूप से इस सदन के अन्दर कह सकता हूं कि दो करोड़ से अधिक गबन के केसेज पंचायत समितियों के अन्दर हो चुके हैं। यह केवल पंचायतों के गबन के केसेज हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किये हैं, और को तो छोड़िये, गंगानगर के जिला प्रमुख दस हजार रुपये फाल्स टी. ए. बिल के ड्रा करता हैं, उसकी रिकवरी होती हैं और वह दस हजार रुपये जमा कराये जाते हैं, एक सरपंच जो कि प्रधान रहे हुए हैं और इस आदरणीय सदन के सदस्य भी रहे हुए हैं, उन पर पन्द्रह हजार रुपये गबन का केस है, जो उनके विरुद्ध रामचन्द्र आर्य के ऊपर बाकायदा चल रहा है। करणपुर पंचायत समिति के अन्दर अभी हाल में कलेक्टर ने छापा मारा और क्रेश प्रोग्राम के अन्दर जो खालो का प्रोग्राम चल रहा है, उसका मस्टर रोल चैक किया मजदूरों के बयान लिये तो मालूम हुआ कि क्रेश प्रोग्राम के तहत वहां पर केवल दस मजदूर मस्टर रोल में लिखे हुए हैं, जबकि दो सौ ढ़ाई सौ दिखाये गये हैं, और मौके पर पन्द्रह मजदूर पाये गये, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक प्रधान महोदय पकड़े गये,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिन्होंने फर्स्ट क्लास का किराया चार्ज किया और थर्ड क्लास में ट्रैवल किया, लेकिन चूंकि वह नहीं जानते थे कि गंगानगर से जयपुर तक का किराया क्या है, इसलिए उन्होंने तेरह रुपये ज्यादा चार्ज कर लिए, जाने के भी तेरह रुपये ज्यादा चार्ज कर लिये और आने के भी। जब जांच की गई तो मालूम हुआ कि थर्ड क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया। गुरुबचनसिंहजी, जो मेरी अपनी पंचायत के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों के अन्दर भ्रष्टाचार जड़ बना चुका है, इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से सादर विनती करूंगा कि अगर आप चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं, अगर आप कहते हैं कि वोटर बाहर चले गये हैं या हमारे वर्क्स डिस्टर्ब होते हैं तो कम से कम यह भ्रष्टाचार के अड्डे जो पंचायत बन चुकी है, इन पंचायतों को भंग कर दीजिए, इन पंचायत समितियों को भंग कर दीजिये। इन जिला परिषदों को एक दफा भंग कर दीजिए और इसके बाद जब भी आप इस स्थिति में हों और मैं कामना करके चलता हूं कि बहुत जल्दी हम इस स्थिति में आयेंगे कि पंचायतों के मार्फत जो भी कार्य करायें वह उपयोगी कार्य होसके और हम उसका उपयोग इन फेमिन वर्क्स में भी ले सकें। अभी जिला परिषदों में विभिन्न पंचायत समितियों के बजट पेश हुए और हमने उन बजट में देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज थे वह डवलपमेन्ट एक्सपेन्सेस से कई पंचायत समितियों में 20 गुना और 25 गुना थे। स्वयं अपनी पंचायत समिति सूरतगढ़ में जो डवलपमेन्ट एक्सपेन्सेज थे वह मुश्किल से 20–25 या 50 हजार थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज 3 लाख से भी ज्यादा के थे। हमने कई पंचायत समितियां जो कि अकाल ग्रस्तक्षेत्र के अन्दर थीं विशेषकर सूरतगढ़ पंचायत समितियों को जिला परिषद् ने इस कन्डीशन पर बजट पास किया कि 40-50 हजार रुपया अकालग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक-रूप से लगायेंगे लेकिन कोई पैसा नहीं लगाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए अन्त में, मैं यही कहूंगा कि अगर चुनाव नहीं करा सकते, तो इनको भंग कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

अनुपस्थित

श्री गफ्फार अली।

श्री गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मनोहरलाल : मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में ऐसा प्राव-धान नहीं है।

श्री मनोहरलाल : सिर्फ सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नियमों में प्राव-धान ही नहीं है।

श्री मनोहरलाल : मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद बोल लेना ।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल लो । कह दो फिर कहना है तो ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के गुरजा गांव में एक आदमी जिसका नाम करणसिंह काछी था, वह भूख से मर गया है उसके कोई फसल नहीं हुई, उसकी फसल को बाढ़ ने खतम कर दिया, उसका घर बह गया, भूखों मरता था, कुछ लोगों ने उसकी मदद की और जब मदद नहीं कर सके धीरे धीरे भूख से लड़ता हुआ बीमार हो गया और फिर मर गया। वहां के लोग आये हैं। मंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के बहुतसे लोग मंत्री महोदय से मिलने आये हैं और वह चाहते हैं कि मंत्री महोदय उनसे मिलें और अपने इन खोखले दावों को अच्छी तरह से तौल लें कि उनके दावे के पहले लोग मर रहे हैं और एक परिवार के लोग और भूखों मरने वाले हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बहुत से लोग आये हैं इस मामले की पैरवी करने तो उनका आने जाने का खर्चा भी पड़ा होगा, होटल का भी खर्चा पड़ेगा, रिक्शा का भी पड़ेगा, तो इतना ही रुपया खर्च करते तो वह गरीब मरता ही नहीं ।

श्री मनोहरलाल : आप बाजरा खरीदें 30 के भाव का·········

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य की जो सलाह है यह बहुत सही है कि 20-30 आदमी आगये किराया खर्च करके तो इतने पैसे गरीब के घर ही पहुंचा देते तो अच्छा था ।

श्री मनोहरलाल : आपका तो इन्तजाम हो जाता है । घर पर पहुंच जाता है । वहां पैसे से भी नहीं मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फारअली

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट में जिस तरमीम का सुझाव राज्य सरकार की ओर से दिया गया है कि इस पंचायत की अवधि बजाय 4 साल के 5 साल कर दी जाये इस सुझाव के विरोध में मेरी और मेरे दल की राय है और उसका आधार यह है कि जो पंचायतें इस समय तक कार्य कर रही है जिनको लगभग दस वर्ष हो गये हैं उन पंचायतों में जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार देखने में आ रहा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर पंचायतों को लम्बी अवधि तक रखा जाये तो उसके फलस्वरूप यह भ्रष्टाचार होना लाजमी है क्योंकि जो लोग पंचायतों में चुन कर आते हैं उनको वापिस बुलाने का कोई प्रावधान न तो हमारे विधान में है और न हमारे पंचायत एक्ट में है इसलिए हर वह सुझाव जो राज्य सरकार के द्वारा रखा जाय उसके अन्दर यह समझना ज्यादा जरूरी है

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि वह ऐसा सुझाव ऐसा नहीं हो कि जिससे वेस्टेड इन्टरेस्ट्स पैदा हों और ऐसे लोग शक्ति में आयें कि जो लोग जनता का और आम लोगों का शोषण करें। मान्यता यह है है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनावों में इनवाल्व्ड करना चाहिये और अपनी जगह यह स्थिति भी बिलकुल सही है कि जो चुनाव इनडाइरेक्ट होते हैं, जो सीधे नहीं होते वह सीधे होने चाहिये। सरपंच और जितनी भी जगह हैं वह सबकी सब चुनी हुई होनी चाहिये ताकि लोग अपनी राय को देने का अधिकार रख सकें और वह डाइरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिये। उसके साथ ही साथ यह हकीकत भी हमको सामने रखनी चाहिये कि वह इतनी अवधि नहीं हो कि जिस अवधि में वह लोगों का शोषण कर सकें। मैं यह आशा करता था कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसकी अधिकतम मियाद 3 साल होनी चाहिए थी लेकिन उसके विपरीत राज्य सरकार उस मियाद को 5 साल करना चाहती है। फिर 3 साल उसकी अवधि को बढ़ाने की और भी शक्ति अपने हाथ में सरकार रखना चाहती है, यह प्रावधान भी रखना चाहती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। यदि हमारी राज्य सरकार किसी समय चार-पांच साल बाद यह राय कायम करे कि अभी हालात ठीक नहीं है तो वह तीन साल तक उन चुनावों को मुल्तवी करती चली जायेगी। जैसा नक्शा हम आज देख रहे हैं कि दस साल हो गये और इन पंचायतों के चुनाव नहीं किये जा रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि जो नक्शा अभी कामरेड हांडा विधायक ने आपके सामने रखा वह आपके सामने आया। यह न सिर्फ गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट का हाल है बल्कि पचासों कैसेज हमारी अदालतों में सरपंचों और पंचों के विरुद्ध चल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह मियाद जिस मियादतोषी की बात कही गई है इस तरमीम को मन्जूर करने के माने यह होंगे कि हम इस हकीकत से इन्कार कर रहे हैं जो लोग चुनाव में आये उन्हें चुनने का हक बार बार लोगों को प्राप्त होना चाहिये यह नहीं कि अगर उन्होंने बदकिस्मती से अपनी राय का गलत इस्तेमाल कर लिया है तो उसको चार-पांच साल तक वह सही नहीं कर सकता। या तो हमारी चुनाव प्रथा में मूल परिवर्तन होना चाहिए और इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग चुन कर आयें उनको चुनने वाले लोग वापिस बुला सकें। अगर यह स्थिति पैदा हो तब तो बहुत अच्छी बात है और उसमें तो हमको यह मौका मिल सकता है कि जो लोग गलत पहुंच जायें उनको वापिस बुला सकें एक सीमित अर्से के बाद। लेकिन जब तक यह चीज नहीं होगी उस समय तक मान्यता यह है कि चुनाव की अवधि नहीं बढनी चाहिए और जो अब तक है उसको भी कम करने की बात सोचना चाहिए। चूंकि अब तक का तजुर्बा यह है कि जो लोग अपना अधिकार इस्तेमाल करते हैं उनको यह मालूम नहीं होता कि वह जो लोग चुनकर आ रहे हैं वह किस तरह के हैं। आज हर जगह रिश्वत का दौरदौरा है। हर पंच और सरपंच इस काम में लगा हुआ है कि रिश्वत खाये। इस रिश्वतखोरों का दौरदौरा पंचायतों में चरमसीमा तक पहुंच गया है। यहां यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वहां तीन साल की अवधि है जो म्युनिसिपल कौंसिल की, जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल की उसमें ही इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं है। तो यहां शहर में रह कर गवर्नमेंट की नाक के नीचे, मिनिस्टर की नाक के नीचे हमारी म्यूनिसिपल कौंसिल में करप्शन हो, कौंसिल करप्ट हो जाय, उसके कौंसिलर भ्रष्टाचार चलाये तो वहां गांवों में रहने वाले सरपंचों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह जो तरमीम पेश की गई है उसको स्वीकृत किया जाय और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि, एक मिनिट में, यह जो इतना अर्सा लगाया इस चुनाव में, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसलिए कि राजस्थान एक डेफिसिट प्रोविंस है। यहां पर किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी सिरे पर अकाल पड़ते रहते हैं। अगर अकाल इस चुनाव से जोड़ा गया तो मैं समझता हूं कि यह चुनाव कभी भी सम्पन्न नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि हर साल कुछ न कुछ अकाल ग्रस्त हिस्से जरूर होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस बार बहुत बड़ा इलाका अकाल की चपेट में है और 24 जिले इस अकाल की चपेट में हैं। लेकिन हर साल बहरहाल पांच, दस, पन्द्रह जिले अकालग्रस्त होते रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार चुनावों को अकाल से सम्बन्ध नहीं जोड़ कर बल्कि जल्दी से जल्दी इसके चुनाव करवाये। आज पंचायतें डेड हो चुकी हैं, जिनमें जान नहीं है, उनको सुपरसीड करना चाहिए, और नए चुनाव कराए जाने चाहिए।

इसलिए यह जो रेजोल्यूशन आया है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस पर गौर करे और इस बिल को वापिस ले और यह सोचे कि आया क्या यह अवधि कम की जा सकती है। अगर कमी की जा सकती है तो इस अवधि को बजाय चार साल के तीन साल रखा जाय ताकि लोगों को अपनी राय का सही इस्तेमाल करने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायत मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (पंचायत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी एक अवसर पर मैंने शायद प्रश्नोत्तर काल में यह निवेदन किया था कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि पंचायतों के चुनाव ओवर ड्यू हो गए हैं और आज भी मुझे यह स्वीकार करने में कोई कहीं संकोच नहीं है। बहुत अच्छा होता यदि जो निर्धारित अवधि है उसमें यह चुनाव हो जाते। मैं तो आज यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिन चीजों ने मेरे मन पर प्रभाव किया वह था पंचायती राज का वर्तमान ढांचा। आया जैसा आज है वैसे का वैसा ही रहे अथवा बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया जाय। प्रबुद्ध विचारकों का ऐसा मत है कि हमको हमारा जो स्वरूप है उसको बदलना चाहिए। आज हमारा थ्री टायर सिस्टम है— जिला परिषद्, पंचायत समितियां और पंचायतें। जिला परिषद के लेवल पर हमारा ओर्गनाईजेशन सुपरवाईजरी है खाली, एक्जीक्यूटिव नहीं है। वह न किसी जिम्मेदारी को स्वयं लेता है, न किसी जिम्मेदारी को निभाता है। थ्री टायर में से लास्ट टायर पंचायत है। बामर्तबा लोगों की राय यह है कि हमारी पंचायतें इतनी अशक्त हैं कि गुड्स डिलिवर नहीं कर पाती हैं और जो हम यह चाहते थे कि ग्रामीण जीवन में इनके द्वारा चेतना

(श्री हरिदेव जोशी)

आवे, इनके द्वारा हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लावें, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट सिद्धहो, ऐसा लगता है कि शायद यह उतना गुड्स डिलिवर नहीं कर पा रही हैं।

अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, मैं सारे राजस्थान की बात को नहीं कहता, मगर कई पंचायतें ऐसी हैं कि जो अपने पार्ट टाईम चपरासी को तनख्वाह भी नहीं दे पाती हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें साठ से सत्तर प्रतिशत आदिवासियों की आबादी है। उन आदिवासियों से यह अपेक्षा की जावे कि वे पीपुल्स पार्टीशिपेशन से वहां की इकानामी को जनरेट करेगी वहां के डवलपमेंट में आधार बनेंगी, और एक इकाई के रूप में कुछ कन्ट्रीब्यूट करेगी, मैं ऐसा समझता हूं कि उनसे ज्यादा अपेक्षा की जा रही है। इन सारी स्थितियों के अन्दर आम तौर पर हमने देश के दूसरे प्रान्तों में भी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा हैं इसको समझने के लिए और राज्य सरकार को राय देने के लिए एक समिति की स्थापना की।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ने गिरधारी लाल व्यास की कमेटी के बारे में कई बातें कह दीं। अभी गिरधारी लाल व्यास कमेटी की सिफारिशें मोटे तौर पर हमारे सामने आई हैं, विषद रूप में नहीं और एक ही बात है कि राज्य सरकार उस पर अपना मानस नहीं बना पाई है अभी तक। बल्कि यहां तक कि राज्य सरकार के नाते ही नहीं बल्कि पंचायत राज मंत्री के नाते एक सेमिनार करना चाहता हूं माननीय सदस्यों का भी। यह हाउस कई पोलिटिकल पार्टीज का कोम्बीनेशन हैं तो पोलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं, उनका क्या अनुभव रहा है पिछले वर्षों में यह जाना जा सके।

प्रोफेसर केदार साहब ने जैसे महाराष्ट्र पैटर्न की बात कही। उसमें उपाध्यक्ष महोदय, सशक्त ओर्गनाईजेशन जिला परिषद हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज सारी की सारी उसके तहत होती हैं। डिस्ट्रिक्ट का बजट उसके तहत आपरेट होता हैं। डेवलपमेंट का सारा काम उसके मार्फत होता हैं और वह एक प्रकार से मिनी स्टेट है। उसको फण्ड अलोकेट कर लिया जाता हैं और अपनी सीमा में वह स्वतंत्र हैं। आया हम उस पैटर्न को पसन्द करते हैं अथवा हमारा आज का जो पेटर्न हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं।

आज जो पंचायतों की सीमाएं हैं वह आज से कई वर्ष पहले बनाई गई थी। उस समय लगभग दो हजार की आबादी पर एक पंचायत बनाई गई थी। आज वह आबादी बढ़ कर कुछ ज्यादा हो गई हैं। आया यह पंचायतें इतनी ही रहनी चाहिए अथवा इनका डी-लिमिटेशन फिर से होना चाहिए उन्हें बड़ा बनाया जाय अथवा कैसे क्या किया जाय। उन्हें इकोनोमिकली वायबल बनाने के लिए अधिक बड़ा बनाने की जरूरत है अथवा कैसे क्या हो और फिर दो एक्जीक्यूटिव बाडीज साथ साथ रह सकेंगी। क्या जिला परिषद भी एक्जीक्यूटिव बॉडी हो और पंचायत समिति भी होवे तो क्या होगा। एक दूसरे के बीच में कोई क्लेश तो नहीं आयेगा, अथवा पंचायत समितियों की जरूरत भी हैं अथवा जिला परिषद डायरेक्ट पंचायतों के मार्फत काम करें। ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

इस बीच में अकाल आ गया और उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन जैसा मैंने निवेदन किया था पंचायतों के इलेक्शन पर लाखों रुपया खर्च होता है। सन् 65 में पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदों के इलेक्शन्स पर चालीस लाख रुपया खर्च हुआ। मैं यह उपयुक्त नहीं समझता था कि एक बार चालीस पचास लाख रुपया खर्च कर दिया जाय और फिर छः आठ महीने बाद नया सिस्टम इण्ट्रोड्यूज करना चाहें तो फिर इलेक्शन करवाये जायं और फिर से खर्चा किया जावे।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, गिरधारी लाल कमेटी ने सिस्टम इटसेल्फ के अन्दर इलेक्शन सिस्टम के अन्दर चेलेंज का सुझाव दिया है, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इण्ट्रड्यूज करना। उन्होंने कहा है कि एक अमुक प्रकार से इलेक्शन हो। जैसा माननीय सदस्यों को याद होगा पहले पहल हमारा सिस्टम था और उस सिस्टम के अन्दर इलेक्टोरोल कालेज वोट देता था पंचायत समितियों के लिए। माने जो सरपंच थे या पंचायत समितियों के जो सदस्य थे वे सदस्य ही केवल वोट करते थे। उसका परिणाम क्या हुआ। एक लिमिटेड इलोक्टोरेट कालेज होने के कारण से ऐसा देखने के अन्दर आया और उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि लोगों ने उन सब को बसों में बैठा बैठा कर हरिद्वार की यात्राएँ करवा डाली। एक बार उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके अलवर के पास होकर गुजर रहा था। वहां एक मंदिर है भर्तृहरि। उस भर्तृहरि मन्दिर में दर्शन करने के लिए मैं चला गया। वहां देखा एक दो गाड़ी पड़ी हैं, लोगों की भी भीड़ है। मैंने सोचा मामला क्या है। इतने सारे लोग दर्शन के लिए यहां आते हैं। फिर मुझे बताया गया कि ये पंच, सरपंच हैं और इनका यहां पर खाना हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को चेन्ज किया है और आज प्रधान ब्राड बेस्ड आधार पर चुना जाता है। गिरधारीलाल समिति ने इसको भी और ब्राड बेस्ड बना दिया है। जिला परिषदों को भी ब्राड बेस्ड बनाने की बात कही गई है। हमें इन सारे मुद्दों के ऊपर फैसला करना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर, इस सदन में गिरधारीलाल समिति का, उसकी अन्तरिम रिपोर्ट का उल्लेख किया है ...

श्री उपाध्यक्ष : That is understood.

श्री रामानन्द अग्रवाल : परन्तु माननीय उपाध्यक्षजी अभी तक इस समिति की रिपोर्ट इस सदन के माननीय सदस्यों को वितरित नहीं की गई है। यही नहीं यह रिपोर्ट टेबुल आफ दी हाउस पर भी नहीं रखी गई है।

श्री हरिदेव जोशी : I am sorry for that.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो ले कर रहें हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इन्टरिम रिपोर्ट से मतलब है।

श्री हरिदेव जोशी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इतना सक्षम नहीं मानता हूं कि ऐज ए मिनिस्टर इस इश्यू के ऊपर स्वयं ही कोई फैसला ले लूं। इसलिए मैंने राज्य सरकार को, केबिनेट को यह राय दी है कि कुछ दिनों के लिए पंचायतों के इलेक्शन स्थगित कर दिये जाये और इन सारे इश्यूज को शार्ट आउट कर लिया जाये और उसका जो कुछ भी नतीजा निकले उसे निर्णय के आधार पर हमको, सरकार को एक नये प्रकार का बिल सदन के समक्ष लाना चाहिये। इसमें दो राय नहीं है। मैं कह नहीं सकता अकाल इस बार नहीं हुआ होता, तब भी केवल एक ही कारण रहता आर्डिनेन्स को इश्यू करने का अथवा दूसरा कारण भी होता। इस बार भी अकाल हुआ और कुछ मित्रों ने राय दी। इसको भी एक कारण माना है। परन्तु निश्चित रूप से पंचायती राज्य सिस्टम में, इसके ढांचे में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें एक नई स्फूर्ति और एक नयी चेतना डालनी होगी। इसमें मुझे कोई किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। बड़े पैमाने पर एक बड़ा बिल इस सदन के समक्ष रखूंगा। इस विचारधारा से इन चुनावों को स्थगित कराया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कब तक के लिये ? चुनाव कब हो जायेगें ?

श्री हरिदेव जोशी : एक साल के अन्दर हो जायेगें।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में प्रश्न करने के लिये मौका दिया जायेगा.......

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही सदन स्थगित हो जायेगा मुझे कुछ फार्मेलिटिज पूरी करनी होगी। एक चीज तो यह है कि इसको केबिनेट के सामने रखूंगा और उसकी गाइडेन्स मुझे लेनी होगी। दूसरी चीज, दूसरी पोलिटिकल पार्टिज क्या सोचती हैं, इस बारे में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, मुझे उसकी भी गाइडेन्स लेनी होगी। तीसरे, माननीय सदस्य क्या सोचते हैं, मुझे इस पर उनकी भी गाइडेन्स लेनी होगी और उसके बाद में मैं राज्य सरकार के पास अपने कांक्रिट प्रपोजल्स के साथ जाऊंगा। यह प्रोसेस एक प्रकार से जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त में पूरा हो जाना चाहिये और अक्टूबर में राज्य सरकार की स्थिति साफ हो जानी चाहिये अगली जनवरी से पहले नये इलेक्शन हो जाने चाहिये। यह सोच कर के मैं चलता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ पंचायतों के बारे में, पंचायत समितियों के बारे में कहा है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। 7000 पंचायत समितियां हैं उपाध्यक्ष महोदय और इन सात हजार पंचायतों में मेजोरिटी बुरी नहीं है शिकायत किन्हीं की हो सकती है, पंचायत समितियां भी खराब हो सकती है, प्रधान भी खराब हो सकते हैं परन्तु उनकी भी कुछ तकलीफें होती है। पंचायत समितियों में जाकर बैठते हैं तो वे भी अपने बहुत सारी तकलीफें सुनाते हैं एक तरह से भी घुटन सी महसूस करते हैं कि हमारे यहां यह नहीं है, बजट नहीं हैं, ये सारा चीजें नहीं है, पैसा नहीं हैं, ओवरसियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। काम करने की स्थिति नहीं है।

(श्री हरिदेव जोशी)

इन सारी चीजों के दोनों पक्षों को साफ कर एक निर्णय लेना होगा इस दृष्टिकोण से मैं यहां पर आया हूं और यह निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने यहां पर रखा है कि समय बढ़ा दिया जाये, उसको कृपा करके स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप तो अस्थायी तौर पर समय बढ़ाना चाहते हैं किन्तु यहां तो आप एक्ट में अमेन्डमेंट कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से पंचायतों के चुनाव टालने की बात कह रहे हैं। पहले यह तीन वर्ष किया गया है और अब उसके स्थान पर चार वर्ष करा रहे हैं। यह तो स्थायी रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापिस लेना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने ब्राड चीजें बता दी हैं। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रोसेस आफ इलेक्शन आरम्भ हो जायेगा। मैं कोई आटोक्रेट नहीं हूं कि तारीख अपने आप मुकर्रर कर दूं। केबिनेट के निर्णय के बिना तारीख तय नहीं हो सकती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी बात को मैं वजन भी देता हूं, इसलिये कि कोई बात यहां पर प्रमाणिकता के आधार पर कही जा रही है। 67 के बाद से बराबर चुनाव अकाल के नाम पर टाले जा रहे हैं। आज तो अकाल और कांग्रेस एकसी हो गई है। मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते, कांग्रेस दल के उप नेता होने के नाते, यह जो आश्वासन आप यहां पर दे रहे हैं सदन को दे रहे हैं, कि अब की बार चुनावों को नहीं टाला जायेगा, आपकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं। राज्यपाल महोदय से आखिरकार आपने आश्वासन निकलवाया है और यही नहीं आपने इस प्रकार से 8 अध्यादेश निकलवाये हैं, चाहते तो 15 अगस्त के सत्र में इनको ला सकते थे, खैर छोड़ता हूं इस बात को भी अभी। इसलिये मैं आपके आश्वासन पर यह जो मैंने अध्यादेश को अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति है।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई)

श्री भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापिस लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत से लोग हैं। It was not a joint resolution.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तावकर्ता श्री भार्गव है। माननीय मंत्री महोदय, विचारार्थ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति है।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 का विचारार्थ प्रस्तुतीकरण

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने एवं प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्तावों पर चर्चा

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने कई बातें बताई, पर मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में जो थ्री टायर सिस्टम है इस लोकतान्त्रिक गणराज्य का उस संबंध में निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति के मारफत अब कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है और पंचायतों की हालत बहुत खराब है। जो भी डेवलपमेंट के नोटिस भेजे गये वह माननीय मंत्रीजी, पंचायत समितियों में ही रह गये और पंचायतों को डेवलपमेंट के नोटिस नहीं भेजे जाते हैं इस आधार पर कि पंचायतें विकास का कार्य नहीं कर सकती हैं। फिर मैं दूसरा निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों के पास कोई काम बाकी नहीं रहा। पहले वे कर्ज देती थीं। अब कर्ज देने का काम कर रही हैं। पहले वे बीज देती थीं और खाद देती थीं और अब बीज और खाद देने का कार्य सहकारी समितियों के मारफत हो रहा है। पहले वह औजार देती थीं, ट्रैक्टर के पार्टस और अन्य प्रकार के जो भी कृषि के काम में आने वाले यन्त्र हैं वह देती थी पर अब वह यन्त्र देने का काम कृषि उद्योग निगम कर रहा है। अब पंचायत समितियों का और पंचायती राज्य का पूरा ढांचा केवल कागजों तक ही सीमित हैं।

अब मैं आप से निवेदन करूंगा कि आज हालत यह है कि छुट्टियां पंचायतें स्वीकृत नहीं कर सकती है। अगर कोई मास्टर है तो केवल अध्यापकों के वेतन का वह चुकारा करती हैं। पंचायत के मास्टरों की छुट्टियां स्वीकृत करेगा तो वह विकास अधिकारी करेगा। तनख्वाह पंचायतें देंगी नहीं। तनख्वाहें मिलेगी तो सरकार जो धन देगी उस धन को वह पंचायतों के मास्टरों में बांट देंगे। पंचायतें यदि किसी मास्टर का ट्रान्सफर करना चाहें तो ट्रान्सफर नहीं कर सकती हैं। वह ट्रान्सफर करेगी बी.डी.ओ. इम्तिहान भी पंचायतें नहीं ले सकती है। इम्तिहान लेने का काम शिक्षा समिति करेगी जो कि पंचायत समिति के तहत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पंचायतों की क्या दुर्गति हो रही है जो कि

Page No. 63

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सबसे नीचे की इकाई है इस लोकतंत्र की। उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : पंचायत या पंचायत समिति :

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।

श्री रामनारायण चौधरी : पंचायतें यह काम नहीं करती है

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सुन लें। काम यह आज रह गया है। पंचायत समितियों को जो धनराशि मिलती है वह धनराशि पंचायत समिति से पंचायतों तक नहीं पहुंचती है और जो पंचायत समितियों को राजस्व मिलता है यानी रेवेन्यू जो राज्य सरकार वसूली करती है उसका कुछ हिस्सा उनको देती है तो पंचायत समितियां पंचायतों को उसका हिस्सा भी नहीं देती हैं और आज हालत मैं समझता हूं इस प्रकार की रह गई है कि केवल जो स्टेंडिंग कमेटी है उस स्टेंडिंग कमेटी के पास में पंचायतों को धनराशि देने का काम है। इस प्रकार से मेरा सारा यह निवेदन है कि हम आपसे यह मांग करना चाहते हैं कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् यह जो थ्री टायर सिस्टम है उसमें से बीच की इकाई यानी पंचायत समिति को खत्म किया जाय। इस थ्री टायर सिस्टम के स्थान पर टू टायर सिस्टम कायम किया जाय। ग्राम पंचायतें सब से शक्तिशाली हों और उसके ऊपर हो जिला परिषद्। इस प्रकार से मेरी आप से मांग है।

अब मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने यह किया है कि जिन पंचायतों में पंच और सरपंच नहीं हों तो उसके अभाव को सरकार किसी भी व्यक्ति से 6 माह के लिए पूरा कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को पंचायत का कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है। ऐसी कई पंचायतों में नियुक्तियां की गई हैं। वह व्यक्ति भी एक निश्चित अवधि में यानि 6 माह के बाद नहीं बदला जाता है और सालों तक चुनाव नहीं कराते हैं और राज्य सरकार द्वारा वह नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं रूपनगढ़ पंचायत के सरपंच श्री हेमराज की बात कहता हूं कि वह भ्रष्टाचारी हैं और अकाल-पीड़ित लोगों का भी शोषण उसके द्वारा हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे जनमत के लिए इसको प्रसारित करने की मांग है। यह जो वर्तमान में सारा ढांचा है पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् इन सबका आप टर्म नहीं बढ़ाकर यदि आप इनको भंग कर दें और भंग करके जो उनके पास जीपें हैं वह अकाल में हमको जीपें चाहिए उसमें काम में लें। मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों के पास और मंत्रियों के पास जीपें हैं उनका दुरुपयोग होता है। जयपुर शहर में आप देखिए कि चाहे प्रधान हो, प्रमुख हो, पंच हो या सरपंच हों दीपावली के दिनों में, होली के दिनों में या अन्य दिनों उन जीपों में यहां घूमते हुए मिलेंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि सरकारी अधिकारी या कोई मंत्री सरकारी गाड़ियों का उपयोग सरकारी काम के वक्त ही करेगा और दूसरे टाइम में उनको उपयोग नहीं करेगा, लेकिन आप जयपुर के सब्जी मार्केट में चले जाइये, किसी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सिनेमा के पास चले जाइये, किसी होटल के पास चले जाइये और जिस समय कालेज और स्कूलों की छुट्टी होती है उस समय वहां पर चले जाइए तो उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नियां, उनके लड़के, लड़कियां मैं समझता हूं सरकारी गाड़ियों का और सरकारी जीप का दुरुपयोग करते हैं। कई बार हम देखते हैं तो आश्चर्य करते है कि पंचायत समिति की गाड़ी उसमें आलू भर कर जा रहे हैं, कुछ लोग बैठकर जा रहे हैं। जरा गम्भीरता से सोचिये। उनका इस प्रकार से दुरुपयोग होता है। इस लिए अकाल के नाम पर इन सब को समाप्त कर दें और इनकी अवधि न बढ़ायें। आज आठ-आठ वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं और उन्होंने धन का दुरुपयोग किया है, अकाल के पैसे का दुरुपयोग किया है। व्यास समिति की रिपोर्ट है कि धन के आधार पर चुनाव जीतेंगे। एक वर्ष की अवधि और दे दी तो मालामाल होकर यही व्यक्ति जो मठाधीश होकर बैठे हुए हैं फिर से चुनाव जीत जायेंगे और धन के बल पर चुनाव जीतेंगे। इसलिए आप चाहते हों कि निष्पक्ष चुनाव हों तो वहां से उनको हटाकर प्रशासक बिठाना है तो उनको बिठायें और जो घोषणा की है उसके अनुसार चुनाव करायें।

अकाल के नाम पर जो ओवरशियर्स और इन्जीनियर्स को लगा रहे हैं तो उन बेकार ओवरसियर्स और बेकार इन्जीनियर्स को गांवों के विकास कार्य के लिए वहां पर लगायें और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम जीपें मांग रहे हैं डिफेन्स से अकाल के काम के लिए सो वह जीपें आने वाली हैं और अगर यह जीपें भी आजायं तो राजस्थान में अकाल नहीं पड़ने देंगे। राजस्थान में अकाल के काम के लिए जनसंघ, कांग्रेस, स्वतन्त्र और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रश्न नहीं है। हम सब अकाल का सामना करने के लिये एक हैं। कोई दैवी विपत्ति आती है तो उसका सामना करने के लिए हम सब एकमत होंगे। अगर कोई राज्य सरकार की उदासीनता होगी और राज्य सरकार देरी करेगी और उसकी वजह से पैसा लेप्स हो जायगा तो उनके ऊपर यहां विधान सभा में विरोध करेंगे, लेकिन बाहर अकाल जैसी समस्या का विरोध करने के लिए हम सब एक हैं। हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इस मृतप्राय ढांचे को सस्पेण्ड कर दें और जनवरी में जो चुनाव कराने की बात कर रहे हैं तो उस समय चुनाव करा लें। तब तक इन जीपों का उपयोग हो जायगा और जो बेकार ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स हैं वे भी काम पर लग सकेंगे। यह घोषणा कर दें कि एक निश्चित तिथि तक राजस्थान में पंचायतों के चुनाव होंगे और इस बीच में हम अकाल का सामना भी कर सकेंगे। यही मेरी प्रार्थना है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करा दें। इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं तो बाहरी दुनिया से क्या आप अपने दल के लोगों से पूछ लें। वह भी मन में महसूस करते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

वे जानते हैं कि चुनाव समय पर नहीं होना प्रजातन्त्र की बहुत बड़ी हत्या है। इस विधेयक का विरोध नहीं करेंगे। मेरी बात को मान लें। इस लिए इच्छा हो कि आप इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दें, और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो वर्तमान ढांचा है उसको खत्म करके एक वर्ष के अन्दर चुनाव करायें ताकि इन जीपों का भी उपयोग हो और ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स का भी उपयोग हो।

श्री उपाध्यक्ष : एक निवेदन करना चाहूंगा। इस समय तीन प्रकार के प्रस्ताव हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे थोड़ा ही निवेदन करना है।

विधेयक पर संशोधन, जनमत जानने के लिए, और प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव हैं। इन तीनों प्रस्तावों पर एक साथ ही विचार कर लें। तो सदन के समय के लिए यह उचित होगा। माननीय सदस्य एक साथ ही विचार प्रकट कर लें।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव विड्रा करता हूं। उसे मूव ही नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्दजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दल यह विश्वास रखता है कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कि इसको वास्तविक वित्तीय साधन दें, वास्तविक जनता की सेवा करने का अधिकार दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसका उद्देश्य केवल मात्र जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया, किन्हीं परिस्थितियों के कारण जो इस विधेयक में केवल मात्र दुर्भिक्ष की स्थिति कही गई है। परन्तु उसके दूसरे पहलू पर माननीय मन्त्री महोदय ने प्रकाश डाला है इस पंचायत राज का ढांचा किस प्रकार का हो यह अभी आज विचाराधीन है। इसीलिए गिरधारीलाल व्यास कमेटी का गठन किया गया है। उसका दूसरा कारण यह है। मेरा निवेदन यह करना है, उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों के लिए केवलमात्र इतना ही विचार करना आवश्यक नहीं होगा कि यह थ्री टायर सिस्टम हो जाये या टू टायर सिस्टम हो जाये। पंचायतों का क्षेत्र और ज्यादा विकसित कर दिया जाये। उनको छोटा बना दिया जाये या बड़ा बना दिया जाये या चुनाव प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर दिया जाये जिससे कि चुनाव ज्यादा स्वतन्त्रता पूर्वक हो सकें। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अन्य प्रश्नों का भी हमें समान समाधान निकालना पड़ेगा। परन्तु मैं दूसरे पहलू की ओर आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज यह स्टेज आ गई है कि हम राजस्थान में और देश के पैमाने पर इस बात का विचार किया जा सके। तो, देश के पैमाने पर विचार करें और क्यों न हम जो जिला स्तर पर आज दुहरी शासन पद्धति चला रहे हैं। एक तरफ कलेक्टर है दूसरी तरफ जिला प्रमुख है। एक तरफ तहसीलदार है। दूसरी तरफ प्रधान है। एक तरफ पटवारी है, दूसरी तरफ ग्राम का सरपंच है। यह विभाजन आज हमारे प्रान्त के अन्दर भी और मैं समझता हूं कि दूसरे प्रान्तों में भी है। जो एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

असली मकसद हमारा इस पंचायत राज से था, उस मकसद को नजरअन्दाज करके यह दो होस्टाइल कैम्प आपस में कन्ट्रेशन करते हुऐ हमारी अपनी समाज व्यवस्था में खड़े कर दिये। मैं समझता हूं कि हमने जो हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को मंजूर किया है, हमने जब इस बात का संकल्प किया है, हम इस देश का शासन इस देश में रहने वाली 55 करोड़ जनता के सहयोग से, केवल मौखिक सहयोग से ही नहीं बल्कि सक्रिय रूप से डेमोक्रेसी में इन्वाल्व करके चलना चाहते हैं। वही सच्चे मायने में डेमोक्रेसी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल का यह मानना है कि केन्द्र के रूप में लोकसभा, पार्लियामेंट या राज्य-सभा या विधान सभा या कहीं पर विधान परिषद् है, या डेमोक्रेसी को इन्कम्पलीट करते हैं यह बोलना गलत है। यह गलत है। हमें जनता को प्रशासन तन्त्र में हिस्सा देने के लिए सक्रिय रूप से इस शासन तन्त्र को हम को नीचे तक ले जाना है। हमें उन इन्सानों के हाथ में इस सत्ता को सौंपना है। मैं समझता हूं कि इसका स्वरूप मोटे तौर पर इसी रूप में होना चाहिए। जिस तरह से प्रान्त की सत्ता एक चुने हुवे मन्त्रि-मन्डल के हाथ है। मन्त्रि-मण्डल नीति निर्धारित करता है। और, यह सदन विचार करके मन्त्रि-मण्डल पर कन्ट्रोल करता है और जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जिले के स्तर पर जिला परिषद् इलैबोरेट बोडी को कायम करे। जिस प्रकार से मन्त्रिमन्डल होता है, उसी प्रकार से वहां एक कमेटी कायम करें। वह कमेटी हो और कलेक्टर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जिला परिषद् का काम करे। मैं समझता हूं जो पावर आज प्राविन्शियल ऑटोनामी के रूप में है, वह पावर नीचे जिले में और गांव में होनी है। हम जनता के लोगों के जरिये से चुनकर आये हैं। आज जो हमारी वास्तविक ताकत है, उन पर हम अविश्वास करके चलें, उनके हाथ में सत्ता सौंपने से गड़बड़ हो जायेगी, यह उन लोगों का सोचना है, यह उन लोगों की सूझ हो सकती है जो इस देश की डेमोक्रेसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो अंग्रेजों की दलील के समर्थक रहे हैं। अंग्रेज यह कहते थे कि हम चले जायेंगे तो हिन्दुस्तानी शासन नहीं कर पायेंगे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कुछ मेम्बर बनाकर थोड़े से अधिकार देने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि 1947 से पहले हमारे देश में आजादी की लड़ाई हुई है। और, जिस तरीके से रिलेक्टेण्ट हाथों से सत्ता सौंपी है। हम जनता के प्रति डेमोक्रेसी लाने के लिए लड़े हैं। आज अपनी जनता को सत्ता सौंपते हुये क्या उसी तरह से हम भी रिलेक्टेण्ट होंगे। हम भी उस लड़ाई के दौर से गुजरे हैं। क्या आज भी जनता को उसी दौर से गुजरना होगा। आज हमारा डेमोक्रेटिक सेटप बनने दो। आज हमारा वही व्यवहार जिला परिषद् और पंचायतों के साथ है। जो किसी समय में अंग्रेज रखते थे। उनकी जैसी मनोवृत्ति से, उसी नीति से कम्पेयर किया जा सकता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे साथ में किया। रिलेक्टेण्ट हाथों से सत्ता सौंपी है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है। इस प्रश्न पर सरकार की तरफ से और जनता की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरफ से गहन विचार किया जाये। इसके आस्पेक्ट पर विचार किया जाये। आज हम सोशल इकॉनामी में चेन्ज लाने के लिए अग्रसर हुये हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने परसों ही इस बात को कहा है, हमको नीचे तक अपनी जनता को इस में इन्वाल्व करना पड़ेगा। यह वास्तव में जिस प्रकार से हम शासन चला रहे हैं, 50 हजार करोड़ पंचवर्षीय योजना की कल्पना करते हैं। वह जभी सम्भव है, जब गांवों में रहने वाले एक एक आदमी उस पर बहस करें। ताकि एम्प्लीमेण्टेशन में उसका सक्रिय सहयोग हो। यह तभी सम्भव है जब कि पंचायत राज एक जिन्दा राज हो। एक सशक्त राज हो। वास्तविक रूप में जिस प्रकार से प्राविन्शियल ओटोनामी है उसी तरह से उनको भी कानूनी पावर हो। सब मिलकर काम करें। उनका एक दूसरे को होस्टाइल कैम्प के तरीके सा कन्ट्रेशन न हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं इसी से हमारा देश मजबूत बन सकता है हमारी योजनाएं कामयाब हो सकती हैं। हमारे देश का पिछड़ा हुआ तबका देश के शोषक वर्ग से हटकर अपने हाथ में शासन-तन्त्र की बागडोर सम्भाल सकता है। क्या आज का शासन तन्त्र ऐसा करने को तैयार है ? मैं समझता हूं इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। शासन दल पूरी तरह नहीं सोच रहा है। कम से कम पिछड़े हुये प्रतिनिधियों के सोचने की बात है। इस पर गंभीरता से विचार कर मौलिक परिवर्तन करे और जिला लेवल पर इसको खतम करें ताकि डायार्की समाप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय पूरे जनतन्त्र की एक जड़ पंचायत राज में हमने सबने रखी थी। शुरु में जब एक ज्योति जलाकर डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाईजेशन का इस राज्य में उदय हुआ तब तीन साल के लिये ये पंचायतें और पंचायत समितियां तथा जिला परिषद् चुने गये थे। तत्पश्चात् एक एक साल की उनकी दो बार अवधि बढाई और उसके बाद तीन साल से लगातार इलेक्शन पोस्टपोन किये जा रहे हैं, इस साल जब तहसील स्तर पर चुनाव की सारी तैयारियां लोगों को दिख रही थी, इलेक्शन लिस्ट बन गई थी, पंचायतें कैसी बनेगी उसका ढांचा बन गया तब लोगों में आशा का उदय हुआ कि इस साल जो 8 साल से पंचायत में कब्जा किये बैठे हैं उन लोगों को न्याय करने का मौका लोगों को दुबारा मिलेगा।

आखिर में पंचायतें हों, पंचायत समितियां हों इन सबका खास महत्व यही है कि वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं। परन्तु जब ये सारी चुनाव की तैयारी हो गई। जनता में बड़ा हर्ष हुआ और जब अन्तरिम उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आई और उन्होंने भी महसूस किया कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने चाहिये तब लोगों को और भी आशा बन्ध गई थी। तरह तरह की तैयारियां लोकल लेवल पर हो गई थी परन्तु अचानक राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ा और इस पर अभी मन्त्री महोदय ने काफी विस्तार से बताया, चुनाव

(श्रीमती उषा प्रकाश)

स्थगित कर दिये जायं। मैंने आज इस प्रस्ताव को जनमत रखने का इसलिये निवेदन किया माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि उस वक्त जब मन्त्रि मण्डल का फैसला कि चुनाव इस वर्ष नहीं होंगे, यह घोषित किया गया था उसमें मैं भी उन गांव वालों के बीच में थी जो चुनाव की तैयारियों में थी तब उनको कितनी निराशा हुई, यह मैंने अपनी आंखों से देखा था और जनता के प्रतिनिधि के नाते मैंने आज अपना कर्तव्य समझा और यह निवेदन करना चाहती हूं कि पंचायतों की जो जनता है, जो पंचायतों के प्रतिनिधि माने जाते हैं उस जनता को तो एक बार पूछें कि क्या चाहती है। जनता चाहती है 8 साल पहले चुनाव हुए थे प्रधान, पंचायत और पंचायत समितियां विधिवत् काम करती रहे काम तो कई तरह के करने पड़ते हैं। पंचायतें, मास्टरों की नियुक्तियां उनके हाथ में है। आपके इन मास्टरों का पंचायत समिति में तरह तरह का शोषण होता हैं, तरह तरह की परेशानियां होती हैं। ये अगर देखें तो दुख होता है कि अगर दुबारा जनता के सामने जाने का डर होता तो जनता के माने हुए प्रतिनिधि इस तरह की हिम्मत नहीं करते और लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता।

प्रधान, जैसा मंत्री महोदय मुझे कभी कभी कहते हैं उपाध्यक्ष महोदय प्रधान पीड़ित है। स्वयं प्रधान मेरे गांव में लड़ चुके हैं और उन्होंने एक नतीजा भी देख लिया है। आज प्रधान ही पीड़ित है न कि हम। दुख जब होता है उपाध्यक्ष महोदय अभी मेरे जिले में भयंकर बाढ़ आई थी उस वक्त पंचायत समिति ने जो निष्क्रियता दिखाई उसका एक नमूना यह है उपाध्यक्ष महोदय कि जिन कुओं का पानी पीने के लिए राज्य सरकार ने अनुदान भेजा था परन्तु पंचायत समिति में अभी 8 दिन पहले ही मैं वहां गई थी तो उन कुओं का पानी पीने के योग्य बनाने में पंचायत असफल रही। दुख होता है मुझे भी और जनता को भी जब इस प्रकार की निष्क्रियता पंचायतों की देखते हैं। सारे विकास के काम को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है शिक्षा और विकास के काम को तो पंचायतों ने बिल्कुल ही छोड़ रखा है।

8 साल पहले चुनाव हुये थे। अब उसकी जनता में कितनी कीमत है। इसलिए यह सुझाव रखा है कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। सारे देश की डेवलपमेंट की नींव पंचायतों में मिलती है और पंचायतें उसके लिए क्या करना चाहती हैं। अलग अलग पंचायत और पंचायत समितियों के सामने मिसयूटिलाइजेशन आफ फन्ड्स के कई तरह के इल्जाम पब्लिक की तरफ से लगाये गये हैं और कई तरफ से सरकार की ओर से जांच भी हो चुकी हैं।

एक दिलचस्प घटना के बारे में, मैं आपको बताती हूं। एक मंत्री महोदय ने मिसयूटिलाईजेशन ऑफ फन्ड्स की जांच करवाई। जांच के आधार पर मंत्री महोदय ने उसको बरखास्त कर दिया। इतने में मंत्री महोदय बदल गये और यह आदेश हो गये कि यह जांच दुबारा की जाय और तब तक सरपंच अपना काम बराबर करता रहे, दुबारा। इस काम को 6-7 महीने हो गये। यह मिसयुटिलाइजेशन की जो शिकायत है उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई।

(श्रीमती उषा प्रकाश)

इन विकास कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारियों का कितना कन्ट्रोल है, गाइडेन्स है, इसमें भी कभी कभी उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहम होता है। जब जिला भरतपुर के लिए कमेटी बनी थी उस कमेटी में कई तरह के निर्णय किए गये थे यहां तक कि कहा गया था कि अगले वर्ष के काम जो हम लेना चाहते हैं उनका सर्वे एस्टीमेंट तैयार हो जाए। अगर किसी वजह से काम चालू नहीं हो पाता है तो विकास का जो बजट प्रोवीजन है उसको लैप्स न होने देने के लिए दूसरे काम जिले में साथ साथ ले लिये जायेंगे। परन्तु फिर भी मुझे इस बात का दुख है कि भरतपुर जिले में से 5 लाख रुपये लेकर क्रेश प्रोग्राम में से दूसरे जिलों में डाइवर्ट हो गए और वहां के लोगों को विकास की भूख है, उसको थोड़ी बहुत खुराक मिलती, वह भी छीन ली गई। उसके विकास के लिए जो पंचायतें बनी हैं उनका ओइलिंग होना जरूरी है, जो 8 साल का जंग लग गया, उनमें कचरा हो गया, इस वजह से आज कल काम नहीं कर रही हैं। पीने के पानी के कुए अगर 6–6, 8–8 महीने तक चालू नहीं होते हैं तो जनता को कितना दुख हुआ होगा उसको सदन आसानी से महसूस कर सकता है।

इसलिए हर पंचायत समिति में जो स्टेंडिंग कमेटी होती है, उसके भी हरसाल 1/3 प्रतिनिधि रिटायर होकर उसके चुनाव होते रहने चाहिए उसमें भी नए नए लोग आते रहने चाहिए, यह काम भी जैसे जैसे पंचायत समितियों और पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं वैसे वैसे अपने मन से स्टेंडिंग कमेटियों के चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं। इन सब हालात में आपसे निवेदन करूंगी कि सरकार यह सोचे कि जनता से राय ली जाय, ये जो जनता के प्रतिनिधि बने फिरते हैं, ये जो अपने को जनता के प्रतिनिधि मानते हैं, क्या जनता इनको चालू रखना चाहती है ? सरकार को इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उन माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहूंगा जिनके प्रस्ताव हैं उसके बाद और माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (अनुपस्थित)।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय ··

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : म्युनिसिपैलिटी वाले बोल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं बोल रहे हैं। हमारे यहां पंचायत समिति का एरिया आता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कभी आपने पंचायती करवाई है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : करवाई है।

एक माननीय सदस्य : वह नकली मामला था।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह नकली नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1973 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए, उस बारे में मैंने संशोधन रखा है उसके समर्थन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

में मै अपने विचार रखना चाहता हूं। 1959 में जब लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ, तब बड़ी आशायें बंधी थीं .

श्री उपाध्यक्ष : It may be in brief.

श्री वृद्धिचन्द जैन : बहुत संक्षेप में। कोई दूसरा बिल तो है नहीं । लोकतांत्रिक विकेन्द्रकीरण जब किया गया उस समय बड़ी आशायें बंधी थीं और हमारे राज्य ने सारे देश में सर्वप्रथम कदम लिया था उसके बाद में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायत समितियों, जिला परिषदों और पंचायतों ने बहुत सक्रिय रूप में कार्य किया। परन्तु इस 1964 चुनाव के बाद में जो पंचायतें और पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनीं, जिनको कि अब 9 वर्ष होने जा रहे हैं और जब चुनाव होंगे, जैसे कि पंचायत मंत्री ने फरमाया तब तक 10 साल हो जायेंगे। विधान सभा व संसद के चुनावों के लिए भी 5 साल का समय है। पहले जो कानून बनाया गया था पंचायतों के लिए वह सिर्फ तीन साल के लिए था परन्तु यह चुनाव तीन साल से लेकर फिर बाद में पंचायत एक्ट में परिवर्तन करके 5 साल कर दिया गया और 5 साल करके तीन सालों का और एक्सटेन्शन दिया गया और एक साल और बढ़ाकर 4 साल का अवसर दिया जा रहा है । तो इस प्रकार हम लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब वाकई हम लोकतंत्र को मानते हैं, विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो ये चुनाव न कराकर हम जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे जिले में जनता की राय थी कि चुनाव कराये जायं । जब चुनावों की इस प्रकार घोषणा की गई और उनकी तैयारी की गई उसके बाद में हाई पावर कमेटी ने भी सुझाव दिया कि चुनाव जल्दी होने चाहिए तो फिर राजस्थान सरकार को क्या कठिनाई थी, क्या तकलीफ थी, उसको चुनाव करा देने चाहिए थे। इससे हमारी राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी नहीं बल्कि घटी है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी नहीं, घटी है। यदि लोकतंत्रीय प्रणाली को हम मान्यता नहीं देंगे, समय पर चुनाव नहीं करायेंगे और टालने की कोशिश करेंगे तो लोकतंत्र के प्रति हमारा आस्था घटती जायगी और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है कि डिक्टेटरशिप, जो दूसरे देशों में आई है, हमारे देश में भी आ सकती है। तो यह गलत शुरूआत है, इसको बंद करना चाहिए। यह चुनाव अकाल के कारण बंद कर रहे हैं लेकिन अकाल तो आता ही रहता है, यह कारण बिल्कुल गलत है । 1966 में भी अकाल था, 1967 में भी था, तब भी विधान सभा के चुनाव हुए । बंगलादेश का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ भारत-पाकिस्तान का, उसके बाद कैसी स्थिति थी तब भी राज्य विधान सभा के चुनाव कराए गए। अपनी केन्द्रीय सरकार समझती है विधान सभाओं के चुनाव समय पर कराती है लेकिन राज्य सरकार प्रजातंत्र की अवहेलना करती है, वह नहीं करनी चाहिए। अभी जोशीजी ने आश्वासन दिया है, वह हाय पावर कमेटी की रिपोर्ट इसी सत्र में आ जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं, कि इस पर डिस्कशन इसी सत्र में हो जाना चाहिए और बाद में लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत करना चाहिए जिससे पंचायतों,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़े। अगर पंचायत समिति का नहीं करना चाहते हैं तो जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाकर उनको सख्त और मजबूत कर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। अब हमारे सामने पंचम पंचवर्षीय योजना है। उसके लिये हम चाहते हैं कि उसे ऐसी बनायी जाय जिसमें कि पंचायत समितियों को, जिला परिषदों हो को राय मिला कर एक ऐसा ढांचा बनाये जो कि सुदृढ़ हो, बहुत हो मजबूत हो। और हर पंचायत समितियों से, जिला परिषदों से प्रस्ताव इसके बारे में मांगे तो ठीक रहे। लेकिन चूंकि ये पंचायत समितियां जो आज हैं जो जिला परिषदें आज बनी हुई हैं करीब 8–10 साल पुरानी बनी हुई हैं, जिनमें कि शक्ति नहीं है; एक प्रकार से मृतप्राय: सी हो गयी हैं तो ये अपनी क्या राय देंगी। मैं समझता हूं कि ये सही ढंग से अपनी राय नहीं दे सकेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायतों के नये चुनाव कराये जायं इसके लिये राज्य सरकार जल्दी घोषणा करे, और एक निश्चित तारीख तय करे और बाद में उस तिथि की पालना भी की जानी चाहिये। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्ताव किया है कि गवर्नमेंट इस बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय ले और पंचायतों के इलेक्शन होने की तारीख की घोषणा करे। पंचायतों का इलेक्शन नहीं कराना, उपाध्यक्ष महोदय गलत बात है और लोकतन्त्र की भावनाओं के विपरीत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : (सांचोर) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की नींव डाली गई। उसके अनुसार पंचायतें, पंचायत समितियां, और जिला परिषदें बनायी गईं। इस पंचायती राज से राजस्थान में काफी विकास हुआ। और यह पंचायती राज प्रणाली डेमोक्रेसी के लिये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरूआत की गयी थी और जिसको देखकर दूसरे प्रान्तों में जो पंचायती राज की स्थापना की गयी। दूसरे प्रांतों में जो पंचायती राज कायम किया गया उसमें उन्होंने जो हमारे यहां पंचायती राज कार्य में खामियां रह गयी थीं, उनको दूर करके गुजरात और महाराष्ट्र के प्रान्त वालों ने अपने यहां पर लागू की। तो जिन प्रान्तों में पंचायती राज स्थापना हमारे यहां से बाद में की वहां तो सुचारुरूप से पंचायती राज चल रहा है लेकिन बड़े खेद की बात है कि इसे यहां खत्म किया जा रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करदूं उपाध्यक्ष महोदय यह खतरे से खाली नहीं है। आज पंचायती राज से काम हुआ है आज पंचायती राज से विलेज लेवल पर लीडरशिप पनपी है। उपाध्यक्ष महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है पंचायती राज में कि हमारे यहां पर सादिक अली कमेटी एपोइन्ट की गयी थी जिस इसमें जो खामियां रह गयी थीं उसको दूर करने के लिये बनायी गयी थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें काफी सुझाव दिये गये कि पंचायत समितियों की पावर्स क्या होगी पंचायतों के नीचे क्या काम होगा, जिला परिषदों को क्या पावर्स दिये जाय। थ्री टायर सिस्टम रखा जाय या

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

टू टायर सिस्टम लागू रहना चाहिये। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज पिछले आठ सालों से पंचायतों के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। आज हमारे सेन्ट्रल के लोक सभा के जनरल चुनाव हो गये, सन् 1971 में ठीक साहब यह समझ कर चुनाव नहीं कराये कि अभी लोक सभा के चुनाव हो रहे हैं पार्टीबाजी कांग्रेस में बढ़ेगी उसके बाद।में सन् 72 में राजस्थान में विधान सभा के चुनाव हो गये चलो यह भी मान लेते हैं कि गांवों में पार्टी बाजी हो जायेगी। लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूं कि अब क्या दिक्कत है जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि अब पंचायतों के चुनाव कब होंगे। तो हम क्या जवाब दें। आज स्थिति यह है कि जो इलेक्शन हुए थे पंचायतों के उस समय के प्रधान किसी भी पार्टी में चले गये, सरपन्च था जो किसी भी पार्टी में चला गया, प्रमुख जिला परिषद का किसी और पार्टी में है। आज पंचायतों की मीटिंग होती है, जिला परिषदों की मीटिंग होती है तो इनके मेम्बर्स कोई किधर ही है, कोई किधर ही आज पोजीशन क्लियर नहीं हालत बहुत खराब है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इलेक्शन तुरन्त कराये जाय। आखिर सरकार को डर किस बात का है। जब इतने बड़े बड़े इलेक्शन हो गये हैं तो आखिर पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के इलेक्शन कराने में क्या तकलीफ है, डर किस बात का है। अगर आप यह कहते हैं कि फेमिन है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह फेमिन तो राजस्थान में हर साल पड़ता रहता है। आपको निर्णय लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो हाई पावर कमेटी गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में इसके लिये बनायी है और उसने सभी स्टेट्स की टूर भी की है और सभी स्थितियों की स्टडी की है और जो रिपोर्ट दी है उसको आप शीघ्रातिशीघ्र लागू करें। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वह अपने माईन्ड को पक्का करें और जनता का जो अधिकार है वह उसे दे आप जनता को फ्री हैण्ड दे और आपको देना पड़ेगा। आपको राजस्थान के विकास के लिये कदम उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव कराये जायं। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जो हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उसके अनुसार पंचायत विधियां बिल में इस सत्र में संशोधन बिल लाकर पास कराकर एक्ट बनाकर जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव कराये जायं ताकि जनता में पंचायती राज के प्रति आस्था बन्ध सके। अगर इस सदन में इसी सत्र में बिल नहीं लाया गया तो मैं समझता हूं जब बजट सत्र समाप्त हो जायेगा तब बाद में आप ओक्टोबर में सत्र बुलायेंगे या नहीं यह पता नहीं। और फिर बाद में आप फिर से एक ऑरडीनेन्स इस बारे में जारी कर देंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार की मन्शा है कि सही माने में पंचायती राज यहां होना चाहिये तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी है उसने जो रिकमन्डेशन दिये है उसके अनुसार पंचायत एक्ट से संशोधन करके तुरन्त चुनाव

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करा कर इस पंचायती राज को नयी शक्ति प्रदान करें ताकि जो राजस्थान की प्रगति रुकी हुई है उसमें और ढिले नहीं हो। आज गांवों में जब हम जाते हैं तो पूछते हैं कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे तो हम क्या जवाब दें। सरकार हर साल इनके चुनावों की अवधि बढ़ाती रहती है। यह जनता के मन में एक प्रकार का शक पैदा करता है। मैं कहता हूं कि जब आपने लोकसभा के चुनाव करा लिये, विधान सभा के चुनाव करा लिये हैं और आपकी मेजोरिटी आयी है फिर आपको क्या डर है। अब ज्यादा इसमें समय लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे लोकतन्त्र का ह्रास हो रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी ही इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजकर एक कन्सालीडेटेड लिस्ट इसी सत्र में उसके अनुसार संशोधन करके बिल पास करायें। बस इन्हीं आधारों पर मैं मेरे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मालाराम।

श्री मालाराम (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज 8-9 साल हो गये हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं यह अत्यन्त दुख की बात है। मैं आपको निवेदन करूं कि आज हमारे नीम के थाने के क्षेत्र की बहुत खराब हालत है। आज वहां पर रुपया पड़ा है पर वह व्यय नहीं हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारी पंचायत समिति में जो कि नीमकाथाना क्षेत्र में है वहां पर 50 हजार से लेकर 52 हजार रुपये जो कि कुए बनाने के लिये और सार्वजनिक काम के लिये मिले थे वह आज तक व्यय नहीं हो सके हैं। आज बी. डी. ओ., प्रधान वगैरह और दूसरे माननीय सदस्य वे आपस में अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर कोई फैसला प्रधान करता है तो बी. डी. ओ. सुनता नहीं है और कोई ऐक्शन नहीं होता है। इससे काम नहीं हो रहा है और पंचायतें बिलकुल ही बेकार सी हो रही हैं इससे आज जनता बहुत तकलीफ में है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो पैसा राज्य सरकार ने पंचायत समिति को सार्वजनिक काम के लिये जनता के भले के लिये मिले थे वह बेकार पड़े रहे जिससे जो जनता को फायदा होना चाहिये था वह नहीं और नुकसान हुआ। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी पंचायत समितियों के इलेक्शन कराये जायं। आज राज्य सरकार की एक तरह से परम्परा सी हो रही है जैसे कि राजा महाराजाओं के जमाने की थी। राज्य सरकार ने एक बार चुनाव कराये और उसके बाद में हरसाल सरकार समय बढ़ा रही है इसलिये मैं राज्य सरकार को आपके मारफत ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव करावें। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में भी इस विधान सभा के अन्दर पंचायतों के चुनाव आगे बढ़ाने हेतु मयाद मांगी गयी थी। और उस वक्त माननीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार आश्वासन दिया गया था कि पंचायतों के चुनाव जल्दी ही राज्य सरकार कराने जा रही है। ज्योंही

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अवधि समाप्त होगी राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करा दिये जावेंगे, सम्भवतया जल्दी ही करा दिये जायेंगे, यथा-सम्भव शीघ्र ही करा दिये जायेंगे। और उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सदन में और सदन के बाहर इस प्रकार की घोषणायें पिछले कई वर्षों से हो रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक निश्चित तारीख तय कर दे कि अमुक तारीख को चुनाव करायें जायेंगे। या मन्त्री महोदय यह कहें कि यह बिल जनमत जानने के पश्चात् मैं स्वयम् विचार करूंगा, मंत्रिमंडल में विचार होगा, किस रूप में यह बिल में लाया जावेगा। तो उसमें दूसरा खर्चा किया जावेगा इसलिये डबल खर्चा न हो इसको रोकने के लिये भी इस समय चुनाव कराइये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तर्क युक्तिसंगत नहीं है इस कारण से कि मंत्रिमंडल ने अपने विचार निश्चित नहीं किये हैं, भविष्य के गर्भ में हैं पंचायतों के चुनाव इस कारण न करना उचित नहीं है।

हमारे देश में जब संविधान बना, आजादी के बाद तो केन्द्र और प्रदेश के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे। उनमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। सरकार का होता है, प्रत्याशियों का होता है और दलों का होता है। जैसा हम जानते हैं सन् 1971 में इस प्रणाली को छोड़ कर प्रदेश के चुनाव अलग हुए और केन्द्र के चुनाव अलग हुए। आज प्रदेश और केन्द्र के चुनाव अलग अलग होते हैं और करोड़ों रुपया खर्च होता है कोई बाधा का रूप सामने नहीं आया। दुबारा खर्चे के मात्र से इसको टाल दें यह उचित नहीं है।

अकाल का तर्क दिया गया। अकाल पड़ते हैं और चुनाव न हो तो समझ में आ सकता है कि कुछ समय तक चुनाव पोस्ट-पोन कर दिये जायं। किन्तु यहां तो विधेयक को लाकर यह हमेशा के लिये यह अधिकार लिये जा रहे हैं कि राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह निश्चित अवधि समाप्त होने के 4 वर्ष के बाद लगातार चुनाव पोस्टपोन कर सकती है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, मैं निवेदन करूंगा कि इस में यदि इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाता तो कोई कठिनाई नहीं होती जैसा कि प्रावधान होता है बिल्स में :

"Provided that as far as the existing Panchayats are concerned, they will continue for two years or one year more ...."

हमेशा के लिये इस प्रकार के अधिकार नहीं हुआ करते हैं। आपने तो इस बिल में ऐसा प्रावधान किया है कि चोटी आपके हाथ में रखी है कि आप चुनाव करायें और न करायें। यह आपकी मर्जी पर है। जो कारण उन्होंने दिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वे कारण कोई उपयुक्त नहीं प्रतीत होते हैं।

श्री गिरधारी व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ इस बात के लिये पंचायतों के चुनावों के सम्बन्ध में सुझाव दें। अक्टोबर में उस हाइपावर कमेटी ने रिपोर्ट प्रकाशित की। वह कोई कान्फि-डेन्शियल, कोई गोपनीय नहीं है। उन्होंने स्वयम् ने प्रेस, कान्फ्रेन्स की। रिपोर्ट छपी

Page No. 75

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और कई स्थानों पर उसको बांटा गया। यह निश्चितरूप से कहा गया कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने चाहियें और यह भी कहा गया कि चुनाव नहीं कराते हैं तो जिलों में यह भावना फैलती है कि मौजूदा लोगों को रखने के लिये ही सरकार अधिक समय देती है और इस प्रकार चुनावों को पोस्टपोन करती है। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें कि जिससे कि वह चुनावों को पोस्टपोन कर सके और चुनाव न कराये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस राय के पश्चात्, एक्सपर्ट कमेटी जो एक हाईपावर कमेटी थी, जिसको राज्य सरकार ने बनाया, उसकी रिपोर्ट के पश्चात् इस प्रकार ऑर्डिनेन्स ले आना, उस रिपोर्ट पर विचार करने से पहले ही उसको समाप्त कर देना यह कहां तक उपयुक्त है इस पर विचार करना है।

यह रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है। प्रजातन्त्रीय भावना का प्रश्न है। लोकसभा हो, विधान सभा हो, पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद् हो, नगर परिषद हो, चाहे नगरपालिका हो यह लोकतन्त्रीय संस्थायें हैं और लोकसभा वाले ही यह सोच लेंगे और इस प्रकार का प्रावधान बनवा लेते हैं कि जब तक हम हैं हमारा समय बढ़ाया जाय तो उसकी आम जनता में क्या भावना होगी ? आप जरा विचार करिये। जो लोग चले गये हैं वे ही येन केन प्रकारेण अपने स्थान पर बने रहें ?

उस दृष्टि से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रावधान बनाया जा रहा है, जो निश्चित समय पहले ही है पांच साल उसको और लगातार बढ़ाया जा रहा है वह उचित नहीं है।

इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी वह ओक्टोबर 28, 1972 को दी गई थी और उसमें कहा गया था :

"The overwhelming majority of persons whom the Committee met and interviewed was of the opinion that the postponement of elections of Panchayati Raj bodies has resulted in widespread criticism in the public and has also shaken the faith of common man in Panchayati Raj. After giving its most careful consideration, the Committee has come to the conclusion that amongst many other reasons, the postponement of elections has by far been the most important factor in alienating the people from Panchayati Raj".

कितना स्ट्रोंगली उन्होंने लिखा है कि पंचायती राज में जनता का विश्वास उठता जा रहा है। किस प्रकार से भ्रम पैदा हो रहा है पंचायती राज के लिए और हमेशा के लिए जनता की उस ओर अरुचि प्रकट हो रही है। उनके लिए भी उन्होंने लिखा है :

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

"We have, therefore, decided to send this interim report regarding holding of fresh elections and other connected issues so that the Committee's recommendations for bringing about the necessary changes in the structure and mode of elections of the three tier bodies may be available to the State Government and elections to these bodies held before the expiry of their present term".

क्या मैं इसका अर्थ यह न समझूं उपाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी की रिपोर्ट को, जिसके लिए माननीय उपनेता महोदय ने कहा कि उस पर विचार किया जावेगा, उसके रिकमिनशन के पहले है जबकि अक्टूबर में समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी, उसको ठुकरा दिया गया न तो उस पर मंत्रिमण्डल में विचार किया गया और न ही उसको सदन में विचार किया गया। एक्सपर्ट कमेटी की राय है जिसने स्थान-स्थान पर जाकर लोगों से मिल कर और चिन्तन करके उसको सबमिट किया सरकार को।

उन्होंने यह भी कहा है :

"While the unalterability and rigid adherence of the tenure of Panchayati Raj institutions should be ensured, the Committee would also prefer if State Government's power to extend this tenure is completely done away with."

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाई पावर कमेटी जिसको सरकार ने नियुक्त किया और खर्चा जिस पर किया, वह यह कहती है कि आवश्यकता इस बात की है कि जहां राज्य सरकार की अवधि बढाने की शक्ति है, उसका कानून में प्रावधान है उसको एकदम समाप्त कर दिया जाय जबकि हमारा यह आर्डिनेन्स बिल इस बात के लिए लाया जाता है कि वह समाप्त न की जाए और तीन साल का अवधि है उसको एक्सटेन्ड करके उसको चार साल कर दिया जाय।

यदि मैं यह कहूं उपाध्यक्ष महोदय कि इसका अर्थ यह हुआ कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस सिफारिश पर विचार ही नहीं किया सो नहीं किया, बल्कि इसे रिजेक्ट भी कर दिया।

"This in fact has served as the backdoor through which executive can sneek and snatch and thereby deny the legitimate right of the people to choose their representatives after a specified interval."

मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जब श्री गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने स्पष्टरूप से यह कहा और इसे दोहराया। इस कमेटी के अन्दर गिरधारीलाल व्यास थे, बी० एन० जोशी, केदारनाथ, रावतराम, सम्पतराज जैन, इकबालनारायण, मोहन मुखर्जी, रामसिंह, रावत, गौड़ इतने सारे सदस्य थे उन लोगों ने गम्भीरता से विचार करके जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी उसके बाद उसको नहीं माना यह केवल विचार करने की बात कह कर टालने की

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बात नहीं है। इम्प्रोपिटस भी है। सदन को भी इस रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करने से महरूम रखा यह कहां तक उचित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि श्री व्यास कमेटी के अनुसार अभी तक चुनाव करा दिये जाने चाहिएं थे। पर नहीं कराये गये यह बड़े खेद का विषय हैं। मन्त्री महोदय ने उन्हें स्थगित करने के जो कारण दिये वे गले नहीं उतरते। पंचायत राज के गुण अवगुण में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें कुछ खामियां हैं। पर हम उसका काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गांवों के पंच वास्तव में अपना सही स्थान लें। पंच को हम परमात्मा का प्रतिनिधि मानते हैं। पंच परमेश्वर कहलाता है, भगवान का वास्तविक स्वरूप होता है। तो वे अपने सही स्वरूप में काम करें, हम यह दिल से चाहते हैं। पर यह जो राजनैतिक हथकंडों से बैकडोर से आज तक चले आ रहे पंच सरपंचों को शाश्वत बनाना चाहते हैं यह उचित नहीं है। यदि मैं मारवाड़ी शब्दों में अपने भाव व्यक्त करूं तो कह सकता हूं कि इनको अमर बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है हमेशा के लिए। पर सदन की भावना को देखते हुए मन्त्री महोदय को अपनी जिद्द छोड़ देनी चाहिए और व्यास कमेटी की रिपोर्ट को जनमने से पहले ही दफनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस आर्डिनेंस को वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पंचायत विधियां अध्यादेश 1973 को वापिस लिये जाने का प्रस्ताव करता हूं। आप तीन चार साल की मियाद बढ़ा रहे हैं इसे मैं उचित नहीं समझता। इसका कारण यह है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उनको तो उप प्रधान, उप प्रमुख, उप सरपंच मेम्बरों को अपनी तरफ मिलाकर भ्रष्टाचारी तरीकों से या दबाव से कैसे भी करके और जनता के चुने हुए सही लोगों को हटा देते हैं और स्वयं काबिज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहां हैं। तो इस तरह से उनकी मियाद बढ़ाना उचित नहीं लगता क्योंकि ये लोग जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते तिकड़बाजी से यहां आकर बैठ गये हैं। आप इन्हीं लोगों को तीन चार साल और बिठाये रखना चाहते हैं यह किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। इससे अनियमितताएं और भ्रष्टाचार और बढ जावेगा।

अन्त में मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो जगहें आज प्रधान, उपप्रधान, प्रमुख या उप प्रमुख, सरपंच आदि की खाली पड़ी हैं उनको तो कम से कम चुनाव करा कर भरा जाय। यह उम्मीद करता हूं।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि तीन साल का जो टाइम था वह चार साल का हुआ। फिर पांच का हुआ, छ: का हुआ और अब आठ साल का हो गया। पर अब भी आप रुके

(श्री उ॰मेदीलाल)

नहीं हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अखबारों में पढ़ा कि एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो मेरे वे पंचायतों में बैठे हुए साथी तो खुशियां मना रहे हैं कि हमारा तो राज हो गया है।

मैं पूछता हूं कि आखिर आप कहां तक मियाद बढ़ाते जावेंगे ? इसका बुरा असर गरीब किसान मजदूर तबके के आदमियों पर पड़ता है। इस गरीब तबके के लोगों को जब ऋण की जरूरत होती है या अन्य खेती मजदूरी सम्बन्धी या अपने घर सम्बन्धी कोई काम होता है तो उनको पंच सरपंच पंचायतों में और प्रधान और प्रमुखों के पास जाना पड़ता है। वहां आज हालत यह है कि पैसे का बोलबाला है, पैसे के बिना कोई काम किसी का होता नहीं। आज उनके हौंसले बढ़े हुए हैं। मियाद बढ़ाने से और बढ़ जावेंगे। गरीब किसान मजदूर तो अब उनसे कोई काम करवा ही नहीं सकेंगे। गरीब किसान को भूमिहीन को मसलन मैं बताऊं कोई जमीन अलाट होती है तो सरपंच और प्रधान ने क्या कर रखा है कि उनके हाथ में सारी सत्ता होती है, वे ही तस्दीक वगैरह करते हैं वे जमीन उनके नाम पर अलाट नहीं करवा कर अपने भाई-बन्ध या रिश्तेदार के नाम से करवा देते हैं। वह बेचारा रोता रहता है। यही हालत शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के गरीब लोगों की है। वे कहते हैं सरे आम कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम जमीन कैसे ले सकते हो, पैसा हो तो बात करो। नाममात्र के लिए शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को वे देते हैं, बाकी सभी वे हड़प कर जाते हैं।

पिछले साल अलाटमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ, मैं बताता हूं। जिन लोगों को जमीनें मिलीं वह उस गांव के रहने वालों को नहीं देकर दूसरी तहसील में दूसरे गांवों में रहने वालों को दे दी गई। उन गरीब लोगों ने बिचारों ने दरखास्त दी और मांग की तो उत्तर मिला कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। यह तो पैसे वाले लेते हैं। तो इस तरह से ये पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख सभी अपनी मनमानी करते हैं।

कुआं बांधने की जरूरत पड़ती है या उसके लिए पैसा चाहिये तो गरीब जाते हैं पंच सरपंच के पास कहते हैं कि हुक्म हमें पानी चाहिये इसके लिए कुआ गहरा करना है या खोदना है पैसा चाहिये। पैसा दिलाया जावे तो कृपा होगी। वे बड़े गरूर से जवाब देते हैं कि भाई अभी तो कुछ नहीं कह सकता, पंचायत की मीटिंग होगी तब जरूर देखूंगा। मेरे यहां ऐसे कुए हैं जिनमें थोड़ी सी खुदाई बाकी रह गई थी, पर उसके लिये पैसा नहीं मिल पाया, और वे ऐसे ही पड़े हैं। आज लोग पानी के लिए मोहताज बने बैठे हैं। तो यह हालत है आपके इन पंचों, सरपंचों, प्रधान और प्रमुखों की है। जब इलेक्शन आता है तब जरूर कहते हैं कि यह सुविधा हमने दी। या यह कर देंगे वह कर देंगे। गरज करते हैं। फिर वही बुरा हाल हो जाता है। चुनाव निकला और वे बदल जाते हैं। 25 साल से यही हाल चल रहा है। यह कहते हैं कि आपके लिए जमीन देंगे, आपके लिए अछूतों के लिए नौकरी देंगे, आपके लिए काम देंगे और ज्यादा सुविधायें दी जायंगी आप पंचायतों के चुनाव की जो मियाद बढ़ा रहे हैं उसको शीघ्र से शीघ्र चुनाव करायें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री उम्मेदी लाल)

एक मिनिट में खतम करता हूं । अगर पंचायतों के चुनाव इस साल नहीं हुए तो जो गरीब तबका है, वह कुचला जा रहा है। वरना आप यह कह रहे हैं कि इस सरपंच को, इस प्रधान को या फलां को हटा देना चाहिये वह नहीं होगा। आपके द्वारा उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वे अपनी मनमानी करते हैं। गरीबों को परेशान करते हैं इसलिए पंचायतों के चुनाव शीघ्र से शीघ्र करा दें और मियाद न बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रस्ताव है कि पंचायत अमेन्डमेंट एक्ट है, उसको जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाय। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं समय समय पर इस सदन के सामने निवेदन करता रहा हूं कि पंचायत राज और सहकारिता ये दोनों ऐसे साधन हो सकते हैं जिसके द्वारा हम हमारी ग्रामीण जनता को जनतन्त्र की ओर ले जा सकते हैं, स्वतन्त्रता का फायदा दे सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से गरीबों की गरीबी हटा सकते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये दो प्रवृत्तियां स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद चलाई गई। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है इन दोनों में अपन असफल रहे हैं।

(2.42. म.प.)

श्री भानुकुमार शास्त्री,
(सभापति, पदासीन)

इसका मतलब यह है कि हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी नहीं है जिस प्रकार की पंचायत समितियां और सहकारिता चलती है, चलती रहे और बराये नाम जो कागज पहुंचाये जाते रहे हैं वह पहुंचते रहें और जो प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये वह की जाती रही है। यह यदि हम करते हैं तो इस देश की 80 प्रतिशत जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। यों तो पंचायती राज संसार के सभी देशों में है और सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है लेकिन जैसा पंचायती राज हमारे देश मे है वैसा संसार के अन्य देशों में नहीं है और यह उसी परम्परा का परिणाम है कि भारत में जनतन्त्र का नया नया प्रयोग था लेकिन हम जनतन्त्र को सफलता के साथ 25 साल तक निभा सके हैं और दूसरे देश जो हमारे साथ आजाद हुये वहां जनतन्त्र एक साल, दो साल, पांच साल में खतम हो गया तो हमारे साथ क्या खास बात थी। हमारी उस प्रकार की रीति-नीति थी, रहन सहन का तरीका है हमारे छोटे मोटे घर न्याय का सब काम कर सके। आपने सुना होगा कि पहले पंचायतें इस तरह की थीं कि राजाओं और बादशाहों के यहां भी कभी कोई फैसला नहीं होता था तो कई पंचायतों के पास और पंचों के पास वह मामला भेजा जाता था और ऐसा सुनते हैं इतिहास में ऐसे फैसले भी हैं।

राजा, बादशाह और जनता उसको मानते थे। क्या कारण था, कारण यह था कि पंच ईमानदार किस्म के थे और आज भी गांवों में पंचों को परमेश्वर कहते हैं। स्वतन्त्रता के बाद हमने पंचायती राज स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि महात्मा गांधी भी पंचायती राज के कट्टर समर्थक थे। और उन्होंने कहा था कि पंचायती राज स्थापित नहीं करते हैं तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। आज भी भारत में पुरानी परम्पराओं का खून है। मेरे बारे में भी यह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कहा जाय कि ये भी कोई पुरानी विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माओत्सेतुंग ने जो कुछ कहा और किया है वह यह नहीं कहा है कि यह मेरी देन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा है हमारे देश के महापुरुषों ने यह कहा है। गुलाम बनाने वाले देशों ने इसका रूप बदल दिया। When in doubt, follow the masses.

श्री रामनारायण चौधरी : माओत्से-तुंग को आप आदर्श मानते हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं तो उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। हमारे यहां मैं समझता हूं इसमें खराबी कहां पैदा हुई, खराबी उस जगह हुई जहां कानूनी रूप इसको देने की कोशिश की और कानून उन लोगों ने बनाया जो न तो कभी पंचायत के सदस्य रहे और न कभी पंचायत ने दण्डित किया है और न पंचायत के बारे में जानकारी है और उसको क्रियान्वयन करने के लिये इस तरह के लोग नियुक्त किये गये जिनको पंचायत का कोई बैकग्राउन्ड मालूम नहीं था और समयावधि में पंचायतें कायम करनी थी। इसलिये कुछ न कुछ कानून बनाना था इसलिये विधि विभाग को यह कहा गया, इसका कानून बनाना है तो यह तो इस प्रकार का स्वरूप हुआ कि किसी व्यक्ति को बाड़मेर का जूता पहना दिया जाय, अमरीकी पतलून फिर राजस्थानी अंगरखी और उस पर भी टाई और सिर पर हैट और उस पर मिट्टी की चिलम रख दी जाय। ऐसे वेषभूषा पहने हुये व्यक्ति के स्वरूप के समान ही राजस्थान की पंचायतों का स्वरूप हैं। पंचों की सबसे बड़ी बात यह रही है कि जब कभी लोग आते थे कि आपको पंच बनाना है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिश्नोई जी कभी इस ड्रेस में आयें तभी हमें पंचायतों का स्वरूप समझ में आये......

श्री गुमानमल लोढ़ा : फिर मेरा जूता है जापानी वाली बात...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तब वह कहता था कि मेरे पास और भी काम है। इसलिये मुझे माफ कर दें तो वह पंच बड़ी मुश्किल से आता था। आज पार्लियामेंट के नोमीनेशन पेपर्स होने जरूरी समझते हैं वह केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकार से ताल्लुक रखता है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दूसरे रूप में थी लेकिन उन्होंने पंचायतों के बारे में दखल करने की कोशिश नहीं की। फिर भी जो प्रणाली होगी उसमें नोमीनेशन होगा। चुनाव होगा, दलबन्दी हो जायगी और ज्यादा खर्चा हो जायगा। इन सब बातों को पंचायत राज को सफल बनाना है तो समाप्त करना होगा। मुझे गिरधारीलालजी के बारे में कुछ नहीं कहना है, सादिक अली के बारे में भी कुछ नहीं कहना है लेकिन यदि हम पंचायत राज को सफल बनाना चाहते हैं तो समाज व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, लोगों के विचार करने के तरीकों पर बहुत विचार करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बैठाना चाहिये जिससे पंचायतें सफल हों। प्राचीन पंचायतें केवल हमारी परम्पराओं पर चलती थी। मिसाल के तौर पर इतना ही कहूंगा कि हमने इस बात पर अधिक जोर दिया होता कि हमें हमारे पशुधन सुधारने हैं, स्कूल बसाने हैं,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पीने के पानी के जो ठिकाने हैं वह अच्छे करने हैं और गांवों के अन्दर दूसरी सुविधायें पहुंचानी हैं और उसके लिए यह सहायता दी जाती है तो शायद गांव वालों में जागृति आकर वह आगे आते और वह कहते कि हम यह करना चाहते हैं। उन्हें अपने आप यह तय कर लेना चाहिए कि हमारे पास यह आदमी अच्छा है इसको कर दो और वह आदमी कहता है कि नहीं मेरे पास तो समय नहीं तो फिर भी उसको कर देते तो यह गांवों के काम हमारे ज्यादा अच्छी तरह से चल सकते थे। मैं कहता हूं कि इस तरह से कोई भी काम होता है तो जो जिम्मेदारी लेता है वह ईमानदारी से निभाता है। हमेशा क्या बात है कि जिसके पास पैसा गया और जो राज्य की कुर्सी पर बैठ गया तो वही बदनाम हो गया और उसी पर लोगों को सन्देह होने लगता है। तो इस तरह से जब तक हम पंचायती राज को नहीं लेंगे चाहे किसी तरीके से कोई भी कानून बना दें, ऊपर से थोपा हुआ पंचायती राज और ऊपर से थोपा हुआ कानून या राज्य सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे हुए पंच और सरपंच कभी सफल नहीं हो सकते, कभी पंचायती राज हमारे देश में सफल नहीं हो सकता इसलिये हमें गहराई से विचार करके कानून इस तरह का बनाना चाहिए कि जिससे कानून कम से कम होना चाहिये। इसमें जनहित प्रमुख चीज है। वह जागरण आया है कि गांवों के अन्दर इच्छा से जो अपने आप आगे आयेंगे उन्हीं से यह सफल हो सकता है। और जो कानून बनाने का हमारा तरीका है और जो हमारी पश्चिमी सोचने का तरीका है उससे जब तक हम मुक्ति नहीं पायेंगे तब तक पंचायती राज सफल नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी :

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय सभापति जी, एक तो राजस्थान के अन्दर 2 अक्टूबर, 1959 का दिन था कि जब सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर हमारे देश के प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के अन्दर ज्योति जलाई और पंचायती राज का प्रारम्भ किया था और आज उसके 14 साल बाद हम राजस्थान के अन्दर उस स्थिति के अन्दर हैं कि आज हम हमारे ही हाथों से उस पंचायती राज को भस्म कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि जिस पंचायती राज को हमने संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में माना है उस पंचायती राज को जिसको कि यहां की भारतीय जनता ने स्वशासन के रूप में अनादिकाल से अंगीकार किया हुआ हैं उसको हमने राजस्थान के अन्दर प्रारम्भ के अन्दर 54 के अन्दर और 53 के अन्दर शुरू किया था और उसका वृहत रूप डीसेन्ट्रेलाइजेशन मेहता कमेटी के अनुसार सन् 59 के अन्दर हुआ। सफलतापूर्वक सन्चालन के बाद सन् 61 के अन्दर चुनाव हुए और फिर उसके बाद सन् 64 में भी चुनाव हुए। कोई भी व्यवस्था हो उसके पक्ष और विपक्ष में बातें कही जा सकती हैं लेकिन जो सफलता पंचायती राज की राजस्थान में है उसको तरक्की पर नहीं कहा जा सकता। आज इस हाउस के अन्दर भी पंचायती राज की देन है। अपना अपना अनुमान लगायें कि पंचायती राज से यहां आप लोग कौन कौन आये हैं। राजस्थान जो अनेक रियासतों और अनेक जागीरदारी इलाकों से बना था उस राजस्थान के अन्दर पंचायती राज का श्रीगणेश हो सका। सफलतापूर्वक उसका संचालन हुआ और विधान सभा के अन्दर

(श्री रामनारायण चौधरी)

ही जो एम एल.ए. बैठे हुए हैं वह सब पंचायती राज से आये हुए हैं। आज इस पंचायती राज को इस स्थिति में देखकर अत्यन्त ही अफसोस होता है। उस समय अफसोस होता है कि एक दिन तो वह था, एक जमाना वह था कि जब दूसरे प्रदेश भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, हरियाणा और यू. पी. राजस्थान से प्रेरणा लेकर पंचायती राज वहां कायम कर रहे थे। और आज हमारी हालत यह हो गयी कि हम वहां जाकर अध्ययन करते हैं कि आपके यहां कैसी स्थिति चल रही है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

(2.52 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक हाई पावर कमेटी के सिलसिले में प्रधान मन्त्री जी से मुझे अवसर मिला था। हमारी कमेटी के अध्यक्ष ने सबसे प्रारम्भ में यह परिचय देकर कि पंचायती राज का श्री गणेश स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नागौर में किया था तो प्रधान मन्त्री का यही कहना था कि क्या हो रहा है, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। यह पंचायती राज के बारे में प्रधान मन्त्री की राय इस समय बनी हुई है। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज के चुनावों का संबन्ध न तो अकाल से है और न दूसरी चीजों से है। बंगला देश के युद्ध के बाद भारत की तमाम विधान सभाओं के चुनाव यदि ठीक समय पर कराये जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं था कि राजस्थान सरकार विधान सभा के चुनावों के तुरन्त बाद मई या जून में चुनाव क्यों नहीं करा सकती थी लेकिन अनावश्यकरूप से समय बढ़ाया जा रहा है जिसकी हम स्वीकृति दे रहे हैं और देंगे। समय पर चुनाव नहीं करा कर हम उसके महत्व को घटा देते हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के चुनाव समय पर हों इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। जिस प्रकार से लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव निष्पक्ष और समय पर कराने के लिए हमारे संविधान के अन्दर इलेक्शन कमिशन की व्यवस्था है उसी प्रकार से ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज, लोकल बाडीज आदि के चुनाव कराने के लिए राजस्थान के अन्दर एक लोकल बाडीज इलेक्शन कमिशन की स्थापना की जानी चाहिए ताकि इन संस्थाओं के चुनाव ठीक समय पर कराये जा सकें। यह मैं मानता हूं कि अन्ततोगत्वा चुनाव की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इलेक्शन कमिशन भी भारत सरकार के आदेशों से चुनाव कराता है लेकिन एक इन्डीपेन्डेन्ट बाडी, एक जुडीशियल बाडी करवाने और ठीक समय पर करवाने के लिए अत्यन्त जरूरी है। यदि यह व्यवस्था नहीं होती है तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के चुनाव चाहे वह पंचायतों के हों, पंचायत समितियों के हों, म्युनिसिपल बोर्ड के हों या म्युनिसिपल कौंसिल के हों कभी ठीक समय पर नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पंचायती राज संस्थाओं की अनेक प्रकार की आलोचनायें की गयीं। मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप कोई भी संस्था बता दो कि जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो। यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्य बतायें कि क्या उनके खिलाफ शिकायतें नहीं हैं ? कौन माननीय सदस्य कह सकता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र ने मुझे सर्वसम्मति से चुना और सब ने मुझे ही वोट दिया और मेरे खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है ? आप जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी सौंपेंगे तो उसके खिलाफ शिकायत होगी ही। शिकायतों से घबराने की आवश्यकता नहीं है और इससे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ठीक समय पर हों, निष्पक्ष तरीके से हों, इसके लिए राजस्थान के अन्दर एक लोकल बॉडीज इलेक्शन कमिशन कायम किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानसिंह चौधरी

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। आज मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इसके बारे में काफी कुछ कहा। पिछले 5 सालों में चाहे पंचायती राज के चुनाव किन्हीं कारणों से स्थगित किये गये हों लेकिन आज जो यह एक साल के लिए स्थगित किये गये हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप कहते हैं कि आज पंचायती राज संस्थायें बेकार हो गयीं, पंचायतों के पास फण्ड्स नहीं है, पंचायत समितियों के अन्दर भ्रष्टाचार हैं और जिला परिषदों के पास ताकतें नहीं हैं। जब एक तरफ तो इस तरह की आलोचना करते हैं, इस प्रकार की दलील देते हैं, दूसरी तरफ हुआ यह कि चुनाव शीघ्र करायें जावें, इसकी मांग की जाती है। चुनाव कराना उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना आज हमें सशक्त पंचायती राज को कायम करना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आज हमारी इस जमहूरियत के अन्दर, प्रजातंत्र का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान के अन्दर सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई और इस पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को जनतंत्र की एक ट्रेनिंग देना और सत्ता को गांवों के लोगों तक पहुंचाना सादिक अली कमेटी की स्थापना हुई। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर प्रधानों के चुनाव में और पंचायत के कुछ अन्य कार्यों में संशोधन हुए। लेकिन जब हमने यह देखा कि इस कार्य में हम सफल नहीं हैं और इसमें संशोधन होना चाहिए तो एक हाइ पावर कमेटी श्री गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में गठित की। उस कमेटी के अन्दर एक्सपर्ट हैं और उस कमेटी ने कुछ अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेकिन जब हम इतने दिनों तक बड़े धैर्य से बैठे रहे और आठ साल तक इन्तजार करते रहे तो अब जब कि हम क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें करना चाहते हैं और उसके लिए अभी हमें छः महीने या आठ महीने और इन्तजार करना पड़े तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब एक तरफ हम पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, उनके अधिकार और कर्त्तव्य बढ़ाने जा रहे

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

हैं तो यह फैसला एक दिन या पन्द्रह दिन में नहीं हो सकता है। इसके लिए पंचायत समितियों में सेमिनार हों, इसके लिए जिला परिषदों के सेमिनार हों, इसके लिए पोलिटिकल पार्टीज के सेमिनार हों और असेम्बली के सेमिनार होने चाहिए क्योंकि हम एक बहुत बड़े राजनैतिक व पंचायती राज के भविष्य के निर्माण करने जा रहे हैं। इस पर आगे आने वाले राजस्थान के राजनैतिक भविष्य का आधार होगा। हम जानते हैं कि आज चुनाव कराने के बाद अगर फिर आठ नौ महीने बाद चुनाव कराते हैं तो यह प्रशासन के लिए बड़ी हंसी-मजाक की बात होगी। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी पीछे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके लिए नहीं कहना चाहता लेकिन जिस गम्भीरतापूर्वक सरकार इस बारे में आज सोच रही है और जो हाइ पावर कमेटी बैठाई हुई है तो उसकी रिपोर्ट जानने के लिए हमें थोड़ा इन्तजार करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि आज पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति शिथिल हुई है और इसीलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि इनको सशक्त बनाया जाय। राजस्थान में इन पंचायती राज संस्थाओं का आज थ्री टायर सिस्टम है-पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें। पंचायतों के पास धन का अभाव है। पंचायत समितियों के पास भी धन का अभाव है और जिला परिषदों के पास भी धन का अभाव है। आज जब हम यह चाहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें सफल हों, गांवों के अन्दर जन सहयोग से कार्य हो तो इसके लिए हमें अधिकतर पंचायती राज के तीनों स्तरों पर निर्भर करना होगा। इसके लिए पंचायतों का डी-लिमिटेशन करना होगा, पंचायतों की आय के साधन बढ़ाने होंगे और जिला परिषद् की योजनाओं में, सिंचाई की योजनाओं में या दूसरे कार्यों में जिलास्तर के प्रशासन को हस्तान्तरित करना होगा। महाराष्ट्र में जब हम पढ़ते थे और पंचायती राज के विद्यार्थी होने के नाते हमने महाराष्ट्र का दौरा किया तो हमने देखा कि महाराष्ट्र के अन्दर पंचायती राज में जिला परिषद अधिक ताकतवर हैं। वहां जिला परिषदें बहुत अधिक हद तक सफल हैं। इसी प्रकार से जब हम सोच रहे हैं कि एक महाराष्ट्र ने पंचायती राज के मामले में सफलता प्राप्त की है तो राजस्थान में भी इस मामले में सफलता प्राप्त कर लें। लेकिन इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में टू टायर सिस्टम है। वहां की राजनैतिक परिस्थितियां और हैं और हमारे यहां की परिस्थितियां और हैं। इन परिस्थितियों में चुने हुए प्रतिनिधियों की, हमारे प्रधानों की, प्रमुखों की हमें राय लेनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि आगे आने वाले इन चार छः महीनों के अन्दर इस पर लम्बे चौड़े तरीके से विचार विमर्श होना चाहिए। पंचायती राज सेमिनार होने चाहिएं, जिला परिषद् के सेमिनार होने चाहिएं, पोलिटिकल पार्टीज के सेमिनार होने चाहिएं। विधान सभा सदस्यों से विचार विमर्श होना चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में इस पंचायती राज संस्थाओं में बार बार संशोधन नहीं करना पड़े। इसके लिए समय की मांग है।

वास्तविक सत्ता गांव के लोगों के पास जानी चाहिए। सत्ता का हस्तान्तरण होना चाहिए और सत्ता का कार्य गांव के लोगों से शुरू किया जाय। इसके लिए सबसे

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

जरूरी है कि हम पंचायतों की आय के साधन बढावें, पंचायतों को अधिक से अधिक ताकत दें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसके बारे में और अधिक नहीं कहते हुए मेरा यही सुझाव है कि इस चार छः महीने के समय में गहन विचार विमर्श किया जाय और जून और जनवरी के बीच में चुनाव करा दिए जायं ताकि आगे आने वाले राजस्थान की जनता का जो राजनैतिक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं वह सही ढंग से हो सके। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायत मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गम्भीरतापूर्वक माननीय सदस्यों को सुना है, दोनों ही बातों को, प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव को भी और जनमत जानने की बात को भी। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं संशोधन एक कण्टीन्युअस प्रोसेस है। आज महाराष्ट्र ने भी एक कमेटी की स्थापना की है और वह देखना चाहते हैं कि उनके वहां पर पंचायती राज को री-वाइटलाइज कैसे किया जाय। तो हमें आगे देखते रहना होगा। आज हमारी कुछ उपलब्धियां नहीं हों, ऐसी बात नहीं है किन्तु हम स्टेटिक नहीं हो सकते और न यह सोच सकते हैं कि जो कुछ हो गया वह सब कुछ ठीक हो गया और आगे करने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम कभी यह मान कर नहीं चलते कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स की आवश्यकता नहीं है।

माननीय रामानन्दजी ने कहा हम जनता को सही सत्ता देना चाहते हैं या नहीं इस बारे में सोचें। यह प्रश्न तो उपस्थित ही नहीं हुआ कि हम सत्ता देना चाहते हैं या नहीं। सत्ता हस्तान्तरित की है। उसको और कितना ज्यादा किया जाय और इन इंस्टीट्यूशन्स को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनावें, प्रश्न यह है। किसी हायर लेवल के ऊपर पोलिटिकल विंग में और ब्यूरोक्रेसी में कोई कंफिलक्ट हो ऐसी बात कही जाती है, उसी तरह से कन्फिलक्ट लोअर लेवल पर अलग अलग विंग में हो, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं उन्हें सप्लीमेंट्री विंग मानता हूं और जो कुछ भी अधिकार और स्वायत्त शासन के अधिकार इन स्वशासी संस्थाओं को दिये है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और ग्राम लेवल के अधिकारियों को उन्हें असिस्ट करना है, मदद करनी है और सप्लीमेंट करना है। एक पूरक के रूप में काम करना है। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के प्रतिनिधि सर्वोपरि हैं। प्रशासन की मशीनरी चाहे वह ग्राम स्तर की हो अथवा राष्ट्रीय स्तर की हो ग्राम जनता से शक्ति ग्रहण करती हैं और ग्राम जनता और उसके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दरमियान में भारत की सेनाओं ने देश की सीमाओं की रक्षा की और देश का सम्मान ऊंचा किया है, जो हमारे प्रधान सेनापति थे, फील्ड मार्शल मानेकशा उन्होंने रिटायर होते समय कहा कि हमने जो कुछ भी किया है, मगर

(श्री हरिदेव जोशी)

हमारा मार्गदर्शन सिविल गवर्नमेन्ट ने किया है। एक जनतांत्रिक सरकार ने किया है। यही कर्टसी, यही दृष्टिकोण, यही एप्रोच, प्रत्येक सिविल सर्वेन्ट का होना चाहिये-चाहे वह पटवारी हो, चाहे वह तहसीलदार हो, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी हो अथवा सर्वोच्च अधिकारी हो इस देश का और जनता की और जनता के प्रतिनिधियों की शक्ति को उनके द्वारा कभी चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए। जहां तक स्वशासी संस्थाओं का सवाल है, विशेषकर के ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासी संस्थाओं का प्रश्न है, मैं बहुत विगत में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बिल नये सिरे से आपके सामने आयेगा। आप क्या सोचते हैं यह स्वरूप तो इस सदन को देना है। जहां तक राज्य-सरकार का सवाल है, राज्य सरकार तो अपना जो उसका दृष्टिकोण है, उसे एक ढांचे के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत रेगी मगर अन्तिम स्वरूप इस सदन को देना है। इसके लिए समय चाहिये। इसलिए यह आवश्यक है कि जो दोनों प्रस्ताव हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं और मैं यह चाहता हूं कि बिल को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई है।

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई है

श्री वृद्धिचंद्र जैन : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री राजेन्द्रसिंह, श्री उम्मेदीलाल।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब की ओर से प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं सबकी ओर से प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री: श्री उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मेरा संशोधन है: "Replace the words 'four years' by the words 'six months' occurring in line four."

जनतन्त्र के विकेन्द्रीकरण में जैसा कि हम चाहते हैं कि जनतन्त्र नीचे से ऊपर को आवे, हमने आज उसको एक मखौल बना दिया है। हम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं नीचे से ऊपर को नहीं जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : जा नहीं रहा है लटक गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज हमारा जनतान्त्रिक शासन ऊपर से थोपा जा रहा है। पहले हमने पांच साल की अवधि तय की थी। पांच साल के पीरियड के लिये जो जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजा है, कार्य करने के लिये जिन प्रतिनिधियों को चुना है ताकि ये निर्वाचित प्रतिनिधि इस अवधि के अन्दर जनता के आदेशानुसार कार्य करें, उसके लिये यह पांच वर्ष की पर्याप्त अवधि है और उस अवधि के अन्दर वह अपने कार्य करने में सफल या असफल रहे हैं, जनता के लिये उपलब्धि या अनुपलब्धि प्राप्त की है, उन सब पर जनता का मेन्डेट लेने के लिये वह इस अवधि के बाद जाता है। वह जनता के समक्ष मेन्डेट के लिये जाता है। आज सारे भारतवर्ष में देखा जाये तो अन्य प्रान्तों में भी इनके टेन्युअर की अवधि है, आन्ध्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, तामिलनाडू, उत्तरप्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा इन सब जगह यह अवधि पांच साल की है। एक बात समझ में नहीं आती है जब पार्लियामेन्ट का और विधान सभा का इन सबका चुनाव पांच वर्ष में किया जाता है तब फिर हम किसी न किसी बहाने को लेकर पंचायतों के चुनाव को स्थगित करते जा रहे हैं और

Page No. 88

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बार बार इस अवधि को बढ़ाते जा रहे हैं। पंचायती राज की प्रणाली का जन्मदाता राजस्थान है और वहीं से इस पंचायती राज से आस्था हटती जा रही है। मैं समझता हूं कि इस बारे में व्यास कमेटी ने भी जोरदार शब्दों में कहा है कि किसी भी रूप में इनके टेन्युअर को नहीं बढ़ाया जाना चाहिये और इनके चुनाव हर तीसरे साल कराकर जनता का नया मेन्डेन्ट प्राप्त करना चाहिये। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट दिया है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण बढ़ाना ही पड़े तो वह 6 महीने के लिये बढ़ाया जा सकता है। चुनाव का प्रारंभ 64 में हुआ था और अब चुनाव पोस्टपोन करते करते 74 तक पहुंच जायेंगे। लगातार यह बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार इनको दस वर्ष की अवधि हो जायेगी। क्या दस वर्ष की अवधि को रख कर जनतन्त्र प्रणाली को स्वस्थ रूप से रखा जा सकता है। मैं समझता हूं कि पंचायत के इस एक्ट के अन्दर जो पांच वर्ष की मियाद है वह पर्याप्त है और एक वर्ष बढ़ाने की जो अनुमति चाही गई है उसे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। मैंने जो संशोधन दिया है उस पर मैं अपना यह मत व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की संशोधन वापिस लेने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक के खण्ड 2 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड दो पारित किया गया।

खण्ड 3—श्रीमती उषा प्रकाश।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक संशोधन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री खेतसिंह : आपका बहुत भाषण हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 3 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 4 व 5 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 व 5 पारित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड (1) मूल प्रस्ताव, नाम आदि को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 आदि पारित किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री हरिदेव जोशी : अब थर्ड रीडिंग पर क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हम इस बात के खिलाफ हैं कि चुनावों को लगातार स्थगित किया जाय, और इसलिए हम इस बिल का विरोध करेंगे। आपने जो चुनाव स्थगित किया है एक वर्ष के लिए और उसके लिए, जो भी आपने कारण दिये हैं, उनको हम उचित, जस्टिफाइड कारण नहीं समझते हैं, और जिस तरह की यह संस्थाएं बन गई हैं वह निरुपयोगी रह गई हैं। इसलिए यदि उनका चुनाव भी होता है, वह सुपरसीड हो जायं ताकि आप पर जनता का दबाव पड़े और आप चुनाव आगे स्थगित नहीं कर सकें। इसलिए इस हालत में अब चूंकि उनका समय निकल गया और अब यह बिल नहीं रहता है। तो उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, उस मामले में हम यह पसन्द करेंगे इसके बजाय कि इनकी लाइफ बढ़ायें और आगे के चुनाव की कोई निश्चित डेट आप देने को तैयार नहीं हैं कि उस अवधि तक आप चुनाव करायेंगे या नहीं करायेंगे, इसलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं और हम यह समझते हैं कि टाइमली चुनाव नहीं कराना जनतन्त्र का बिल्कुल हनन है और यह सरकार इतने मेसिव मेंडेट के,जिसमें आप 145 सीटों पर जीत कर आये हैं, तो आप प्रजातन्त्र की उल्टी गलत धारणा आप लोगों में बैठा रहे हैं और जो दृष्टिकोण इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं और हर तरीके से स्ट्रिक्ट बनने का यह दृष्टिकोण सरकार अपना रही है उसके प्रति अपना विरोध रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। इसलिए मैं इस बिल के पारित कराने का विरोध करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल को पारित कराने के लिए उसका तृतीय वाचन हो रहा है उसका विरोध करता हूं। चुनावों को अकाल के नाम पर टाला है और चुनावों को सरकार न टाले और वे स्वतन्त्ररूप से हों और जैसा कि मन्त्रीजी ने पहले कहा था कि वापिस शक्ति वे इस तृतीय वाचन से ले रहे हैं तो वायदा खिलाफी न हो जाय और वे चुनाव करायेंगे या नहीं इसका विश्वास हो तो मैं फिर माननीय मन्त्रीजी से निवेदन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करूंगा कि तृतीय वाचन हो रहा है तो इस समय यह बता दें कि इस तिथि तक निश्चित रूप से चुनाव करा दिये जायेंगे। उस तिथि का आश्वासन दें। वर्तमान में जो ढांचा है उसको सुपरसीड कर देंगे, तो फिर मैं समझता हूं मरे हुवे को जीवित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इनका सुपरसीड करके चुनाव किस तारीख तक करा देंगे इस प्रकार की घोषणा करें। इसलिए यह जो शक्ति आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो चुनावों को फिर आप टाल देंगे इसकी सम्भावना न बनी रहे इसलिए घोषणा करें। इसलिए यह जो बिल पास कराया जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने आर्डिनेन्स में जो टाइम शेडूल बताया सदन को कि अक्टूबर में जाकर मन्त्रिमंडल फैसला करेगा कि पंचायतों का स्वरूप क्या हो और हाइ पावर कमेटी की सिफारिश आयेगी उसके अनुसार और दिसम्बर और जनवरी में चुनाव करा देंगे तो यह इम्प्रेक्टिकल प्रेपोजीशन है। अक्टूबर में मन्त्रिमण्डल फैसला करेगा और फिर बिल बनेगा और बिल असेंबली में आयेगा और डिसकशन होगा और पारित होगा और फिर कान्स्टीटुएन्सीज का डिलिमीटेशन होगा और प्रोसेस आफ डिलिमिटेशन में कम से कम 2-3 महीने जरूर लगते हैं, फिर इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे और ओब्जेक्शन्स इनवाइट होंगे। यह जो प्रोसेस है इट विल इटसेल्फ टेक सिक्स मन्थ्स। या तो मन्त्री महोदय यह क्लेरिफाइड कर दें कि चुनाव होंगे वह जनवरी टू एप्रिल के अन्दर अन्दर चुनाव होंगे। 1974 के जनवरी टू एप्रिल तक चुनाव नहीं होते हैं तो चुनाव एक साल के लिए और आगे बढ़ सकते हैं मुमकिन है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नमेन्ट का दिमाग साफ हो जाय। गवर्नमेन्ट इस इल्यूजन में है कि अक्टूबर में निर्णय लेने के बाद जो हाइ पावर कमेटी की सिफारिश आयेगी उसके पश्चात् वह डिलिमिटेशन भी कर देंगे, इलेक्टोरल रोल्स भी तैयार कर लेंगे, आब्जेक्शन्स भी इनवाइट कर लेंगे, यह सारा जो प्रोसीजर है उसको भी पूरा कर लेंगे और जनवरी टू एप्रिल में चुनाव करा लेंगे, मैं इसको इम्प्रेक्टिकल प्रोपोजल मानता हूं। गवर्नमेन्ट इस इल्यूजन में हों तो गलत है।

दूसरी बात यह कि मान लें कि हाइ पावर कमेटी अक्टूबर तक रिपोर्ट न दे तो फिर आप क्या करेंगे ? फिर एक साल और बढ़ गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को पारित कराते समय गवर्नमेन्ट इस तरह का सदन में वायदा करे कि हाइ पावर कमेटी आर नो कमेटी इलेक्शन जो है वह जनवरी फरवरी में जरूर करायेंगे 74 में। इसके साथ साथ यह क्लियर घोषणा होनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दूसरी बात यह है कि हाइ पावर कमेटी जो आपने बना रखी है वह रिपोर्ट देगी और केबिनेट अक्टूबर में फैसला करके बिल पारित करायेंगे तो नहीं हो सकता है। वह टाइम शेड्यूल गलत है। केबिनेट का फैसला जुलाई में होना चाहिए और अगस्त में जा कर बिल पारित होना चाहिए तब

(श्री जी. के चौधरी)

जा कर चुनाव आप जनवरी, फरवरी और मार्च में करा सकते हैं। यह मेरा निवेदन है। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार यह डेफिनिटली बता दें कि हाइ पावर कमेटी और नो कमेटी, बिल आप पास करायें या न करायें, लेकिन जनवरी, फरवरी 74 में चुनाव करा देंगे। यह बात शब्दों में यहां आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव बेशक स्थगित कर दें लेकिन इन संस्थाओं को अब कार्य करने से रोक दें और इनको टेक ओवर कर लें, क्योंकि ये मृतप्राय: संस्थाएं हो चुकी हैं। इनमें अब कोई जीवन बाकी नहीं रहा है सिवाय इसके कि विकास के नाम पर जो धन दिया जाता है उसका दुरुपयोग हो। और राजस्थान की इस दुर्भिक्ष की स्थिति के अंदर उसको सहन करना बड़ा कठिन होगा। सारी की सारी संस्थाएं जो हैं वे आज पब्लिक माइन्ड के रीच नहीं करती हैं न वे जनता के अन्दर पापुलर हैं। इनका खर्चा हम निरर्थक करके चल रहे हैं। अकाल के काम से जाने के लिए जीपें नहीं हैं, दूसरी तरफ बी० डी० ओ०. प्रधान इन जीपों का बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे कार्यों में उनका उपयोग कर रहे हैं जो कार्य हमारे दुर्भिक्ष के कार्य से ज्यादा अहम नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि हमारे यहां प्रधान सादुलशहर पंचायत समिति का, उन्होंने अभी 15 हजार रुपया विकास कार्यों को देखने में जीप पर खर्च किया है। विकास कार्य देखते फिरे हैं। उनका नाम उदयसिंहजी है। कलेक्टर ने मुआयना किया तो सारे पंचायत क्षेत्र में विकास का एक कार्य नहीं चल रहा था। एक तो 15 हजार रुपया उन्होंने विकास कार्यों को देखने में खर्च कर दिए। ऐसी स्थिति में इस तरह की हालत के अन्दर सहन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा कि चाहे दो टायर सिस्टम हो, चाहे तीन टायर सिस्टम हो, हमारी हाइ पावर कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, आप और हम बैठ कर क्या विचार करते हैं, और आपका और हमारा दिमाग क्या बनता है, हम जिला परिषदों को किस प्रकार से कान्स्टीट्यूट करते हैं, पंचायतों को क्या शक्ति देते हैं। यह सब डाइलेक्टिल डिसकशन्स आपके और हमारे होते रहेंगे, यह तो मैं निश्चित कह दूं कि हमारी विधान सभा का सेशन एक साल के बाद होगा। राम राम करने के लिए चाहे एक दिन के लिये आप बुलालें, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा आपका मूड नजर नहीं आता है। आज जब इस वक्त राष्ट्रपति गिरि कॉलोनी में पहुंचे हाउसिंग बोर्ड वाली में तो केवल 10 विधायक वहां पर बैठे हुए थे और मंत्री सब गायब थे। राज्यपाल महोदय ने कहा कि मुझे बड़ा दु:ख है कि मंत्री महोदय यहां पर मौजूद नहीं हैं। तो वहां पर बैठे हुए 10 विधायकों ने कहा है हमें यहीं पर शपथ दिला दीजिये। हम 10 बैठे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बेरी साहब आये थे तो..............

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

परिषदें जो एक प्रकार से इस दुर्भिक्ष में और दुर्भिक्ष-ग्रस्त राजस्थान की छाती के अन्दर कील की तरह गढ़ रही हैं। कृपा करके इनको निकाल दें सैद्धान्तिकरूप से तय कर दें कि किस प्रकार की संस्थाएं बनाते हैं और उसके बाद में जल्दी से जल्दी प्रेक्टिकली सम्भव हो, चुनाव कराके नव-जीवित संस्थाएं जो कि जनता का नेतृत्व करती हों, जिनमें एनर्जीज हों, शक्ति हो ऐसी संस्थाएं स्थापित करें।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक से अधिक बार गवर्नमेंट की जो एप्रोच है, उसके बारे में निवेदन कर चुका हूं। बार बार रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है।

जहां तक इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को टेकओवर करने का है, मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमत नहीं हूं। एक संस्था, दो, पांच, दस, पचास, सौ ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं। किन्तु फिर भी डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन को कलम की एक नोक से हम खत्म कर दें और उन पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दें, मैं इसे अप्रजातांत्रिक मानता हूं।

एक माननीय सदस्य : विरोधियों की हो तो ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा अप्रजातांत्रिक कार्य नहीं करना चाहता। जहां तक हमारे सामने दुराचार की बात आयेगी, मैं कार्यवाही करूंगा परन्तु किसी संस्था को सुपरसीड करना मैं उचित नहीं मानता। 7 हजार पंचायतें हैं, 225 समितियां और 26 जिला परिषदें हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से धैर्य रखने का आग्रह करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि अगले इलेक्शन तक इन्तजार करें। जहां तक अगले इलेक्शन का सवाल है, उसके शिड्यूल में चेंज कर दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय, शिड्यूल में चेंज करना ही नहीं है। इन संस्थाओं की मुरिलिटी नहीं रही हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं भी सहमत हूं कई बातों में लेकिन जैसी भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Does your statement amount to categorical assurance to this House कि अगले साल जिस समय चुनाव होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : आप उस समय थे नहीं हाउस में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

परिनियत संकल्प राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अध्यादेश, 1973 को अस्वीकार करने सम्बन्धी

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर सर। इससे पहले संकल्प हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : संकल्प को पहले ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों के संकल्प पहले ले लिये जायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं : "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1973 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण, अध्यादेश 1973 (अध्यादेश सं० 1 सन् 1973) को अस्वीकार करता है।"

श्री खेतसिंह : सीलिंग नहीं लगायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनकी पार्टी नहीं चाहती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वैसे मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह किन परिस्थितियों में लाया गया है। यह राजस्थान सरकार अध्यादेशों की सरकार है। इन सारी चीजों को हम विधान सभा में जनप्रतिनिधियों से तय करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा न करके चोर दरवाजे से राजस्थान के राज्यपाल को बीच में लाते हैं। इस कारण जो अध्यादेश है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, अध्यादेश निकाला गया है। मैं छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं, इसमें जो दण्ड शास्ति और प्रक्रिया है, इसको देखें तो इसी आधार पर यह अस्वीकार हो जायेगा। आप लोग देख सकते हैं, किताब आपके पास होगी। इसमें लिखा है, यह 1 जनवरी, 1973 से लागू किया गया है। विधान सभा का सैशन 16 फरवरी से बुलाया जाने वाला था। मैं समझता हूं कि अध्यादेश राज्य सरकार को राज्यपाल से निकलवाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। कानून ले आते। जन प्रतिनिधि उस पर विचार कर लेते। लेकिन अध्यादेश निकाल देने से क्या हुआ। आप देख सकते हैं:—

"यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई विवरण देने के लिए बाध्य है, उक्त विवरण, धारा 10 में या धारा 1 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस में, विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और आगे समय दिया गया हो तो उसके भीतर, देने से इन्कार करे या जानबूझ कर न दे तो वह तीन मास तक की अवधि के लिए कारावास से या 500 रु० तक के जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।"

यह 10 और 11 क्या है? 1 जनवरी, 73 से लागू किया। आज फरवरी 23 हो गई है। इसमें लिखा है:—

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे प्रारम्भ की तारीख को, उस पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी तारीख को धारित भूमि के सम्बन्ध में उस प्राधिकृत अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में ऐसे व्यक्ति की जोत या उसका मुख्य भाग स्थित है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जायें, अन्तर्विष्ट करते हुए, एक विवरण देगा।"

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसमें लिखा है 60 दिन। अभी तक जबकि कानून बना नहीं। संशोधन हुआ नहीं। 11 में लिखा है:—

"यदि कोई व्यक्ति जो उस पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करता है, धारा 10 के अधीन का विवरण देने में असफल रहता है या उस धारा के अधीन अपूर्ण या अशुद्ध विवरण देता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, नोटिस द्वारा, ऐसे व्यक्ति से, उस नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, या तीस दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक के अनुसार अनुज्ञात करें।"

इसके अन्तर्गत यह होगा कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास जमीन है आज की तारीख में उसको 3 महीने की कानून के अनुसार सजा भी होगी और 500 रु० का जुर्माना भोगने का अधिकारी होगा। 23,24, और 25 में लिखा है, मिथ्या घोषणा करने का दण्ड। यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष धारा 17 के अधीन ऐसी कोई घोषणा करता है जो उसकी जानकारी में मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने के लिये उसके पास कारण है तो वह छः माह तक के कारावास से वह दे नहीं पाया, तो पिछली वाली बात कह दी, छः महीने का कारावास, तीन महीने का कारावास वहां कह दिया और यहां पर तीन महीने से छः महीने हो गया।

"या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा" मेरा निवेदन है, राज्यपाल महोदय से सत्तारूढ़ दल के दोस्तों ने अध्यादेश जल्दी निकलवाने की कोशिश कर, उसके आधार पर राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास जमीन है, को तीन माह की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माने देने का अधिकारी कर दिया है। इसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो बोलने के आधार है, पहले बोलने के आधार का तो मैं उपयोग कर रहा हूं। अब मेरा निवेदन है कि जो मेमोरेन्डम सब्मिटेड टू दी फाइनेन्स कमीशन, उसकी ओर मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं। उसमें एक बार दो बार फसल की भूमि है, उसके बारे मे जिक्र किया है। सिंगल क्राप एरिया, डबल क्रॉप एरिया का विवरण इसमें दिया है। आपने कहा है, दो प्रकार की भूमि है, आपने पेज 61 पर लिखा है:

"...... In this respect it is to be kept in view that merely 90% of the cultivated area of the State is single crop......"

सिंगल क्राप एरिया 90 परसेन्ट समझते हैं। अब इस एक्ट में राज्यपाल महोदय से निकलवाया है आदेश, सिंगल और डबल क्रॉप का, तो मैं समझता हूं कि सब एरिया सिंगल क्रॉप हो गया, डबल क्राप रहा नहीं '90% of the cultivated area of the State is single crop and dependant......'

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, फाइनेन्स कमीशन आया उसके सामने प्रस्तुत करने को यह सुन्दर किताब छपवायी, और बरकतुल्ला साहब के स्टेटमेंट के साथ

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भिजवायो। आपने स्वयं ने माना है 90 पर्सेन्ट एरिया राजस्थान में सिंगल क्रॉप एरिया है। मैं समझता हूं कि आपने दो प्रकार की घोषणा की, वह घोषणा गलत है। अब रहा दस पर्सेन्ट। मेरा निवेदन है, 90 पर्सेन्ट के बारे में तो आपने कहा, अब बचा दस पर्सेन्ट। 90 पर्सेन्ट हो गई सिंगल क्रॉप, अब 10 पर्सेन्ट के बारे में दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेंस हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा था, आप चीफ मिनिस्टर का बयान देख लीजिये, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 10 पर्सेन्ट भी डबल क्रॉप एरिया नहीं है। इसका मतलब है, पूरा शत प्रतिशत राजस्थान में सिंगल क्रॉप एरिया है इस प्रकार का चीफ मिनिस्टर ने बयान चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेंस में दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह जो सारा संशोधन विधेयक बनाया है, यह बिल्कुल गलत है। इस सरकार ने जो मेमोरेन्डम दिया फाइनेन्स कमीशन को, उसके आधार पर नहीं है।

अब एक जनवरी से साठ दिन की बात कही है, इस आधार पर प्रत्येक किसान तीन महीने की सजा और पांच सौ रुपया जुर्माना देने का अधिकारी हो गया। इस प्रकार यह गलत विधेयक लाये हैं, अध्यादेश के जरिये लाये हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने फाइनेन्स कमीशन वाली बात कही, और फिर चीफ मिनिस्टर के वक्तव्य की बात कही। फिर एस. डी. ओ. को बड़ी भारी पावर दे दी है। ध्यान रखिये, एस. डी. ओ. पैसा खायेगा और लोगों को परेशान करेगा। गंग कैनाल, भाखरा, वहां पर सिंचाई की सारी योजना है, उसको भी सिंगल क्रॉप एरिया घोषित करना चाहिए और उसके बाद में आप इस कानून को लायें तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया होगा, वरना यह सारा डिफेक्टिव है। अब मैं निवेदन करूंगा, पहली बात मैंने निवेदन की है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि अध्यादेश को इन कारणों से अस्वीकार किया जाय। मैं समझता हूं, इस पर विचार कर लिया जाय, फिर जनमत जानने वाली बात होगी मैं उसके बारे में भी निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ !

(अनुपस्थित)

श्री निरंजन नाथ आचार्य !

(अनुपस्थित)

मंत्री जी ! राजस्व मंत्री जी !

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दो तीन बातें कहीं हैं, पहली तो यह कि विधान सभा जब 16 फरवरी से बुलाया जाने को थी तो फिर इतनी जल्दी क्यों की, एक जनवरी को आर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया। यह आप सबको मालूम है भारत सरकार द्वारा सब चीफ मिनिस्टरों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें यह तय किया गया कि सीलिंग बिल है, उस सीलिंग बिल को इम्पोज करने के लिए 31 दिसम्बर सन् 1972 की अंतिम तारीख हो उसके मुताबिक हमने कोशिश की, 31 दिसम्बर को इतवार था, इसलिए 1 जनवरी को हमने आर्डिनेन्स निकाला। इसलिए यह कहना कि डेढ़ महीने के बाद

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जब असेम्बली मिलने वाली थी तो आर्डिनेन्स क्यों निकाला तो जो गाइड लाइन थी, उसके नीचे यह किया गया है..................

श्री गिरधारीलाल भार्गव : असेम्बली जल्दी बुलाई जा सकती थी अगर इतनी जल्दी थी तो ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपको और समय मिलेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूसरी बात यह है कि जो रिटर्न सीलिंग के बारे में किसान को पेश करना चाहिए था, उसके लिए टाइम नहीं दिया गया। तो 1 फरवरी के गजट में आपके यहां सब जगह नोटिफाई कर दिया गया था, फार्म बना दिया गया था, उसके मुताबिक सब लोग अपने अपने रिटर्न सबमिट कर सकते थे। फिर भी मैं यह चाहूंगा, जैसी माननीय सदस्यों की राय है, इसमें आगे और टाइम की जरूरत पड़ी तो इस पर विचार करके हम इसका टाइम बढ़ा देंगे। इसके अलावा ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमींदार और बड़े बड़ों के लिए जो रियायत चाहिए वह सारी मिल जायगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी दोषी हैं उसके लिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : और कोई चीज बतायी नहीं जिससे पास करने में आपत्ति हो। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ....

श्री खेतसिंह : यह बाद में करिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि एक फरवरी को गजट में छापा कर दिया है, आप किसान हैं और मिनिस्टर भी हैं, आपको ध्यान सब बातों का है। मैं आपसे पूछता हूं कि गांवों में गजट की कापी उपलब्ध है ? मैं यह पूछना चाहता हूं, प्रफोर्मा और रूल्स, जो भी हैं, वह गवर्नमेंट प्रेस में उपलब्ध नहीं है। कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, गवर्नमेंट प्रेस में जाकर उसे दस रुपये रिश्वत देकर फार्म-रूल्स मिले। मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के किसानों के खिलाफ से निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार गलत अध्यादेश बना कर, जल्दी में कानून लाकर विधान सभा में पास नहीं करवायें। राज्यपाल महोदय द्वारा आपने एक गलत अध्यादेश निकलवा कर राजस्थान के किसानों के ऊपर अन्याय किया है। मैं निवेदन करता हूं, आप जो कानून लाये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस प्रकार लागू होगा, किस प्रकार किसान इससे परेशान होंगे। गांवों में रूल्स नहीं, प्रफोर्मा नहीं, गजट नहीं। फिर कहा, सिंचित असिंचित, डबल क्रॉप और सिंगल क्रॉप इसके बारे में निवेदन किया, जो आपने मेमोरेन्डम दिया है फाइनेन्स कमीशन को, उसमें आपकी सरकार ने कहा कि राजस्थान में सिंगल क्रॉप एरिया है वह 90 पर्सेन्ट है, बाकी दस पर्सेन्ट के बारे मुख्य मंत्री सम्मेलन में बरकतुल्ला साहब ने कहा कि राजस्थान में सारा का सारा एरिया सिंगल क्रॉप है। मैं समझता हूं, यह सरकारी रिपोर्ट हैं, मेरे घर की नहीं है, मैं गवर्नमेंट प्रेस से छपाकर नहीं लाया हूं, यह परसों सब

Page No. 97

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सम्माननीय सदस्यों के पास गई है, उसके आधार पर मैं निवेदन करता हूं, आपने कहा इतनी भूमि छोड़ी जायेगी, सिंगल में कितनी और डबल में कितनी। तो जब देने वाली बात आती है तो देने वाली बात में आपने कंम्पेन्सेशन रखा है, उसमें अलग अलग रखा है, लेकिन लेने वाली बात में आप दूसरी भावना रखते हैं। मेरा निवेदन है यह आर्डिनन्स है जिसके आधार पर बिल पेश करने जा रहे हैं, यह इनइफेक्टिव है, बेकार है, बोगस है, इससे राजस्थान के किसानों का भला नहीं होने वाला है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आपने इसको ड्राफ्ट कराने मे भूल की हैं, मैं जनसंघ का आदमी कह रहा हूं कि इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, और मेरा कहना है कि आप बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनायें, इसको पार्टी विशेष का आधार नहीं बनायें। पार्टी विशेष का आधार तब बनता है, जब इस बिल का हम विरोध करते। जिस भावना से आप सिलिंग ला रहे है मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा दल स्वागत करता है। इस वक्त मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य और इन सारे तथ्यों के बावजूद आप इस बिल को इन्ट्रोड्यूज नहीं करेंगे तो अच्छा है, वरना बहुमत के आधार पर आप जो करना चाहें वह कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (मंत्री से) आप रहने दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया, इसमें साठ दिन की म्याद को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और उस पर कार्यवाही करेंगे। दूसरा····

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर According to rules, there is no provision for a reply to reply.

श्री उपाध्यक्ष : यह निवेदन पहले ही मंत्रीजी से आसन की ओर से कर दिया गया है। मैं गिरधारीलालजी भार्गव से निवेदन करूंगा कि क्या वे अपना संकल्प वापिस लेना उचित समझेंगे ?

श्री खेतसिंह : ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लेने की अनुमति दे दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री खेतसिंह : अब आप (मंत्री जी) मूव कीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक 1973 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 का जनमत जानने हेतु परिचालित करने व प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्तावों पर चर्चा

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले मेरा प्रस्ताव है जनमत जानने के लिए...

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : पहले रामानन्दजी बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका दिया हुआ कागज है जिसमें लिखा है कि मैंने प्रस्ताव दिया है कि इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, उसके बाद में रामानन्दजी का नम्बर है, आपका छपा हुआ है, मेरे घर का तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: तो मैं निवेदन कर रहा था कि आर्डीनेन्स 1.1.1973 को आया। विधान सभा में यह पहले आना चाहिए था। बार बार यह....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तीन प्रस्ताव हैं एक तो परिचालित करने के बारे में, दूसरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए और तीसरा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के संबंध में। तीनों प्रस्तावों पर एक साथ बहस करली जाए और सब का जवाब मंत्रीजी एक साथ ही देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का प्रस्ताव है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, आपका प्रस्ताव है कि विधेयक को परिचालित किया जाय और कुछ माननीय सदस्यों का प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। मैं उचित समझता हूं कि तीनों प्रस्तावों को एक साथ लिया जाकर एक साथ बहस हो जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बोल दूं उसके बाद जो कुछ चाहें करें। मेरी प्रार्थना है कि कृषि भूमि की सीमा तय करने का एक अभियान चला है और उस अभियान के तहत यह अध्यादेश आया है। अब भूमि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, मेरा निवेदन है कि भूमि का सीमाकरण आय के आधार पर होना चाहिए, एकड़ के आधार पर नहीं। यदि हम आय के आधार पर करते हैं तो एक परिवार की कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए 5 व्यक्तियों के लिए, उसके आधार पर यह भूमि का निर्धारण होना चाहिए। उसके बाद में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अनिश्चितता बनी हुई है कि भूमि कितनी होगी-30, 18 या 55 एकड़-इसके कारण राजस्थान का किसान अपनी खेती का जो विकास करना चाहता है, बिजली लगाना चाहता है, डीजल एंजिन लगाना चाहता है, कुए बनाना चाहता है, खेती की तरक्की करना चाहता है, वह नहीं कर पा रहा है और बार बार परिवर्तन हो रहे हैं। 1959 में सीलिंग कानून बना और श्री दामोदर लाल व्यास ने उस समय कहा था कि सीलिंग वन्स फॉर आल। उसके बाद 1971 में मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि इसकी तारीख 31 दिसम्बर 1969 होगी और इसके बाद तारीख आ गई एक जून 1970। आज इसके बाद तारीख आई है जो बरकत्त सरकार ने रखी है वह है 26 सितम्बर 1972। क्या गैरंटी है कि जिस प्रकार से

Page No. 99

(श्री गिरधारालाल भार्गव)

दामोदर लालजी व्यास ने कहा, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कहा, वर्तमान मुख्य मन्त्री बरकत साहब ने 26 सितम्बर 1972 की घोषणा की है, इसमें भी अनिश्चितता बनी हुई है, लोगों के पास कितनी भूमि रहेगी इसलिए बार बार इस सीलिंग कानून में परिवर्तन करने से किसान अपनी खेती का विकास नहीं कर रहा है।

(3.55 म. प.)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सभापति, पदासीन)

और राजस्थान की रबी की फसल राजस्थान के आंकड़ों के अनुसार 32 लाख टन होगी लेकिन अब विचार करें तो रबी की फसल में 26 लाख टन से अधिक उत्पादन नहीं हुआ और उसका एक कारण यह है कि राजस्थान के किसान के दिमाग में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। क्लाज नं० 4 में कहा गया है कि सुनिश्चित सिंचाई। इसकी परिभाषा क्या है? क्लाज नं० 3 में है अश्यूअर्ड इर्रीगेशन, जैसे कोई राज्य सरकार बीमा करती हो। राजस्थान के कुए और नहर अकाल के समय सूखते हैं और अंत में दी गई है लैंडलेस की परिभाषा। लैंडलेस कौन है? लैंडलेस की परिभाषा इसमें नहीं दी गई। यदि मेरी परिभाषा के अनुसार हो तो अजमेर रोड व टोंक रोड पर फार्म मिलेंगे, वे इस परिभाषा में नहीं आने चाहिए। वे अपने को किसान भी कहलाते हैं जिनकी आजीविका खेती पर हो और राजनीति में बने रहेंगे, विधायक भी बने रहेंगे, मंत्री भी बने रहेंगे अधिकारी भी बने रहेंगे, राज्य के मुख्य मंत्री भी बने रहेंगे, उनके नाम पर फार्म होंगे, ट्रेक्टर्स होंगे, कांग्रेसी नेताओं के फार्म व ट्रेक्टर्स होंगे, पत्नियों और लड़कों के नाम पर ट्रेक्टर्स होंगे और जयपुर शहर में माल उठाने के काम में नजर आयेंगे। यह लैंडलेस की परिभाषा राज्य सरकार को बदलनी चाहिये तो जयपुर के आसपास बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और कांग्रेसी दिग्गजों के फार्म हैं वे एकुवायर हो जायेंगे और इसके बाद जिनको आप भूमिहीन कहते हैं उनको वह भूमि दें, मेरा दल स्वागत करेगा।

लैंड रेवेन्यू एक्ट में लैंडलैस कौन है, उसकी परिभाषा दूसरी है। एलाटमेंट आफ लैंड रूल्स में लैंडलैस की परिभाषा दूसरी है, सिंचित भूमि किसको दी जाए, इसकी परिभाषा तीसरी है और जागीर रेजम्पशन एक्ट में परिभाषा अलग है। मेरी राय में लैंडलैस का अर्थ वह व्यक्ति है जिसका आय का कोई और जरिया न हो और उसका सारा जीवन कृषि भूमि की आय पर निर्भर हो। यदि राज्य सरकार मेरी इस लैंडलेस की परिभाषा को मान ले तो कहूंगा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में सच्चा समाजवाद लाना चाहती है वरना यह समाजवाद का नारा राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला नारा सिर्फ वोट लेने का नारा होगा। मेरा सुझाव मानने के बाद काफी भूमि खाली हो जाएगी। इसलिए राज्य सरकार पहले भूमिहीन व्यक्तियों का रजिस्टर बनाए कि कौन कौन व्यक्ति भूमिहीन है, वह गांवों के अनुसार हो, जैसे जयपुर में कच्ची बस्तीयों का सर्वे हुआ उसी प्रकार गांव गांव के भूमिहीन व्यक्तियों का रजिस्टर रखकर, उसकी जांच हो, उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएं। जब परिभाषा बन जाएगी, रजिस्टर भी बन जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि कौन भूमिहीन हैं, कौन नेतागिरी में आ

Page No. 100

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ग ए, ट्रैक्टर लेने आ गए, भूमिहीन के नाम पर जयपुर के आस पास बढ़िया जमीनें दबाने में कौन व्यक्ति हैं।

इस एक्ट के तहत कर्त्तव्य पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजपत्र की अधिसूचना में नियुक्त प्राधिकारी नोटीफिकेशन निकालेगा। उसके आधार पर एस०डी० ओ० को पूरे अधिकार दे दिए गए कि लूटो और खाओ। तो मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के राजस्व मन्त्रीजी से कि एस०डी ओ० को आप यह जो अधिकार दे रहे हैं वह जनता के हित मे नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने भाग (अ) की प्रथम पंक्ति में जो शब्द अंगूर वाटिका लिखा हुआ है अंगूर होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लंगूर भी होता है कभी कभी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने अपने हिसाब से यह कह दिया। इस प्रकार की खेती करने वाले को छूट दे दी। सभापति महोदय, राज्य सरकार को चाहिये कि किसानों का भला करें। पर ऐसा नहीं है इस बिल के स्पष्टीकरण में दिया है मानव श्रम या पशु श्रम द्वारा चालित कुए सिंचित भूमि इस उपधारा के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट भूमि के प्रवर्गों के अधीन नहीं आने वाली समझी जायेगी और उसके खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में आने वाली समझी जायेगी। लेकिन बेचारे वे किसान तो मारे जायेंगे इसमें जिनके कि बिजली से डीजल से खेती होती है इसके लिये आप आगे देखेंगे। इसके अलावा पेज नम्बर 6 पर जो आपने तारीख दी है वह गलत है। आपने तारीखं 26-9-70 की तारीख दी है जबकि आपके मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो तारीख दी है वह 24-1-71 दी है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसी सही है। इसी तरह आपने पेज नम्बर 8 पर जो धारा 15 है इसमें आपने मामलों को पुनः खोलने की शक्ति दी हुई है। इस धारा के अन्तर्गत आपने एस. डी. ओ. को इतना पावरफुल बना दिया है कि अगर वह किसी को परेशान करना चाहता है तो वह रेवेन्यू बोर्ड के फैसले हुए, हाई कोर्ट के फैसले हुए फिर भी केस को रीओपन तीन साल के अन्दर कर सकता है। अब आप, सभापति महोदय, देखिये कि जिस केस का फैसला रेवेन्यू बोर्ड कर दे, जिस केस का फैसला हाई कोर्ट के द्वारा हो जाय उसी केस को उसका ही छोटा अफसर न मानें और उस केस को रीओपन कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एस.डी.ओ हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर हो गया। वो चाहे जब तीन साल के अन्दर अन्दर किसी भी किसान को परेशान कर सकता है। तो राज्य सरकार की जो नीति है कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं यह मिटेगा नहीं मन्त्रीजी और बढ़ेगा क्योंकि आपने एस. डी. ओ. को इतनी पावर दे दी है कि वह केस को तीन साल के अन्दर कभी रीओपन कर सकता है। इस तरह आप एस. डी. ओ. को मामले को रीओपन करके शक्ति प्रदान करके राजस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा, सभापति महोदय आपने 24, 25 नवम्बर को कहा है कि इसमें 60 दिन की अवधि है और वह अवधि समाप्त हो चुकी है। लेकिन अभी तक गजट की कापियां लोगों के पास पहुंची नहीं हैं। रूल्स की कापियां नहीं हैं। इनकम टैक्स व सेल्स टैक्स की क्या सजा होगी यह नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इनके उल्लंघन से कोर्ट में क्या सजा होती यह भी नहीं है। लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपने धारा 24 व 25 दिया है कि विवरणी देने में विफल रहने और मिथ्या-विवरणी या जानकारी देने पर दण्ड यह आपने तीन मास तक की अवधि के लिये करावास या पांच सौ रुपया जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा। और इसी प्रकार मिथ्या घोषणा करने के लिये दण्ड यह धारा 25 है। इसमें साफ लिखा कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष धारा 17 के अधीन ऐसी कोई घोषणा करता है जो उसकी जानकारी में मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने के लिये इसके पास कारण है तो वह छःमास तक के कारावास से या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगी। यह इसमें बुराई है आज किसानों के पास रूल्स की कापियां नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है तो आप उन्हें परेशान करना चाहते हैं। क्या इसी प्रकार से आप समाजवाद को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस धारा 24 और 25 को इसमें से निकाल दे तो ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर एक आदमी के चार लड़के हैं और व्यस्क हैं वो अपने रिर्टन बराबर भर कर नहीं दें तो आप उस आदमी को हथकड़ी लगा देंगे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं थोड़ा मैं आपको कम्पेनशेसन के बारे में भी कहूंगा। इसमें आपने नहरी के लिये 1000 रुपये और चाही के लिये 1000 रुपये प्रति एकड़ रखा है और पहाड़ी जोन में 300 रुपये प्रति एकड़ रखा है। इसमें आपके कौन से स्टेंडर्ड आप मानेंगे, 18 स्टेण्डर्ड एकड़ या 30 स्टेण्डर्ड एकड़ या 54 स्टेण्डर्ड एकड़ मानेंगे। इसमें राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि राज्य सरकार अभी तक यह निश्चित नहीं कर पायी हैं कि कौनसी स्टेण्डर्ड एकड़ का क्या नाम रहेगा। तो मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह डिफेक्टिव बिल नहीं लाये। जो कानून बनावे उसमें आपने जो एस. डी. ओ. को पावर रीओपन करने की वह समाप्त की जानी चाहिये। सभापति महोदय, हमारा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रान्त है और राजस्थान सरकार अपने आपको किसानों का हिमायती बताता है तो फिर ऐसा एक्ट क्या बना रही है जिसमें किसानों का अहित हो। इसलिये में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वापिस सोचकर जो इसमें कमियां है, जो गलतियां है उन्हें दूर करने के लिये व इसमें और सुधार हो इसके लिये आप इसे जनमत जानने हेतु भेजेंगे तो ठीक रहेगा। वरना तो मैं समझता हूं कि यह बिल जो आप ला रहे हैं वह सिर्फ बड़े मन्त्रियों को जिनके की बड़े बड़े फार्म हैं उनके लाभ के लिये ला रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें ऐसे प्रावधान रखिये कि जिसमे सभी को लाभ हो। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति महोदय : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मैंने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा

(श्री रामा नन्द अग्रवाल)

है। प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये मेरा मकसद यह नहीं कि इसमें देरी होनी चाहिये। बल्कि इसमें जो खामियां है, कुछ गम्भीर कमियां है जो वास्तव में बहुत ही गम्भीर हैं और अगर वो खामियां दूर नहीं की गयीं तो जैसे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हम सीलिंग बिल ला रहे हैं वह वास्तव में सीलिंग बिल की शक्ल में नहीं आयेगा। बल्कि सीलिंग एवोलिशन की शक्ल में आयेगा। मैं यह मानता हूं कि इस बिल में अब देरी नहीं होनी चाहिये लेकिन इसमें कमियां नहीं रहे इसलिये मैंने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा। उससे यह होता कि जैसा कि मैंने सुझाव दिया कि वह प्रवर समिति एक सप्ताह के अन्दर अन्दर ही अपनी सभी प्रकार की स्टैडी करके, इस पर विचार करके अगले हफ्ते में इस सत्र में उसकी रिपोर्ट पेश हो जाये। सभापति महोदय जब मैं इस बिल के लिये सीलिंग एवोलिशन की संज्ञा देता हूं तो हमें दुख होता है और होना चाहिये भी क्योंकि चुनावों के दिनों में हमारे दल ने शासक दल ने दोनों ने ही राजस्थान की जनता से वायदे किये और उनके लिये दोनों ही दल वच बद्ध है। हमने आम चुनावों में इलेक्शन के दिनों में अपने मेनीफस्टो के जरिये, घोषणा पत्र के जरिये कांग्रेस ने और हमने जनता से वायदे किये हैं। कुछ वायदे किये हैं। इन वायदों में और कांग्रेस के वायदों में थोड़ी समानता है। कांग्रेस की और कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समानता थी इसलिये राजस्थान में और भारत के अन्य प्रान्तों में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दल दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े और वह मिलना न केवल चुनाव लड़ने के लिये ही था। मकसद यह भी था कि चुनाव के बाद जो जनता से वायदे किये गये हैं उन कार्यों को प्रशासन सम्हालने के बाद कांग्रेस दल करेगा उसको तेजी से पूरा करवाया जाय उनके विषय में ईमानदारी से केवल घोषणा करके ही नहीं छोड़ दिये जायं बल्कि उनको सही रूप में असली जामा पहनाया जाय।

सभापति महोदय मुझे खेद है कि यह विधेयक उस वायदे को पूरा करने की दशा में ही नहीं जाता बल्कि मुझे माफ करेंगे मेरे शासक दल के मित्र यह विधेयक उस विश्वास के प्रति भी जो हमने राजस्थान की जनता को दिया है, जो कांग्रेस दल ने, कांग्रेस ने जनता को दिया है उसके साथ खुला विश्वासघात है। सभापति महोदय, जब मैं यह बात कह रहा हूं तो केवल विशेषण या कड़वे शब्द इस्तेमाल करने की दृष्टि से नहीं है बल्कि जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस सदन के सामने रखा है उसमें स्वयं उन्होंने कहा है कि इस विधेयक का मकसद पुराना जो सीलिंग का विधेयक था कि उससे जमीन का, भूमि का कन्सन्ट्रेशन किन्हीं लोगों में था 30 स्टेण्डर्ड एकड़ सीलिंग से वह काफी बड़ी मात्रा में उसी तरह से रह गया, भूमि हीन लोगों के लिये अधिक जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है और इसलिये इस बिल को ला रहे हैं कि उन भूमिहीन लोगों के लिये अधिक भूमि उपलब्ध करना चाहते हैं। यदि यह उद्देश्य इस बिल से पूरा होता हो यदि यह लक्ष्य इस बिल से पूरा होता हो तो मैं इसको छाती से लगा लूंगा और मैं और हमारा

Page No. 103

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दल इसका पूरी तरह से समर्थन करेंगे। लेकिन उद्देश्य तो हम यह रख रहे है कि जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, लक्ष्य तो हम इस बिल व उद्देश्यों के जरिये यह बता रहे हैं कि हम पुराने सीलिंग पर यह नया कानून लाकर इसको नीचे करना चाहते हैं और ज्यादा जमीन उपलब्ध करना चाहते हैं लेकिन नतीजा उसका इस रूप में निकल रहा है कि जो जमीन पिछले सीलिंग में 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से भी निकल रही थी अब यह विधेयक अगर कानून बन गया तो इस विधेयक के जरिये वह जमीन जो स्वयं सरकार ने मानी है लगभग 16 लाख 53 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध होने की ऐसा स्वयं सरकार ने बताया सभापति महोदय, हाईपावर कमेटी की मीटिंग में राज्य सरकार ने जो फीगर्स दिये थे सन् 1971 में, 4 जुलाई 1971 के ये राज्य सरकार के आंकड़े हैं जिसमें राज्य सरकार ने 16 लाख 5 हजार 328 एकड़ जमीन इस 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के सीलिंग से उपलब्ध होना बताया था और 33 हजार 510 ऐसे व्यक्ति, ऐसे बड़े जमींदार ऐसे बड़े जागीरदार, जिनके पास 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक भूमि है, उसमें उनकी गणना बताई गयी।

सभापति महोदय, राजस्थान के मंत्रि-मंडल ने 14 दिसम्बर को जब इस विधेयक की रूपरेखा बनायी तो माननीय राजस्व मंत्रीजी ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : दस मिनिट हो गये।

रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस पर कोई सीमा समय की नहीं हो सकती है।

श्री खेतसिंह : सीमा तो होगी। आप बोल लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बोली पर भी सीलिंग है।

श्री खेतसिंह : बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आप थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में मैं हूं और स्पीकर साहब से बात की थी। आप इस प्रकार गैर जिम्मेदारी से करें यह सोचने की बात है। बिजनिस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिये दो दिन निर्धारित किये थे। दो दिन न करके एट दी क्लोज ऑफ दी डे पर आप बिल लाकर फिर कहते हैं।

श्री खेतसिंह : वाकई आप घोर कम्यु-निस्ट हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सच्चे कांग्रेसी नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : आपके सामने तय हुआ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में समय तय नहीं हुआ था। सभापति महोदय, मिनिट्स देख लें।

श्री खेतसिंह : दस मिनिट का तय नहीं हुआ था। पहले यह था कि पंचायत

(श्री खेतसिंह)

बिल लेंगे और फिर यह बिल लेंगे। आज इस पर जनरल डिबेट कर लेंगे। आप अब इन्कार कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राष्ट्रपति आ रहे हैं, जल्दी हाउस को एडजोर्न करना है तो ज्यादा टाइम बढा कर ज्यादा समय तक हाउस बैठता ? कब एडजोर्न करना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह : 4.30 बजे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आज कैसे खत्म होगा ?

श्री खेतसिंह : आप तो बोले जाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 13 दिसम्बर को राजस्थान मंत्रि-मंडल ने इसके प्रारूप को स्वीकार किया था तो एक पत्रकार सम्मेलन में राजस्व मंत्रीजी से पूछा गया था अब इस सीलिंग से कितनी जमीन उपलब्ध हो सकेगी तो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने बताया कि इस सीलिंग को लागू करने से लगभग दो लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होने की आशा है। यह राजस्थान पत्रिका है 14 दिसम्बर 1972। "श्री चौधरी ने अनुमान व्यक्त किया कि इस कानून के तहत 2 लाख एकड़ भूमि के प्राप्त होने की आशा है।"

सभापति महोदय, इस तरीके से और फिर जब इस सीलिंग के उस प्रारूप को केन्द्रीय सरकार के बाद राज्य सरकार ने गजट किया उसके बाद पत्रकारों ने माननीय राजस्व मंत्रीजी से पूछा पर अनुमान देने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब इससे कितनी जमीन उपलब्ध होने वाली है। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन था कि पिछले सीलिंग कानून से, जिसका यह विधेयक रिपील करना चाह रहे हैं उसके अनुसार 16,05,328 एकड़ जमीन उपलब्ध होने की आशा थी और इस सीलिंग से राजस्व मंत्रीजी ने खुद ने बताया 4 तारीख को 2 लाख एकड़ और अब भी जो स्थिति है उसमें कुछ नहीं कहा है आज भी बड़ी खुशी होगी कि माननीय राजस्व मंत्रीजी बतायें कि 16 लाख नहीं 20 लाख एकड़ भूमि मिलने वाली है। उससे ज्यादा मिलने वाली है, तो हमें बड़ी खुशी होगी और मेरा इस पर जो मत है उसको मैं बदल लूंगा। न तो राज्यपाल महोदय के भाषण में और न मंत्रीजी ने इसके उद्देश्य बताये हैं न उसमें उल्लेख किया है उससे यह साफ जाहिर है कि उसमें इस तरह की स्थिति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बता रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बता रहे हैं क्या ?

सभापति महोदय, यह जो बिल आज सदन में विचारार्थ है उसके पीछे भी एक इतिहास है। यह बिल आल इण्डिया पैमाने पर डिसकस हुआ है।

एक सेन्ट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी बनी 1971 से पहले उसने अपनी कुछ रिकमण्डेशन्स की थीं कि सीलिंग सिंचित जमीन का दो फसलें देने वाली की 10 से 18 एकड़ की होनी चाहिये। पांच आदमी का एक परिवार होना चाहिये। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन मेनीफेस्टो में 71 में इसको शामिल किया।

Page No. 105

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके बाद 72 के चुनाव आये। इन चुनावों के बाद उस पर कुछ बहस शुरू हो गई। हमारे योजना कमीशन का इस पर एक कार्यवाही दल बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग हुई। उसमें एक 9 मेम्बर कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे। तो उस 9 मेम्बर के कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखें तो पावेंगे कि उसने सिफारिश की यूनानिमस की। तो मेरा कथन है कि यह विधेयक उस रिपोर्ट का भी बिलकुल क्लीयरकट उल्लंघन है। उन सब रिकमण्डेशनों के विपरीत है यह बिल। मसलन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 22 जुलाई 71 को अपना अन्तिम निर्णय इस पर लिया और हर जगह उसके आधार पर हिदायतें केन्द्रीय सरकार ने भेजीं। उन हिदायतों के अनुसार यह बिल बनना चाहिये था। उन हिदायतों की भी अवहेलना इसमें की गई है।

तो एक तो 9 मेम्बर कमेटी और दूसरे हाई कमाण्ड दोनों ने जो निर्देशन दिये, क्या उनके अनुसार यह बिल है? आप यह देखें। आज केन्द्र में भी कांग्रेस का शासन है और राज्यों में भी। फिर उन निर्देशनों की अवहेलना का प्रश्न नहीं होना चाहिए। पर अवहेलना की गई है।

मैं इससे यह समझता हूं कि राजस्थान की केबिनेट में केन्द्र के निर्देशन नहीं चलते और खुद चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती, जो 9 मेम्बर कमेटी में स्वयं शामिल थे और जिन्होंने अनानिमस रिपोर्ट दी है। कोई अपना डिससेन्टिंग नोट नहीं दिया था। फिर राजस्थान में जो बिल है वह इन सबसे भिन्नता क्यों रखता है। मैं यह पूछता हूं।

श्री खेतसिंह : उसी गाइड लाइन पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लोज माइण्ड न करें। I am subject to correction मेरे दल की रिकमण्डेशन हो तो आप लागू न करें, पर आपसे यह उम्मीद अवश्य करता हूं कि आप खुद अपने चीफ मिनिस्टर की और खुद केन्द्र की कांग्रेस सत्ता और आपके कांग्रेस संगठन की पोजीशन को फाल्स न करें। मैं आशा करता हूं कि आप कांग्रेस हाई कमाण्ड के निर्देशनों की तो कम से कम अवहेलना नहीं करेंगे। मेरा यह आप पर सीधा चार्ज है। इसका कारण यह है कि आपका यह बिल तीन मामलों में आपके हाई कमाण्ड के निर्देशनों से डाइवर्ट करता है मोटे मोटे मुद्दों में। वे क्या हैं यह, मैं निवेदन कर देता हूं।

नम्बर एक। जहां तक सीलिंग का सवाल है 9 मेम्बर कमेटी की रिपोर्ट में भी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि जिसमें उन्हीं के शब्दों में पढ़ देता हूं:—

भूमि सुधार पर कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय।

(क) हदबन्दी। आर्डिनरिली सिंचाई वाली और वर्ष में कम से कम दो काश्त देने वाली भूमि की हदबन्दी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सबका पढा हुआ है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने पढ़ा होगा, औरों ने नहीं पढ़ा होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 9 मेम्बरों की कमेटी के बाद तो चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेंस हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चीफ मिनिस्टरों की कान्फ्रेंस के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिली है और लास्ट गाइड लाइन उसने भेजी है। वही मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। 22 जुलाई 72 का यह निर्देशन है कांग्रेस हाई कमाण्ड का ही।

यह दस से 18 एकड़ तक होनी चाहिये जिसके लिये मिट्टी के उपजाऊपन तथा अन्य परिस्थितियों को आंका जावे। मुख्य मन्त्री ध्यान रखें जहां तक सम्भव हो हदबन्दी 10 एकड़ के निकटतर हो, न कि 18 एकड़ के।

यह कहा गया है इसके अन्दर कि दस के नजदीक होनी चाहिये, न कि 18 के।

श्री सभापति : तीन मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर इस बीच में मेरा कथन समाप्त नहीं होता है तो आई विल कन्टीन्यू।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे जो भी और स्टेंडिंग्स हों टाइम का हो सकता है, पर यह बुनियादी क्वेश्चन है जो जनरल डिसक्सन में सारे पक्षों के मन्तव्य कम से कम हमारा पक्ष सदन के सामने आना चाहिये अब उससे आप एग्री करें या न करें यह इस सदन के देखने की बात है। पर मैं समझता हूं कि जहां तक बहस और अपने अपने नुक्ते नजर का सवाल है, वह मैं यहां रखूं, और भी सभी लोग अपने अपने नुक्तेनजर यहां रखें। यह हम सबका अधिकार है।

श्री सभापति : समय का सवाल है इस समय तो 4.30 बजे खतम करना है आज तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने दो फसली सिंचित जमीन पर 18 एकड़ का सीलिंग मुकर्रर किया है चाहे आदमी एक ही क्यों न हो? जैसा मध्य प्रदेश में है, उन्होंने दस से चार किया। 10 एकड़ यह अकेला आइटम है। तो इसके लिए दो फसली जमीन दस एकड़ की हों। इसकी भावना भी यही है। आपने इसकी भावना के खिलाफ 18 एकड़ कम से कम रखा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि एक तो यहां आपने अपने हाई कमाण्ड के निर्देशों का उल्लंघन किया है। 9 मेम्बर कमेटी ने भी जिसके बरकत साहब भी मेम्बर थे, 10 से 18 एकड़ ही तजवीज की थी। लेकिन परिवार के सम्बन्ध में 9 मेम्बरों की कमेटी ने पांच आदमियों का परिवार माना था जिसमें पति पत्नी और तीन बच्चे चाहे वे बालिग हों या नाबालिग हों। अब इसका मतलब यह था कि बालिग नाबालिग कोई भी हो पांच आदमी। अब आपने इस बिल में प्रावधान किया है विधेयक में प्रावधान किया है कि बालक बच्चा हो चाहे शादी शुदा हो और चाहे गैर शादी शुदा हो। बालिग लड़के को एक अलग इकाई मान लिया है।

एक माननीय सदस्य : टाइम हो गया है।

श्री सभापति : विधायक महोदय, आप समाप्त कर दें। अगर आप दस मिनिट में समाप्त कर सकें तब तो कन्टीन्यू किया जावे। वरना 26 तारीख तक पोस्टपोन करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस मिनिट में खतम नहीं हो सकता।

श्री सभापति : मैं सदन की कार्यवाही को 26 फरवरी तक 11 बजे तक के लिये मुल्तवी करता हूं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म प. 4 बज कर 30 मिनिट पर सोमवार दिनांक 26 फरवरी के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

नीम का थाना तहसील में सर्वे किये गये गांवों की सूची

सं.	नाम	अनुमानित अर्पित (लाख)	अनुमानित एकड़	विवरण
1-	सागर को मोरी	0-95	75	
2-	रायपुर नागौर	1-82	78	
3-	बगेमा बगोट	0-74	35	
4-	छापर	0-70	50 (पेटे में)	
5-	बिहारीपुरा	14-66	1013	
6-	साबर	7-00	597	इन योजनाओं का सर्वे अभी चल रहा है। अनुमानित लागत, सिंचाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर है
7-	बड़ी गौरी	2-00	192	
8-	रघुनाथपुर	1-50	121	
9-	सरदार त्रिवेणी	5-00	364	

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची)

क. सं.	खनिज का नाम	68—69	69—70	70—71	71—72	(72–73 दिसम्बर 72)
(1)	बेन्टोनाइट	72,068=34	52,398=34	66,383=24	81135=16	44,689=58
(2)	मुल्तानी मिट्टी	1,54,136=39	1,58,254=99	79,453=30	66923=22	78,550=78
(3)	सेलोनाईट	4,090=00	6,300=00	4,250=00	1750=00	1,400=00
(4)	पीली मिट्टी	1,433=73	700=00	1,449=88	2577=76	2,149=88
(5)	सिलकोसेन्ड	—	3,320=00	1,660=00	1940=00	1,254=08
(6)	जिप्सम	2,98,029=19	4,26,232=60	3,42,411=75	2.26595=49	2,24,235=15
(7)	कलमीसोरा	—	—	—	—	3,562=00
(8)	बिल्डिंग स्टोन	17,201=75	22,428=00	18,542=66	1,4483=00	10,766=00

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर तहसील में वन विभाग के अधीनस्थ भूमि

115. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जयपुर में किस-किस जगह कितनी-कितनी भूमि वन विभाग के अधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत दो वर्षों में वन विभाग की भूमि किस-किस योजना के तहत कब-कब व कहां-कहां की यू. आई. टी. को हस्तान्तरित की गई एवं किन नियमों के तहत है ?

(3) शहर की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए जो बस्तियों के नजदीक भूमि वन विभाग के अधीन है क्या ऐसी भूमि को यू० आई० टी० को देने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि और कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या वन विभाग की कुछ भूमि हाउसिंग बोर्ड को दी गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां की व किन नियमों के तहत कब-कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची 'क' संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा नाहरी का नाका योजना के अन्तर्गत 430·72 एकड़ वन भूमि अप्रेल, 1972 में नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित की गई। ऐसे कोई नियम नहीं हैं। प्रत्येक मामलों के गुण व दोष पर विचार करके वन भूमि रिलीज की जाती है।

(3) आबादी के लिए वन भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में गुण दोष पर विचार करके किया जाता है। शेष के लिए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी हां। हाउसिंग बोर्ड को निम्नानुसार वन भूमि दी गई है:—

(1) वन खण्ड जामडोली (ब) से 214 एकड़ आदेश दिनांक 8-2-71।

(2) वन खण्ड ग्राम भगवानसिंहपुरा (ब) से 11 एकड़ आदेश दिनांक 8-2-71 से।

(3) वन खण्ड ग्राम नाहरगढ़ (नाका नाहरी) से 50 एकड़ आदेश दिनांक 11-11-71 से।

Page No. 111

सूची वन क्षेत्र तहसील, जयपुर

क्रमांक नाम वन खण्ड	रिजर्व वन	प्रोटेक्टेड वन	उपखण्ड	नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में
1. आमेर 54	रिजर्व वन	—	—	1. मानपुर सडवा	157
	,,	—	—	2. विजय मण्डल	81
	,,	—	—	3. नाहरगढ़	1667
	,,	—	—	4. घामी सीतारामपुरा	73
	,,	—	—	5. विद्यानबाग	160
	,,	—	—	6. दोहपापड़	882
	,,	-	—	7. गडापुरासू गूजर रोड़	9
2. आमागढ़	,,	—	—	1.	740
	,,	—	—	2. जयसिंहपुरा	795
	,,	—	—	3. कालुपुरा	34
	,,	—	—	4 जादली	812
	,,	—	-	5. ववनपुरा	699
	,,	—	—	6. गलता	689
3. सोहन खेरियान ग्रालान 93	,,	—	—	1. शामहोली	1244
	,,	—	—	2. पधानी शंकरपुरा	100
4. सूवेल की डूंगरी 94	,,	—	—	1. सूवेल	187
	,,	—	—	2 मालपुरा डूंगर	20
	,,	—	—	3. रुपा की नाइल	20
5. बीड गोविन्दपुरा	,,	—	—	1. गोविन्दपुरा	362
6. बीड मामडोली	,,	—	—	1. मामडोली	76
7. बीड दो सौ जामडोली	,,	—	—	1. मामठोली	31
8. बीड लासबेरी	,,	—	—	1. भवपुरा	56
	,,	—	—	2.	253
9. बीड वसाना	,,	—	—	1. बाठदास	72
10. ग्राम मार्ग घासीपुर	,,	—	—	1. जगनाथपुरा	56
	,,	—	—	2. सेजपुरा	1
	,,	—	—	3. सालियावास	3
11. नोवढ़ बेजोड़	,,	—	—	4. पुगरलपुरा उर्फ गोहितवाला	58
				योग	9,297 एकड़

तहसील दौसा का चांदराना बांध

116. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चांदराना (तहसील दौसा) बांध पर इस समय तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(2) उक्त योजना का वर्तमान गति से जो कार्य हुआ है क्या इससे राज्य सरकार संतुष्ट है ? यदि नहीं तो इसे शीघ्र पूरा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) इस बांध की चादर का काम और मिट्टी के बांध का दांया पार्श्व लगभग पूरे हो चुके हैं।

(2) जी हां।

रीछ्वा भालता व झालरापाटन-सुनेल सड़कों के लिए 73-74 पर खर्च

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रीछवा-भालता रोड़ व झालरापाटन सुनेल रोड़ (जिला झालावाड़) का कितना कितना कार्य हो चुका है तथा कितना कितना कार्य होना शेष है ?

(2) दोनों रोड़ का कार्य कब पूरा हो सकेगा ?

(3) इन दोनों रोड़ के लिए 73-74 के बजट में कितनी कितनी धनराशि मन्जूर हो चुकी है ?

उत्तर

(1) रीछवा-भालता रोड़:—10 मील बन चुकी है 16 मील बननी शेष है।

झालरापाटन-सुनेल:—9 मील बन चुकी है 9 मील बननी शेष है।

(2) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) रीछवा-भालता रोड़ के लिये 20,000/- झालरापाटन सुनेल के लिये 55,000/- रुपया प्रस्तावित है।

तहसील बस्सी में भूमि का कब्जा दिलाने में विलम्ब

118. **श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी):** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बस्सी, जिला जयपुर में वर्ष 1970-71 व 1971-72 में भूमि की रजिस्ट्री करवाने नामान्तरण खुलवाने तथा पत्थर गढी किये जाने के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? विवरण निम्न तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें:—

(1) आवेदक का नाम (2) आवेदन पत्र देने का कारण

(3) आवेदन देने का दिनांक (4) कार्यवाही पूर्ण होने का दिनांक

(2) उपरोक्त कार्यवाही कितनी अवधि में हो जानी चाहिये ? क्या इस सम्बन्धी कोई नियम है ? यदि हां तो कृपया नियमों की प्रति प्रस्तुत करें।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) क्या यह सही है कि अवधि निश्चित न करने के अभाव में सम्बन्धित कर्मचारी समय पर कार्य नहीं करते हैं तथा किसानों को बाध्य होकर उनसे कार्य करवाने के लिये कुछ देना पड़ता है ?

(4) गत दो वर्षों से उक्त कार्यों के समय पर न होने के कारण किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध कब कब शिकायतें प्राप्त हुईं और कितने मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में आये तथा उन प्रत्येक पर कब-कब क्या क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या सरकार तहसीलों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये उक्त प्रकार के मामलों में अवधि निश्चित करने का भविष्य में इरादा रखती है ? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी, जिला जयपुर में सन् 1970-71 में भूमि की रजिस्ट्री करवाने हेतु 183 प्रार्थना-पत्र व सन् 71-72 में 182 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। विवरण तालिका परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु सन् 1970-71 में 38 आवेदन-पत्र और 71-72 में 84 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी तालिका परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

तहसील बस्सी में नामांतरकरण खुलवाने हेतु प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। आवेदन-पत्र असल ही आदेश करने के उपरान्त आवेदक को दे दिये जाते हैं।

(2) पंजीयन कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एवं राजस्थान रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1956 में प्रावधान है जिसमें इस कार्यवाही को पूर्ण करने के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। नियम 128 में यह प्रावधान है कि आवेदक को यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित दस्तावेज किस दिन वापिस किया जा सकेगा। नियम 128 के उद्धरण की प्रति परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

पत्थरगढ़ी के आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही पूर्ण हो जाने के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है।

नामान्तरकरणों को स्वीकार करने के लिए प्रशासनिक आदेश के अनुसार सूचना प्राप्त होने के 20 दिन के अन्दर पटवारी द्वारा नामान्तरकरण खोलकर गिरदावर को जांच हेतु प्रस्तुत करना चाहिए और गिरदावर द्वारा बाद जांच ग्राम पंचायत को 20 दिन में प्रस्तुत करना चाहिए। पंचायत द्वारा भी नामान्तरकरण को 20 दिन में स्वीकृत कर देना चाहिए। उपरोक्त परिपत्र के सम्बन्धित उद्धरण परिशिष्ट 'घ' संलग्न है।

(3) जी नहीं। कर्मचारियों से समय पर ही कार्य कराने की कोशिश की जाती है, परन्तु कभी कभी कार्य अधिकता के कारण विलम्ब भी हो जाता है। समय पर कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(4) तहसील बस्सी में गत 2 वर्षों में 2 मामले नामान्तरकरण व एक मामला पत्थरगढ़ी का प्राप्त हुआ था, जिनकी जांच जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में तहसील बस्सी के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(उत्तर)

(5) मामलों के निपटाने हेतु जिनकी अवधि निश्चित नहीं है उन मामलों में परीक्षण कर अवधि निर्धारित की जाने की शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रायसिंह नगर-पदमपुर सड़क में से लिंक रोड

119. श्री गुरुदयाल सिंह सिंधु (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) रायसिंहनगर-पदमपुर सड़क में से लिंक रोड 39 आर. बी. गांव के लिये कब मंजूर हुई और उसे आज तक न बनाये जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क के टेन्डर श्री मखनसिंह ठेकेदार के नाम पर सन् 1960 में मंजूर हो चुके हैं और एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत मुआवजा देने की कार्यवाही 15 अप्रेल, 1962 को पूरी हो चुकी थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य कब तक चालू करवा दिया जावेगा।

(उत्तर)

(1) 23-7-58 को। भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही पूरी नहीं होने के कारण।

(2) जी हां, टेन्डर श्री मखनसिंह के नाम 1960 में स्वीकार हुये थे। भूमि अवाप्तगी होने पर ही सड़क का काम चालू किया जा सकेगा।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

क.स.	गांव का नाम	स्वीकृति की तारीख	कार्य शुरू करने की तारीख	कार्य सम्पूर्ण होने की तारीख
1.	नाडोला	13-10-70	9- 2-71	30- 5-72
2.	ससिनला	31-12-71	3- 2-72	10- 5-72
3.	खारची	31-12-71	3- 2-72	8-10-72
4.	भामावास	12-10-72	23-11-72	30-11-72
5.	दासनी थडावटन	12-10-72	23-11-72	30-11-72
6.	भैसाना	12-10-72	23-11-72	15-12-72
7.	खरिया सोडा	12-10-72	23-11-72	15-12-72
8.	बिजलिया वास	12-10-72	23-11-72	15-12-72
9.	खारिया फडरा	12-10-72	23-11-72	15-12-72
10.	बीरावास	12-10-72	30-11-72	15-12-72
11.	सन्डार	12-10-72	30-11-72	15-12-72
12.	बासनी जैधराज	12-10-72	30-11-72	15-12-72
13.	बीरामपुरा	12-10-72	8-12-72	23-12-72
14.	विकरलाई	12-10-72	13-12-72	23-12-72
15.	चामेरटी	12-10-72	8-12-72	26-12-72
16.	नाना	12-10-72	8-12-72	26-12-72
17.	खनिवा रामावटन	12-10-72	13-12-72	26-12-72
18.	रानीवाल	12-10-72	13-12-72	27-12-72
19.	लिटरिया	12-10-72	13-12-72	30-12-72
20.	पुनाइटा	3-10-72	11-11-72	30-12-72
21.	भालपुरिया	12-10-72	13-12-72	31-12-72
22.	बुडिया	3-10-72	11-12-72	31-12-72
23.	बिरामपुरा	12-10-72	13-12-72	28-1 -73
24.	रास	12-10-72	27-12-72	31-1 -73
25.	जोकिनवास	12-10-72	13-12-72	31-1 -73

सूची 'ब'

क्रमांक	ग्राम का नाम
1.	दुधारिया
2.	भादरला
3.	सोमेसर
4.	निम्बारा
5.	बूसी
6.	खैरवा (केरवा)
7.	खोड
8.	चांगवा

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची)

1. दिनांक 31-8-61 से 31-12-64 तक सहायक निदेशक, खादी एवं ग्राम उद्योग समिति जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
2. दिनांक 20-2-65- से 15-11-66 तक सहायक आयुक्त एवं पदेन सहायक शासन सचिव, खाद्य् एवं रसद विभाग जयपुर।
3. दिनांक 16-11-66 से 18-4-67 तक सचिव, राजस्थान राज्य होटल निगम लि० जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
4. दिनांक 1-5-67 से 15-5-67 तक सहायक शासन सचिव, राजस्व विभाग सचिवालय जयपुर।
5. दिनांक 15-5-67 से 12-6-72 तक प्रोक्योरमेन्ट ऑफिसर एवं पदेन सहायक शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग जयपुर।
6. दिनांक 20-6-72 से 17-11-72 तक उप खण्ड अधिकारी डूंगरपुर।

Page No. 118

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची)

सूची काश्तकार जिनको मुआवजा चुकाया गया हाथी भाटा बांध की डूब में आने से

क्र.सं.	नाम काश्तकार	ग्राम	आराजीन	रकबा	(बीघे)
1	श्री रण मल सिंह पुत्र चमन सिंह राजपूत।	हार्सीयास	99	4-03	
2.	श्री मांगू पुत्र नन्दा, केला, छोगा, पुत्र नोला चमार	जितयाखेड़ा	981	1-00	
	श्री राम कंवर पुत्र गणेश 2/3 श्री रामपाल पुत्र माली राम 1/3		981		
3.	श्री मेघा पुत्र नोला चमार	,,	981	1-06,	3-00
4.	श्री उदा पुत्र नोला चमार मु० बी० क० श्री राम कंवर 2/3 श्री राम पाल 1/3	,,	981	1-18,	1-06
5.	श्री छोगा पुत्र नोला चमार	,,	981	2-00	
6.	श्री जवारा पुत्र नोला चमार	,,	,,	1-16	
7.	श्री लादूसिंह, खमणसिंह, मंगलासी पुत्र मानसिंह।	,,	,,	9-07	
8.	श्री मनोहर सिंह पुत्र मानसिंह	,,	,,	0-14	
9.	श्री भोपाल सिंह, हिम्मतसिंह पुत्र सूरसिंह राजपूत	,,	,,	1-00	
10.	श्री रणजीतसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत जितिया खेड़ा	,,	,,	0-15,	1-10

शुद्धि-पत्र

दिनांक 23 फरवरी, 1973

क्रम सं.	क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	6	नीचे से 13	श्री रामचद्र	श्री रामचन्द्र
2	15	,, 13	(खारली)	(खारची)
3	17	उपर से 14	खाखें	खानें
4	19	,, 14	श्री जुभा सिंह	श्री जुभारसिंह
5	50	,, 12	अनुसूचित	अनुचित
6	53	,, 12	श्री राशन लाल	श्री रोशनलाल
7	53	,, 8	व्हाया	वाया
8	61	नीचे से 13	हिडौन	हिंडोन
9	63	उपर से 14	जो हां	जी हां
10	83-84	शीर्ष	स्थगन प्रस्तावों पर-23 फरवरी, 1973-अध्यक्षीय व्यवस्था	स्थ. प्र. पर अध्यक्षीय व्यवस्था- 23 फरवरी, 1973- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
11	85 से 90	,,	स्थगन प्रस्ताव पर-23 फरवरी 1973 अध्यक्षीय व्यवस्था	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-23 फरवरी, 1973 - ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-23 फरवरी, 1973-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
12	91 से 184	,,	स्थगन प्रस्ताव पर - 23 फरवरी, 1973 अध्यक्षीय व्यवस्था	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973
13	92	उपर से 11	पुन: स्थापित	पुरः स्थापित
14	97	नीचे से 9	फलेगा	फलेगा
15	105	,, 9	आंकडे	के आंकडे
16	106	उपर से 6	11.478 रुपये	11.478 रुपये के
17	108	,, 1	हमने कई	कई
18	109	नीचे से 14	श्री गफ्फार अली	श्री मोहम्मद गफ्फार अली
19	109	,, 13	,,	,,

1	2	3	4	5
20	110	उपर से 3	श्री गफ्फारअली	श्री मोहम्मद गफ्फारअली
21	10	,, 14	,,	,,
22	110	,, 15	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
23	112	,, 3	यह मियाद	—
24	112	नीचे से 6	रिश्वत खोरों	रिश्वत खोरी
25	113	,, 18	अकाल	अकाल को
26	113	,, 14	दुर्भाग्यपूर्ण	दुर्भाग्यपूर्ण
27	115	उपर से 5	अध्यक्ष (उपाध्यक्ष)	उपाध्यक्ष
28	116	,, 12	लिया	दिया
29	116	नीचे से 11	कैशे	कैसे
30	120	,, 5	भी घुल सी	घुटन सी भी
31	122	उपर से 10	आश्वासन	अध्यादेश
32	127	नीचे से 8	ओवर शियर्स	ओवर सियर्स
33	128	उपर से 5	देवी	दैवी
34	130	नीचे से 12	कि हम राजस्थान	कि राजस्थान
35	131	उपर से 3	कन्ट्रेशन	कन्फन्टेशन
36	131	नीचे से 6	इलैबोरेट	इलैक्टेड
37	133	उपर से 10	गांवों	गांवों
38	136	,, 3	कुओं का पानी पीने के लिए	पीने के पानी के कुओं के लिए
39	140	नीचे से 5	हाय पावर	हाई पावर
40	141	उपर से 12	हर पंचायत समितियों से, जिला परिषदों से	हर पंचायत समिति से, जिला परिषद् से
41	141	नीचे से 1	श्री रघुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
42	142	,, 2	परिषनों	परिषद्
43	154	उपर से 15	तिकड बांजी	तिकडम बाजी
44	167	,, 8	भविष्य के	भविष्य का
45	171	नीचे से 11	प्रस्तुत रेंगी	प्रस्तुत करेगी
46	171	,, 10	देना।	देना है।
47	173	,, 8	पारित किया जाये	विचारार्थ लिया जाये
48	181	उपर से 1	श्री जी. के. चौधरी	श्री पी.के. चौधरी
49	181	नीचे से 13	के रीच	को रीड
50	182	उपर से 10	मिस्टम	सिस्टम
51	182	,, 17	डिसकशन्स	डिस्कशन्स
52	184	,, 15	जिस समय	किस समय